

कार्यालय नगर परिषद श्रीगंगानगर

क्रमांक:- डे-एनयूलम/2017-18/7379


दिनांक:- 27/10/17

कार्यालय आदेश

संस्था का नाम: ग्रामीण युवा संस्थान, नक्षुवन विहार कॉलोनी, सैथल रोड, दौसा--303403

विषय:- दीनदयाल अन्धोदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन डे-एनयूलम का एस.एम.आई.डी घटक के क्रियान्वयन बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपकी संस्था का चयन रिसोर्स आर्गनाइजेशन के रूप में एस.एम.आई.डी घटक के क्रियान्वयन के लिये किया गया है। आपको नगर परिषद, श्रीगंगानगर के अतिरिक्त अन्य शहरी नगर निकायों केशरीसिंहपुर, गजसिंहपुर एवं श्रीकरणपुर में बी.पी.एल. सूची दर्ज अधिकतम बी.पी.एल परिवारों वाले शहरी वार्डों में 70 प्रतिशत बी.पी.एल. अन्धोदय, अन्नपूर्णा, खाद्य सुरक्षा में दर्ज परिवारों एवं 30 प्रतिशत ए.पी.एल. परिवारों के साथ स्वयं सहायता समूहों का गठन, उनका विकास, हेण्ड हॉल्डिंग स्कोर्ट सदस्यों का प्रशिक्षण, बैंक लिंकेज, ए.एल.एफ/सी.एल.एफ का गठन बिन्दू संख्या 2(iv) के क्रमसार कार्य करवाना है।


आयुक्त


नगर परिषद श्रीगंगानगर

दिनांक:-

क्रमांक:- डे-एनयूलम/2017-18/

प्रतिलिपि:-

1. श्रीमान अति. जिला कलेक्टर, शहर गहोदग, श्रीगंगानगर।
2. श्रीमान निदेशक, स्थानीय स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
3. श्रीमान उपनिदेशक क्षेत्रीय स्थानीय निकाय विभाग, बीकानेर।
4. अधिशापी अधिकारी, नगर पालिका.....


आयुक्त

नगर परिषद श्रीगंगानगर

Office of the Chief Engineer
State Water Resources Planning Department
Sinchai Bhawan, JLN Marg, Jaipur.
Ph: 0141-2709667, Fax: 0141-2709066

No: CESWRPD/SE(R&D)/IWRM/PIP/ 3176

Date: 19/07/2017

Work-Order

Secretary,
Gramin Vikas Yuva Sansthan
Madhuvan Vihar Colony,
Sainthal Road, Dausa-303303

Subject: Hiring of Agency for Piloting of "Demonstration of decentralized IWRM planning in 10 Blocks of Pali District under EU-SPP".

Ref: EOI issued on dated 27.3.2017

In reference to above cited subject, your EOI under reference has been accepted for the above mentioned work in 39 GPs of Bali Block of District Pali for amounting Rs. 1798270/- (Rupees Seventeen Lakh Ninety Eight Thousand Two Hundred and Seventy) as per Terms & conditions mentioned in EOI document.


Break up of Cost: Break up of cost is enclosed with this work order as an Annexure-1 for your information and reference.

Duration of work: Duration of work shall be 5 months (Five Months) and date of commencement of the work shall be 1.08.2017 and date of completion of the work shall be 31.12. 2017.

If you are interested and agreed to work on approved rates as per attached annexure-1, please attend this office for signing of contract with Executive Engineer (R&D-I), SWRPD, Jaipur of this office within 7 days of issuance of this work order after compliance of following pre- conditions, otherwise work order will be rejected.

1. Security deposit @5 % of work order amount in form of DD or Bank Guarantee issued by scheduled Bank in favour of Superintending Engineer, Water Planning & DDO, o/o Chief Engineer, State Water Resources Planning Department, Sinchai Bhawan, JLN Marg, Jaipur. This SD/BG shall be valid for a period 45 days after the stipulated date of completion.
2. Non Judicial Stamp of of value of Rs. 5000/-
3. Authorisation letter to sign the contract along with resolution of the Executive/Management Committee of NGO.
4. Authorisation letter to sign the contract along with resolution of the Executive/Management Committee of consortium NGO, if any.
5. CVs found disqualified during evaluation shall be replaced with competent professional who possess the desired qualification and experience as per ToR, if any. (Annexure -2)

Enclosures: As above


(URMILEENA) 19/7/17

Chief Engineer,
SWRPD, Jaipur.

दिनांक: 19/07/2017

No: CESWRPD/SE(R&D)/IWRM/PIP/ 3177- 83

Copy to following for information & necessary action:

1. Accountant General, AG Office, Rajasthan, Jaipur
2. SE (WP), and DDO, SWRPD, Jaipur.
3. SE (R&D), SWRPD, Jaipur.
4. EE (R&D-I), SWRPD, Jaipur is directed to sign the contract agreement with selected NGOs as above
5. Sr.AO, SWRPD
6. EE. (ENV.), SWRPD
7. Cashier, SWRPD, Jaipur


19/7/17
Executive Engineer (R&D-I)
SWRPD, Jaipur.

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जी-3/1, अम्बेडकर भवन, राजगहल रेजीडेंसी क्षेत्र, जयपुर

क्रमांक: एफ 15 () सा.सु/म.क./सान्याअवि/16-17/

जयपुर, दिनांक

आदेश

5372

9/02/17

महिला स्वयंसिद्धा योजनान्तर्गत, विधवा, परित्यक्ता, निराश्रित महिलाओं को स्वरोजगार हेतु निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए नारी निकेतन भवन परिसर अजमेर, कोटा, उदयपुर, जोधपुर, भरतपुर एवं बीकानेर में "महिला स्वयंसिद्धा केन्द्र" संचालन हेतु माह फरवरी 2017 से 31 मार्च 2017 तक निम्न स्वयं सेवी संस्था को मान्यता एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र. सं.	स्थान का नाम	पात्र स्वयंसेवी संस्था का नाम
1	नारी निकेतन, कोटा	महिला संरक्षण समिति, कोटा
2	नारी निकेतन, भरतपुर	सोसाइटी फॉर सोशल चेंज एंड डवलपमेंट सोसाइटी भरतपुर
3	नारी निकेतन, उदयपुर	राजस्थान बाल कल्याण समिति झाडोल, उदयपुर
4	नारी निकेतन, जोधपुर	अरनोल्ड ऐजुकेशन एण्ड रूरल डवलपमेंट सोसाइटी, अलवर
5	नारी निकेतन, अजमेर	ग्रामीण विकास युवा संस्थान, दौसा
6	नारी निकेतन, बीकानेर	सहयोग संस्थान, बीकानेर

उक्त संस्थाये उनके नाम के आगे अंकित सम्बन्धित जिले में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के नारी निकेतन भवनों में महिला स्वयंसिद्धा केन्द्र का संचालन विभाग के पूर्व आदेश क्रमांक 41447 दिनांक 30.08.2006 में वर्णित शर्तों के आधार पर करेगी जो निम्न प्रकार है :-

1. नारी निकेतन भवन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के स्वामित्व में रहेंगे।
2. भवन के भवनों की देख-रेख व सुरक्षा व्यवस्था अधीक्षक नारी निकेतन के अधीन होगी।
3. बिजली/पानी के बिलों का भुगतान अधीक्षक नारी निकेतन द्वारा किया जावेगा।
4. केन्द्र हेतु पंलग, बिस्तर, बर्तन आदि की व्यवस्था अधीक्षक नारी निकेतन, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा की जावेगी।
5. केन्द्र में प्रवेश लेने वाली महिलाओं व उनके बच्चों के आवास हेतु स्थान नारी निकेतन भवन में अधीक्षक नारी निकेतन उपलब्ध करवायेगें।
6. विधवा, परित्यक्ता व निराश्रित महिलाओं का सर्वे स्वयंसेवी संस्था द्वारा किया जावेगा।*

(* बिन्दु 6 में लाभार्थी को निम्न प्रकार परिभाषित किया गया है :-)

- (अ) परिवार एवं सम्बन्धियों द्वारा त्यागी गई विधवा, परित्यक्ता महिलायें जो उपेक्षित हैं और जो धार्मिक/सार्वजनिक स्थानों पर शोषण का शिकार हैं।
- (ब) कारावास से मुक्त ऐसी महिलायें जिन्हें परिवार से कोई सहायता नहीं मिल रही हो।
- (स) प्राकृतिक आपदा से गृह विहीन एवं सामाजिक तथा आर्थिक सहायता से वंचित महिलायें।
- (द) देह व्यापार/शोषण से मुक्त कराई गई महिलायें/किशोरियाँ अथवा देह व्यापार स्थानों से पलायन की हुई महिलायें/किशोरियाँ अथवा यौन शोषण की शिकार महिलाएँ/किशोरियाँ जिन्हें परिवार द्वारा स्वीकार नहीं किया जा रहा हो अथवा जो अपने परिवार में अन्य कारणों से वापस नहीं जाना चाहती हो।

K

(य) आतंकवाद/कट्टर पंथियों के उत्पाद से ग्रस्त ऐसी महिलायें जिन्हें उनके परिवार का सहारा हो ओर जो आर्थिक रूप से जीविका उर्पाजन नहीं करती हो।

(र) मानसिक रूप से विमन्दि महिलायें (Except for the psychotic Categories who require care in special environment in mental hospitals) जिन्हें परिवार व सगे-सम्बन्धियों का सहणरा नहीं हो।

(ल) HIV/AIDS से पीड़ित महिलायें जिन्हें परिवार द्वारा तिरष्कृत कर दिया गया हो अथवा ऐसी महिलायें जिनके पतियों का जीवन HIV/AIDS के कारण समाप्त हो चुका हो ओर जिन्हें सामाजिक/आर्थिक सहारा प्राप्त ना हो।

(व) अन्य संकटग्रस्त महिलायें।

इन महिलाओं को जन शिक्षण संस्थान के माध्यम से अथवा अन्य उपयोगी कार्यों का प्रशिक्षण दिलाया जावे। किसी केन्द्र में न्यूनतम 25 महिलायें उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में वास्तविक रूप से केन्द्र में रह कर प्रशिक्षण ले रही महिलाओं का अनुपातिक भुगतान किया जावे।

7. एक महिला स्वयंसिद्धा केन्द्र में 50 महिलाओं को प्रवेश दिया जा सकेगा। केन्द्र संचालन हेतु न्यूनतम 25 महिलाओं का केन्द्र में प्रवेशित होना अनिवार्य होगा।
8. महिला स्वयंसिद्धा केन्द्र में महिलाओं का प्रवेश, प्रवेश सलाहकार समिति (उपनिदेशक/सहायक, निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को समिति का सदस्य एवं अध्यक्ष, अधीक्षक नारी निकेतन तथा सचिव/अध्यक्ष सम्बन्धित स्वयंसेवी संस्था की कमेटी के अनुमोदन के उपरान्त ही प्रदान किया जायेगा। समिति की अध्यक्षता उपनिदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा की जायेगी। संस्था के सचिव समिति के सदस्य सचिव होंगे। प्रवेश सलाहकार समिति की बैठक में किसी एक सदस्य की अनुपस्थिति की स्थिति में दो सदस्यों द्वारा किया गया निर्णय मान्य होगा।
9. संस्था में प्रवेश लेने वाली महिलाओं एवं उनके बच्चों के भोजन, खाने पीने, गणवेश व अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयंसेवी संस्था द्वारा की जायेगी।
10. भोजन शाला का संचालन स्वयंसेवी संस्था द्वारा किया जायेगा।
11. केन्द्र में प्रवेशित महिलाओं के प्रशिक्षण की व्यवस्था महिलाओं की योग्यता/कार्यक्षमता के आधार पर स्वयंसेवी संस्था द्वारा निर्धारित किया जायेगा।
12. प्रशिक्षण की अवधि कम से कम 45 दिवस एवं अधिकतम 1 वर्ष की होगी।
13. प्रशिक्षण जन शिक्षण संस्थान, जयपुर एवं अन्य मान्यता प्राप्त संस्थाओं के माध्यम से कराने की व्यवस्था स्वयंसेवी संस्था द्वारा की जायेगी।
14. प्रशिक्षण पूर्ण होने के उपरान्त प्रशिक्षणार्थियों को रोजगार दिलाने अथवा स्वरोजगार प्रारम्भ कराने हेतु बैंक से ऋण दिलाने की कार्यवाही स्वयंसेवी संस्था को करनी होगी।
15. प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली किसी भी आवासनी को अलग से कमरा नहीं दिया जायेगा। डोरमेट्री में ही इन्हें आवास करना होगा। प्रशिक्षण अवधि पूर्ण होने पर इन्हें आवास खाली करना होगा ताकि नई प्रवेशित महिलाओं को आवासीय स्थान प्राप्त हो सकें।
16. प्रशिक्षण कार्यक्रम की त्रैमासिक/मासिक समीक्षा प्रवेश सलाहकार समिति द्वारा की जायेगी।
17. आवासनियों के 10 वर्ष तक के बच्चों को संस्था परिसर में अलग आवासीय स्थान उपलब्ध कराया जायेगा एवं 10 वर्ष से बड़ी आयु के बच्चों को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के किशोर गृहों/बालिका गृहों में रखा जा सकेगा।
18. प्रवेश सलाहकार समिति की समीक्षा तक सिफारिश के आधार पर संस्था को अनुदान प्रदान किया जायेगा।
19. स्वयं सेवी संस्था को निम्नानुसार राज्य सरकार द्वारा अनुदान प्रदान किया जावेगा:-

क्र सं.	पद/व्यय का विवरण	पदों की संख्या	मासिक व्यय	वार्षिक व्यय
1	चिकित्सक (अंशकालीन)	01	3000/-	36000/-
2	क्राफ्ट टीचर	02	10000/-	120000/-
	योग (अ)		13000/-	156000/-
(ब)	अन्य आवर्ती व्यय		5000/-	60000/-
1	कच्चे माल के क्रय हेतु (100रु प्रति महिला प्रति माह 50 महिलाओं के लिए)			
2	निवासी का भोजन, लिपिक, रसोइयां, चौकीदार, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, सफाई कार्य इत्यादि तथा समाचार पत्र-पत्रिकाएँ (675 रु प्रति महिला प्रति माह) 50 महिलाओं हेतु		33750/-	405000/-
	योग (ब)		38750/-	465000/-
	कुल (अ + ब)		51750/-	621000/-

20. स्वयंसेवी संस्था को प्रत्येक तिमाही/मासिक का अनुदान प्रवेश सलाहकार समिति की समीक्षा एवं सिफारिश के उपरान्त ही प्रदान किया जायेगा।
21. संस्था को प्रत्येक वर्ष की द्वितीय किस्त उन्हें गत वर्ष उपलब्ध कराई गई राशि का चार्टर्ड अकाउटेन्ट द्वारा अनुदान से सम्बन्धित अंकेक्षित वार्षिक लेखे एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त ही द्वितीय किस्त की स्वीकृति जारी की जायेगी।
22. वार्षिक लेखे व उपयोगिता प्रमाण पत्रों के अनुसार संस्था से वसूल की जाने वाली अथवा दिये गये अनुदान में से उपयोग में नहीं ली गई राशि का समायोजन आगामी वर्ष की देय द्वितीय किस्त में किया जायेगा।
23. योजना के उद्देश्यों की पूर्ति नहीं किये जाने अथवा संस्था का कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने की स्थिति में विभाग तुरन्त प्रभाव से संस्था की मान्यता समाप्त कर उसे दिये गये अनुदान की वसूली करने के लिए अधिकृत होगा।
24. स्वयंसेवी संस्था द्वारा प्रवेशित महिलाओं के सम्बन्ध में (जैसे प्रवेशित महिला की व्यक्तिगत पत्रावली, क्या-क्या प्रशिक्षण प्राप्त कर रही है का विवरण, उपस्थिति पंजिका, भोजनशाला रिकार्ड आदि) रिकार्ड संधारित करेगी।
25. संस्था को प्रदान किये गये अनुदान का मदवार लेखा-आय व्यय रिकार्ड संस्था द्वारा पृथक-पृथक संधारित किये जायेंगे।
26. प्रवेश सलाहकार समिति अथवा अधिकारी के निरीक्षण के समय मांगे जाने पर संस्था द्वारा समस्त रिकार्ड निरीक्षण हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(रवि जैन)

निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव

क्रमांक: एफ 15 () सा.सु/म.क./सान्याअवि/16-17/

जयपुर, दिनांक:

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

5373-5408 9/02/17

1. विशिष्ट सहायक, मंत्री मोहदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. जिला कलक्टर,।
5. अतिरिक्त निदेशक (सतर्कता एवं प्रशासन), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
6. कोषाधिकारी कोष कार्यालय,।
7. उपनिदेशक/सहायक निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,।
8. अधीक्षक, नारी निकेतन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,।
9. अध्यक्ष /सचिव, श्रीमती. विक्रान्त भुवा, राजस्थान दोला।
10. आदेश पत्रावली। मधुवन, गिटा कॉलोनी, सैफत रोड
जिला दोला

अतिरिक्त निदेशक (सा.सु.)

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(आयुक्तालय जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण, राजस्थान, जयपुर)

क्रमांक : एफ.21(19)/आजभूस/मुमंजस्वाअ/2017/987

दिनांक : 31/01/20

जिला कलक्टर,
झुन्झुनू।


विषय : मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान अन्तर्गत अच्छी साख वाले गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से कार्य करवाने बाबत।
प्रसंग : आपके पत्रांक 3549 दिनांक 24.01.2017 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि "मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान" अन्तर्गत द्वितीय चरण में ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग की योजनाओं से प्रस्ताविक कार्य गैर सरकारी संस्थाओं/संगठनों के माध्यम से करवाने हेतु आप द्वारा प्रस्तावित निम्न संस्थाओं/संगठनों का पैनल अनुमोदित किया जाता है :-

- (1) ग्रामीण विकास युवा संस्थान, दौसा
- (2) माया जन सेवा विकास संस्थान, सर्किट हाउस रोड, दौसा
- (3) रमाधम्भौर सेवा संस्थान, लाल कोठी, टोंक रोड, जयपुर।
- (4) कृषक सेवा संस्थान, गणेश कॉलोनी, परबतसर जिला नागौर
- (5) अर्पण सेवा संस्थान, उदयपुर

पंचायतीराज संस्थाओं द्वारा गैर सरकारी संस्थाओं/संगठनों के माध्यम से कार्य करवाने हेतु जारी परिपत्र एफ 4()सामान्य/विधि/पैरा/2016/875 दिनांक 25.11.2016 द्वारा जारी दिशानिर्देशों की पूर्ण पालना सुनिश्चित की जावे तथा समसंख्याक पत्र दिनांक 01.12.2016 द्वारा जारी पंचायतीराज संस्था एवं गैर संस्था/संगठन के मध्य निर्धारित प्रारूप में एम.ओ.यू. किया जाना सुनिश्चित करावे।


(सुदर्शन सेठी) 30.1.2017
अतिरिक्त मुख्य सचिव

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(आयुक्तालय जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण, राजस्थान, जयपुर)

क्रमांक : एफ.21(19)/आजभूस/मुमजस्वाअ/2017/986

दिनांक : 31/01/2017

जिला कलक्टर,
जालौर।

विषय : मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान अन्तर्गत अच्छी साख वाले गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से कार्य करवाने बाबत।


प्रसंग : आपके पत्रांक 2465 दिनांक 23.01.2017 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि "मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान" अन्तर्गत द्वितीय चरण में ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग की योजनाओं से प्रस्ताविक कार्य गैर सरकारी संस्थाओं/संगठनों के माध्यम से करवाने हेतु आप द्वारा प्रस्तावित निम्न संस्थाओं/संगठनों का पैनल अनुमोदित किया जाता है :-

- (1) अर्पण सेवा संस्थान, उदयपुर
- (2) राजस्थान बाल कल्याण समिति, झाड़ौल, उदयपुर
- (3) श्री मातेश्वरी विकास सेवा समिति, उदयपुर
- (4) कृषक सेवा संस्थान, परबतसर जिला नागौर
- (5) ग्रामीण विकास युवा संस्थान, दौसा
- (6) माया जन सेवा विकास संस्थान, दौसा
- (7) सेवा संकल्प संस्थान, सीकराज, दौसा

पंचायतीराज संस्थाओं द्वारा गैर सरकारी संस्थाओं/संगठनों के माध्यम से कार्य करवाने हेतु जारी परिपत्र एफ 4()सामान्य/विधि/पैरा/2016/875 दिनांक 25.11.2016 द्वारा जारी दिशानिर्देशों की पूर्ण पालना सुनिश्चित की जावे तथा समसंख्यक पत्र दिनांक 01.12.2016 द्वारा जारी पंचायतीराज संस्था एवं गैर संस्था/संगठन के मध्य निर्धारित प्रारूप में एम.ओ.यू. किया जाना सुनिश्चित करावे।


(सुदर्शन सेठी)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

दौसा बाल श्रमिक परियोजना संस्था, दौसा
(कमरा न. 137 कलेक्ट्रेट, दौसा)

~~श्रम मंत्रालय भारत सरकार की परियोजना~~

DAUSA CHILD LABOUR PROJECT SOCIETY - DAUSA

(Room NO. 137 Collectrote, Dausa)

(Ministry of Labour Government Of India Project)

क्र. सं. : 182

अध्यक्ष/सचिव

दिनांक : 3/10/16

ग्रामीण विकास युवा संस्थान
मध्यम विद्यालय की लोनी, दौसा

विषय :- बाल श्रमिक विशेष प्रशिक्षण केन्द्र की स्वीकृति के संबंध में।

प्रसंग :- आपका आवेदन इस कार्यालय की विज्ञप्ति क्रमांक 50 एवं प्रकाशन तिथि दिनांक 02.09.2016 के अनुसरण में।

महोदय,

श्रम मंत्रालय भारत सरकार की दौसा जिले में संचालित दौसा बाल श्रमिक परियोजना केन्द्र, दौसा द्वारा उपरोक्त विषय में प्रकाशित विज्ञप्ति के क्रम में आपकी संस्था से बाल श्रमिक विशेष प्रशिक्षण केन्द्र संचालन हेतु आवेदन पत्र प्राप्त हुआ जिसका श्रीमान जिला कलेक्टर एवं अध्यक्ष दौसा बाल श्रमिक परियोजना संस्था दौसा गठित चयन समिति ने संस्था की गतिविधियों, अनुभव के विवरण पर विचार करने के पश्चात् आपकी संस्था का चयन किया गया है। आपकी संस्था को आवंटित बाल श्रमिक विशेष केन्द्र का विवरण निम्न प्रकार से है :-

1. जगह का नाम :- शिवशम्भुपुरा खापी प्रथम

दौसा जिले में गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से वर्ष 2016 में बालश्रम सर्वे कराये गये। बाल श्रम सर्वे में आपको आवंटित प्रशिक्षण केन्द्र के क्षेत्र में पाये गये बाल श्रमिकों को प्रवेश दिया जावेगा। विशेष परिस्थितियों में यदि सूची में अंकित बाल श्रमिक प्रवेश हेतु उपलब्ध नहीं होते हैं तो आपकी संस्था द्वारा आवंटित क्षेत्र में बाल श्रमिकों का निर्धारित प्रपत्र में पुनः सर्वे कर परियोजना निदेशक की अनुमति से प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रवेश दिया जा सकता है। यथा संभव सर्वेसूची में अंकित बाल श्रमिकों का आवश्यक रूप से प्रवेश दिया जावेगा।

यह बाल श्रमिक विशेष प्रशिक्षण केन्द्र अधिकतम 2 वर्ष की अवधि के लिये है। वर्तमान परियोजना की स्वीकृति मार्च 2017 तक प्राप्त है। अतः आपको मार्च 2017 तक विशेष प्रशिक्षण केन्द्र संचालन की स्वीकृति दी जाती है। श्रम मंत्रालय द्वारा स्वीकृति प्राप्त होने पर प्रशिक्षण केन्द्र संचालन की अवधि बढ़ाने हेतु आपको निर्देशित कर दिया जावेगा। परियोजना का उद्देश्य बाल श्रमिकों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ना है। संस्था यदि बाल श्रमिकों को शिक्षित करने के साथ-साथ व्यावसायिक रूप से पुनर्वासित करती है तो संस्था की विशेष उपलब्धि मानी जावेगी।

स्वीकृति पत्र के सात दिवस के अन्दर-अन्दर अपने क्षेत्र के बाल श्रमिकों का नामांकन कर इसकी सूचना कार्यालय में प्रेषित करें।


परियोजना द्वारा दिया जा रहा अनुदान निर्धारित बजट के अनुसार व्यय किया जावेगा। (संलग्न परिशिष्ट अनुसार)

अत्यंत नामांकित बाल श्रमिक को राष्ट्रीय पोषाहार कार्यक्रम के अनुसार पोषाहार दिया जावेगा।

6. संस्था के संचालक द्वारा 100 रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाप्म पर टंकित अनुबंध पत्र जो नोटेरी पब्लिक द्वारा सत्यापित हो 7 दिवस में कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। (नमूना प्रति संलग्न)
7. विशेष प्रशिक्षण केन्द्रों में नामांकित किये गये बाल श्रमिकों की फोटो सहित प्रवेश पत्र की एक प्रति परियोजना कार्यालय में 7 दिवस में जमा करानी होगी, एवं स्टाफ उनकी योग्यता संबंधित विवरण की प्रति भी 7 दिवस में कार्यालय में जमा करानी होगी।
8. दौसा बाल श्रमिक परियोजना के अन्तर्गत संचालित बाल श्रमिक विशेष प्रशिक्षण केन्द्र के संचालन एवं विशेष दिशा निर्देश की पालना करनी होगी।

इस संबंध में किसी जानकारी की आवश्यकता हो तो परियोजना कार्यालय से सम्पर्क कर प्राप्त की जा सकती है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार



परियोजना निर्देशक,

दौसा बाल श्रमिक परियोजना,

संस्था, दौसा

दौसा बाल श्रमिक परियोजना: संस्था, दौसा

(कमरा न. 137 कलेक्ट्रेट, दौसा)

श्रम मंत्रालय भारत सरकार की परियोजना

DAUSA CHILD LABOUR PROJECT SOCIETY - DAUSA

(Room NO. 137 Collectrote, Dausa)

(Ministry of Labour Government Of India Project)

संख्या: 183

अध्यक्ष/सचिव

दिनांक: 3/10/16

ग्रामीण विकास युवा संवर्धन

अध्युवन विहार कॉलोनी दौसा

विषय :- बाल श्रमिक विशेष प्रशिक्षण केन्द्र की स्वीकृति के संबंध में।

प्रसंग :- आपका आवेदन इस कार्यालय की विज्ञप्ति क्रमांक 150 एवं प्रकाशन तिथि दिनांक 02.09.2016 के अनुसरण में।

महोदय,

श्रम मंत्रालय भारत सरकार की दौसा जिले में संचालित दौसा बाल श्रमिक परियोजना द्वारा उपरोक्त विषय में प्रकाशित विज्ञप्ति के क्रम में आपकी संस्था से बाल श्रमिक विशेष प्रशिक्षण केन्द्र संचालन हेतु आवेदन पत्र प्राप्त हुआ जिसका श्रीमान जिला कलेक्टर एवं अध्यक्ष दौसा बाल श्रमिक परियोजना संस्था दौसा गठित चयन समिति ने संस्था की गतिविधियों, अनुभव के विवरण पर विचार करने के पश्चात् आपकी संस्था का चयन किया गया है। आपकी संस्था को आवंटित बाल श्रमिक विशेष केन्द्र का विवरण निम्न प्रकार से है :-

1. जगह का नाम :- शिवराम पूरा वापी द्वितीय

दौसा जिले में गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से वर्ष 2016 में बालश्रम सर्वे कराये गये। बाल श्रम सर्वे में आपको आवंटित प्रशिक्षण केन्द्र के क्षेत्र में पाये गये बाल श्रमिकों को प्रवेश दिया जावेगा। विशेष परिस्थितियों में यदि सूची में अंकित बाल श्रमिक प्रवेश हेतु उपलब्ध नहीं होते हैं तो आपकी संस्था द्वारा आवंटित क्षेत्र में बाल श्रमिकों का निर्धारित प्रपत्र में पुनः सर्वे कर परियोजना निदेशक की अनुमति से प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रवेश दिया जा सकता है। यथा संभव सर्वेसूची में अंकित बाल श्रमिकों का आवश्यक रूप से प्रवेश दिया जावेगा।

यह बाल श्रमिक विशेष प्रशिक्षण केन्द्र अधिकतम 2 वर्ष की अवधि के लिये है। वर्तमान परियोजना की स्वीकृति मार्च 2017 तक प्राप्त है। अतः आपको मार्च 2017 तक विशेष प्रशिक्षण केन्द्र संचालन की स्वीकृति दी जाती है। श्रम मंत्रालय द्वारा स्वीकृति प्राप्त होने पर प्रशिक्षण केन्द्र संचालन की अवधि बढ़ाने हेतु आपको निर्देशित कर दिया जावेगा। परियोजना का उद्देश्य बाल श्रमिकों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ना है। संस्था यदि बाल श्रमिकों को शिक्षित करने के साथ-साथ व्यावसायिक रूप से पुनर्वासित करती है तो संस्था की विशेष उपलब्धि मानी जावेगी।

3. स्वीकृति पत्र के सात दिवस के अन्दर-अन्दर अपने क्षेत्र के बाल श्रमिकों का नामांकन कर इसकी सूचना कार्यालय में प्रेषित करें।

4. परियोजना द्वारा दिया जा रहा अनुदान निर्धारित बजट के अनुसार व्यय किया जावेगा। (संलग्न परिशिष्ट अनुसार)

प्रत्येक नामांकित बाल श्रमिक को राष्ट्रीय पोषाहार कार्यक्रम के अनुसार पोषाहार दिया जावेगा।

6. संस्था के संचालक द्वारा 100 रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर टंकित अनुबंध पत्र जो नोटेरी पब्लिक द्वारा सत्यापित हो 7 दिवस में कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। (नमूना प्रति संलग्न)
7. विशेष प्रशिक्षण केन्द्रों में नामांकित किये गये बाल श्रमिकों की फोटो सहित प्रवेश पत्र की एक प्रति परियोजना कार्यालय में 7 दिवस में जमा करानी होगी, एवं स्टाफ उनकी योग्यता संबंधित विवरण की प्रति भी 7 दिवस में कार्यालय में जमा करानी होगी।
8. दौसा बाल श्रमिक परियोजना के अन्तर्गत संचालित बाल श्रमिक विशेष प्रशिक्षण केन्द्र के संचालन एवं विशेष दिशा निर्देश की पालना करनी होगी।

इस संबंध में किसी जानकारी की आवश्यकता हो तो परियोजना कार्यालय से सम्पर्क कर प्राप्त की जा सकती है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

परियोजना निदेशक,

दौसा बाल श्रमिक परियोजना
संस्था, दौसा

दौसा बाल श्रमिक परियोजना संस्था, दौसा
(कमरा न. 137 कलैक्ट्रेट, दौसा)

DAUSA CHILD LABOUR PROJECT SOCIETY - DAUSA
(Room NO. 137 Collectrote, Dausa)
(Ministry of Labour Government Of India Project)

क्रमांक : 101


दिनांक : 28/4/2016

अध्यक्ष/सचिव
ग्रामीण विकास युवा संस्थान,
मधुवन विहार कॉलोनी, दौसा

विषय :- बांदीकुई उपखण्ड में 9 से 14 वर्ष वं बाल श्रमिकों का सर्वे करने हेतु।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि जिले मे बाल श्रमिकों के सर्वे हेतु उचित ऐजेन्सी/ऐजेन्सीज के चयन हेतु चयन समिति की बैठक अतिरिक्त जिला कलक्टर, दौसा के कक्ष में दिनांक 20.04.2016 प्रातः 10.00 (AM) पर रखी गई, जिसमें आवेदक गैर सरकारी संगठनों से लिये गये साक्षात्कार पश्चात् आपकी संस्था का चयन किया गया है। आप द्वारा बांदीकुई उपखण्ड में कार्यरत बाल श्रमिकों का चिन्हीकरण किया जाना है अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि 3 दिवस मे 100 रुपये के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध पत्र इस कार्यालय मे प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करे।


परियोजना निदेशक,
दौसा बाल श्रमिक परियोजना संस्था,
दौसा

कार्यादेश

वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए स्वावलम्बन योजनान्तर्गत निम्न 90 स्वयं सेवी संस्थाओं को जिलों के संबंधित ब्लॉक में निम्नानुसार प्रशिक्षण आयोजित कराने के कार्यादेश दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है-

क्र. सं.	स्वयंसेवी संस्था का नाम	ब्लाक	जिला	प्रशिक्षण दिये जाने का ट्रेड	ट्रेड की लागत	प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली महिलाओं की संख्या	प्रशिक्षण की अवधि (दिवस में) प्रति प्रशिक्षण दिवस 4 घण्टे	प्रथम किरत 25%	द्वितीय किरत 65%	तृतीय किरत 10%
1	2	3		4	5	6	7	9	10	11
1	उपकार संस्थान, ग्राम रूप का वाम गुदा चुपानी थानागाजी अलवर मो.न. 978440837J	शानागाजी	अलवर	जूते जूतिया बनाना	42900	30	45 दिवस	10725	27885	4290
2	श्री ठाकुर दास शिमा समिति वार्ड न. 22 आनंद नगर संस्थल, किसानगढ वारा अलवर 301404 मो.न. 8503931359	मुण्डावर	अलवर	रेडिमेड गारमेंट महिला	51150	30	60 दिवस	12788	33248	5115
3	डे टू डे इवलपमेंट सोसायटी 15 शमकेशन कालोनी अलवर मो.न. 9414453914	राजगढ	अलवर	रेजिन/कापडे बेग	31350	30	30 दिवस	7838	20378	3135
4	मसा अनुसंधान संस्थान, महिला चुपना एवं सलाह केन्द्र, महिला धाना, धीकरिया राड, मुस्ता लाइन के पास बसवाडा मो न 9414330695	राजजनगढ	बारावाडा	रेडिमेड गारमेंट महिला	51150	30	60 दिवस	12788	33248	5115
5	बहुउद्देश्य शिमा संस्थान, 1303-ए आर के गुरम कोटा ग्रामीण, राजस्थान मो न 9929817749	अता	बारा	रेडिमेड गारमेंट महिला	51150	30	60 दिवस	12788	33248	5115
6	शुभम श्रीमहिला एवं बाल विद्या संस्थान समिति, कोटा, नगर निगम कालोनी के पास छावनी कोटा, मो.न. 7588976678	बारा ग्रामीण	बारा	रेडिमेड गारमेंट महिला	51150	30	60 दिवस	12788	33248	5115
7	किरण महिला एवं बाल विकास समिति, नगर निगम कालोनी के आगे, भोई मोहल्ला छावनी कोटा-32300	अता	बारा	ब्यूटीशियन	46750	20	60 दिवस	11688	30588	4675
8	धरोहर सेवा संस्थान राजसमन्द, सिद्धि सिद्धि सदन गगघाना तह छोपायडीद बारा मो न. 5929542742	अटस	बारा	ब्यूटीशियन	46750	20	60 दिवस	11688	30588	4675
9	न्यू आदर्श प्रतिक विद्या प्रशिक्षण समिति, केशवपुर से कर मकान न 420 कोटा राड -324009	छोपायडीद	बारा	रेडिमेड गारमेंट	51150	30	60 दिवस	12788	33248	5115

5. सं.	स्वयंसेवी संस्था का नाम	ब्लॉक	जिला	प्रशिक्षण दिये जाने का ट्रेड	ट्रेड की लागत	प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली महिलाओं की संख्या	प्रशिक्षण की अवधि (दिवस में) प्रति प्रशिक्षण दियस 4 घण्टे	प्रथम किरत 25%	द्वितीय किरत 65%	तृतीय किरत 10%
1	2	3		4	5	6	7	9	10	11
10	रानी अवंती बाई शिक्षा समिति, गोपालगढ़, जधीना गेट के पास, लोदी बस्ती, भरतपुर 321001 मो.न. 9414693993	भरतपुर शहर	भरतपुर	रेडिगेड गारमेंट महिला	51150	30	60 दिवस	12788	33248	5115
11	सवेरा समिति गोयल भवन, गोरी चार बाग, भरतपुर 321001 मो.न. 9414303626	सेवर	भरतपुर	ज्वेलरी मैकिंग	38500	30	45 दिवस	9625	25025	3850
12	एस.के. शिक्षण एवं सामाजिक विकास संस्थान, ग्रा.पो. विधाना, भरतपुर, भरतपुर 321001 मो.न. 9887724519	भरतपुर शहर	भरतपुर	ब्यूटीशियन	46750	20	60 दिवस	11688	30388	4675
13	सेनी शिक्षा एवं ग्रामीण विकास संस्थान, ग्राम जहागीरपुर तह. कुम्हेर भरतपुर मो.न. 9462752250	कैर	भरतपुर	रेडिगेड गारमेंट महिला	51150	30	60 दिवस	12788	33248	5115
14	मानव विकास एवं ग्रामीण शोध संस्थान, गांव जयपीठ पोस्ट-उसरानी, कुम्हेर, भरतपुर मो.न. 9667039751	कुम्हेर	भरतपुर	रेडिगेड गारमेंट महिला	51150	30	60 दिवस	12788	33248	5115
15	पवन शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान, उपमन हाउस, रामनगर कॉलोनी, दमदमा रोड़, बयाना, भरतपुर 321401 मो.न. 9413837855	बयाना	भरतपुर	रेडिगेड गारमेंट महिला	51150	30	60 दिवस	12788	33248	5115
16	शान्ति विकास भारती संस्था, बडी जतोलार्ड, रामदेव मन्दिर बीकानेर 334001 मो.न. 9252779511	बीकानेर शहर	बीकानेर	रेडिगेड गारमेंट महिला	51150	30	60 दिवस	12788	33248	5115
17	दुर्गा बाल मन्दिर संस्था पवनपुरी करणनगर, बीकानेर 334003 मो.न. 9982515702	उदरामसर	बीकानेर	रेडिगेड गारमेंट महिला	51150	30	60 दिवस	12788	33248	5115
18	कपेटी फ़ॉर ह्यूमन रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट सोसायटी, 5 रतनबाई दम्भाणी क्याटर्स तोलियासर मैरु जी मन्दिर के पास, बीकानेर 334001 मो.न. 9660953333	बीकानेर	बीकानेर	कपडे के बैग	31350	30	30 दिवस	7838	20378	3135
19	प्रज्ञा विद्यापीठ, खारिया कुआ नई पानी की टंकी के पास गोमा गेट, बीकानेर 334001 मो.न. 9252591301	बीकानेर	बीकानेर	ब्यूटीशियन	46750	20	60 दिवस	11688	30388	4675
20	संस्कृति संस्थान, 40/ए कुम्भा नगर, चित्तौड़गढ़ मो.न. 9413261073	चित्तौड़गढ़ ग्रामीण	चित्तौड़गढ़	लकड़ी की कलात्मक वस्तुएं	43450	20	60 दिवस	10863	28243	4345

क. स.	स्वयंसेवी संस्था का नाम	ब्लाक	जिला	प्रशिक्षण दिये जाने का ट्रेड	ट्रेड की लागत	प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली महिलाओं की संख्या	प्रशिक्षण की अवधि (दिवस में) प्रति प्रशिक्षण दिवस 4 घण्टे	प्रथम किरत 25%	द्वितीय किरत 65%	तृतीय किरत 10%
1	2	3		4	5	6	7	9	10	11
34	प्रयास ग्रामीण विकास संस्थान, घोषडा मन्दिर के पीछे, नरती धौलपुर 328001 मो.न. 9667297709	गाडी	धौलपुर	ब्यूटीशियन	46750	20	60 दिवस	11688	30388	4675
35	गायत्री ग्राम विकास संस्था, नलवा गायत्री मन्दिर लोडन फला, गुमानपुरा, डुंगरपुर मो.न. 9983668110	विच्छी गाडा	डुंगरपुर	रेडिमेड गारमेन्ट महिला	51150	30	60 दिवस	12788	33248	5115
36	दिव्य ज्योति सेवा संस्थान, 4/77, शिवाजी नगर डुंगरपुर 314001 मो.न. 9950378305	डुंगरपुर	डुंगरपुर	ब्यूटीशियन	46750	20	60 दिवस	11688	30388	4675
37	राजस्थान ग्रामीण विकास एवं शिक्षण संस्थान, पो. सरथाना जूजानी, प.स. भीनमाल जालौर मो.न. 9413409807	चित्तलवाना	जालौर	जूतिया बनाना	42900	30	45 दिवस	10725	27885	4290
38	Thar Women Research & Development Society . TWRDS नवन, नये बस स्टैण्ड के पास, जालोतरा, बाडमेर 344022	सायला	जालौर	रेडिमेड गारमेन्ट महिला	51150	30	60 दिवस	12788	33248	5115
39	वूमन डवलपमेन्ट एण्ड ट्रेनिंग सोसायटी, गोदार भवन देरी मन्दिर के पास मद्पुरा-बरवाला- कवास जिला बाडमेर-344035 मो.न. 9460051233	साचीर	जालौर	आरी तारी वर्क	46200	30	60 दिवस	11550	30030	4620
40	Society For Uplift urban economy नया बस स्टैण्ड के पास LIC रोड बालोतरा जिला बाडमेर 344022 मो.न. 7897577590	भीनमाल	जालौर	ब्यूटीशियन	46750	20	60 दिवस	11688	30388	4675
41	ज्योति विकास शिक्षण संस्थान, दूरभाष केन्द्र के पास, पीपाडशहर जिला जोधपुर 342601 मो.न. 9928410233	जालौर	जालौर	रेडिमेड गारमेन्ट	51150	30	60 दिवस	12788	33248	5115
42	मलु मारती सांस्कृतिक संस्थान, गार्ड न. 5 राजगड रोड, सिनेमा हॉल के पास पिलानी, झुन्झुनू 333031 मो.न. 9351663838	घिडावा	झुन्झुनू	रेडिमेड गारमेन्ट महिला	51150	30	60 दिवस	12788	33248	5115
43	रुरल हेल्थ एजुकेशन डवलपमेन्ट इन्सटीट्यूट, बालोतरा, रेडी भवन के पास, जिला बाडमेर 344022 मो.न. 9414688575	जैसलमेर	जैसलमेर	आरी तारी वर्क	46200	30	60 दिवस	11550	30030	4620
44	रुरल हेल्थ एजुकेशन डवलपमेन्ट इन्सटीट्यूट, बालोतरा, रेडी भवन के पास, जिला बाडमेर 344022 मो.न. 9414688575	पोकरण	जैसलमेर	ब्यूटीशियन	46750	20	60 दिवस	11688	30388	4675

क्र. सं.	स्वयंसेवी संस्था का नाम	ब्लाक	जिला	प्रशिक्षण दिने जाने का ट्रेड	ट्रेड की लागत	प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली महिलाओं की संख्या	प्रशिक्षण की अवधि (दिवस में) प्रति प्रशिक्षण दिवस 4 घण्टे	प्रथम किरात 25%	द्वितीय किरात 65%	तृतीय किरात 10%
1	2	3		4	5	6	7	9	10	11
45	युवा जागृति संस्थान, दुकान नं 34 लालाजी बालाजी मार्केट, हनुमानगढ़ जंक्शन मो.नं 9950382311	हनुमानगढ़	हनुमानगढ़	रेडिमेड गारमेन्ट महिला	51150	30	60 दिवस	12788	33248	5115
46	निलक मेमोरियल पब्लिक शिक्षा समिति एवं रूरल डेवलपमेंट संस्था, वार्ड नं. 8, सैक्टर 12, हनुमानगढ़ जंक्शन 335512 मो. नं. 9413934324	हनुमानगढ़ जंक्शन	हनुमानगढ़	ब्यूटीशियन	46750	20	60 दिवस	11688	30388	4675
47	गुरु नानक सिलाई बुनाई प्रशिक्षण समिति, वार्ड नं. 4 पशु चिकित्सालय के पास, पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ 335803 मो. नं. 9414509235	पीलीबंगा	हनुमानगढ़	रेडिमेड गारमेन्ट महिला	51150	30	60 दिवस	12788	33248	5115
48	विश्व भारती ग्रामोत्थान संस्था, हाथीपुरा बास, रेलवे स्टेशन के पास, वार्ड नं. 5 भादरा, हनुमानगढ़ मो.नं. 9828935003	भादरा	हनुमानगढ़	ब्यूटीशियन	46750	20	60 दिवस	11688	30388	4675
49	ट्राई संस्थान सुन्दरी, ट्राई पी-1/ए शक्ति नगर, आर. के. हॉस्पिटल के पास, कांकरोली, राजसमंद 313342 मो.नं. 9828989609	भीम	राजसमंद	रेडिमेड गारमेन्ट महिला	51150	30	60 दिवस	12788	33248	5115
50	सोशल वेलफेयर एण्ड रूरल डेवलपमेंट सोसायटी, 127, साईनाथपुरम तृतीय, कोटा रोड झालावाड मो.नं. 9530350501	झालावाड शहर	झालावाड	आरी तारी वर्क	46200	30	60 दिवस	11550	30030	4620
51	ग्रामीण उद्यमिता विकास संस्थान, सुभाष कॉलोनी, वस स्टेण्ड, झालावाड मो.नं. 9413065060	झालरा पाटन	झालावाड	खाद्य प्रसंस्करण (कोई 5 प्रसंस्करण)	31350	30	30 दिवस	7838	20377	3135
52	पायल जनकल्याण संस्थान, ग्राम समराई तह, झालरापाटन जिला झालावाड 326501 मो.नं. 8696187009	झालरा पाटन	झालावाड	रेडिमेड गारमेन्ट महिला	51150	30	60 दिवस	12788	33248	5115
53	क्रसेन्ट इण्डिया सोसायटी, भवानी रोड, डग झालावाड 326514 मो.नं. 9829182678	डग	झालावाड	रेडिमेड गारमेन्ट महिला	51150	30	60 दिवस	12788	33248	5115
54	मयक जनकल्याण संस्थान, मंगलपुरा, टेक परदेजी पेंटर की गली झालावाड मो.नं. 8432644324	मनोहर शाना	झालावाड	ब्यूटीशियन	46750	20	60 दिवस	11688	30388	4675
55	मानसी ट्रेनिंग संस्थान, कूजडा गली बडा बाजार झालावाड 326001 मो.नं. 9314461362	झालावाड शहर	झालावाड	रेडिमेड गारमेन्ट पुरुष	51150	30	60 दिवस	12788	33248	5115

क्र. सं.	स्वयंसेवी संस्था का नाम	ब्लाक	जिला	प्रशिक्षण दिये जाने का ट्रेड	ट्रेड की लागत	प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली महिलाओं की संख्या	प्रशिक्षण की अवधि (दिवस में) प्रति प्रशिक्षण दियस 4 घण्टे	प्रथम किरत 25%	द्वितीय किरत 65%	तृतीय किरत 10%
1	2	3		4	5	6	7	9	10	11
56	सनदर्शी ग्रामीण विकास संस्थान, बडीदा राजस्थान ग्रामीण बैंक के पीछे, असनायर, झालावाड़ 326021 मो.न. 9928575329	झालरा पाटन	झालावाड़	रेडिमेड गारमेन्ट	51150	30	60 दिवस	12788	33248	5115
57	कै.जी.एन. स्वयं सहायता समूह मार्फत शबाना सुरजपोल गेट मालियों के गेट के सामने झालरापाटन, झालावाड़ मो.न. 9638766007	झालावाड़ शहर	झालावाड़	ब्यूटीशियन	46750	20	60 दिवस	11688	30388	4675
58	वर्षा स्वयं सहायता समूह, पुरानी कोतवाली के पीछे, मंगलपुरा, झालावाड़ 326001 मो.न. 9929904457	झालावाड़ शहर	झालावाड़	रेडिमेड गारमेन्ट पुरुष	51150	30	60 दिवस	12788	33248	5115
59	प्रवीणा विकास समिति, छावनी भाई मोहल्ला 324007 नगर निगम कालोनी के पास छावनी (कोटा) मो.न. 7891445368	कोटा शहर	कोटा	ब्यूटीशियन	46750	20	60 दिवस	11688	30388	4675
60	बहुउद्देशीय महिला विकास प्रशिक्षण संस्था, शाखा कोटा मो.न. 9414775467	इटाया	कोटा	रेडिमेड गारमेन्ट महिला	51150	30	60 दिवस	12788	33248	5115
61	केन्द्रीय विद्या मवन शिक्षा समिति, म.न. 3 ई-7, महावीर नगर विस्तार योजना कोटा 324009 मो.न. 9166360803	सांगोद कोटा	कोटा	रेडिमेड गारमेन्ट महिला	51150	30	60 दिवस	12788	33248	5115
62	शाम श्री महिला एवं शिक्षा समिति, नगर निगम कालोनी के पास छावनी, कोटा मो.न. 7568976678	कोटा शहर	कोटा	रेडिमेड गारमेन्ट महिला	51150	30	60 दिवस	12788	33248	5115
63	श्री महिला एवं युवक प्रशिक्षण, विकास समिति, इन्द्रा गांधी नगर, प्रेम नगर-III सरकारी स्कूल के पास, कोटा 324004 मो.न. 8952905433	कोटा शहर	कोटा	ब्यूटीशियन	46750	20	60 दिवस	11688	30388	4675
64	न्यू आदर्श श्रमिक विद्या प्रशिक्षण समिति सेक्टर-4, म. न.420, रहमान चक्री बालो का मकान, केशवपुरा, सेक्टर -4, कोटा 324009 मो.न. 8890789719	कोटा शहर	कोटा	रेडिमेड गारमेन्ट महिला	51150	30	60 दिवस	12788	33248	5115
65	सनदर्शी ग्रामीण विकास संस्थान, बडीदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के पास, असनायर जिला झालावाड़ 326021 मो.न. 9928575329	चेघट	कोटा	रेडिमेड गारमेन्ट	51150	30	60 दिवस	12788	33248	5115
66	किरण महिला विकास समिति, नगर निगम कालोनी के आगे भाई मोहल्ला, छावनी कोटा 324007 मो.न. 7891445366	कोटा शहर	कोटा	रेडिमेड गारमेन्ट महिला	51150	30	60 दिवस	12788	33248	5115

क्र. स.	स्वयंसेवी संस्था का नाम	ब्लाक	जिला	प्रशिक्षण दिये जाने का ट्रेड	ट्रेड की लागत	प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली महिलाओं की संख्या	प्रशिक्षण की अवधि (दिवस में) प्रति प्रशिक्षण दिवस 4 घण्टे	प्रथम किरत 25%	द्वितीय किरत 85%	तृतीय किरत 10%
1	2	3		4	5	6	7	9	10	11
67	निर्यात महिला मानव कल्याण समिति, खटीको का मोहल्ला, नीम चौक के सामने कोरडी, कोटा 324007 मो.न. 9784672865	कोटा शहर	कोटा	रेडिमेड गारमेट महिला	51150	30	60 दिवस	12788	33248	5115
68	शुभतुराज विकारा संस्थान, राजय निवास राम फलोर मिल नगर निगम कालोनी, छावनी कोटा 327004 मो.न. 9462462456	कोटा	कोटा	ब्यूटीशियन	46750	20	60 दिवस	11688	30388	4675
69	नन्द स्वयं सहायता समूह, पूजा शर्मा नंद स्वयं खण्ड गांवडी, सिविल लाईन, कोटा 324001 मो.न. 9784793275	कोटा शहर	कोटा	ब्यूटीशियन	46750	20	60 दिवस	11688	30388	4675
70	नन्दनी स्वयं सहायता समूह, बृजराज कॉलोनी सिविल लाईन, नयापुरा कोटा 324001 मो.न. 8947015428	कोटा शहर	कोटा	रेडिमेड गारमेट महिला	51150	30	60 दिवस	12788	33248	5115
71	न्यू टेलर्स औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, जैन भवन के पास, टोडारायसिंह जिला टॉक 304505 मो.न. 9828838643	टोडाराय सिंह	टॉक	रेडिमेड गारमेट महिला	51150	30	60 दिवस	12788	33248	5115
72	प्रेरणा एजुकेशन एण्ड वेलफेयर सोसायटी, राजगार कार्यालय के पास, चुपाप बाजार, टॉक मो.न. 9414425102	उनियारा अलीगढ	टॉक	रेडिमेड गारमेट महिला	51150	30	60 दिवस	12788	33248	5115
73	भारतीय महिला कल्याण समिति, किरण राजावत बजरंग सिंह रानावासर निगम कोलोनी के पास कोटा फोन.न. 9887088878	सुमेरपुर	पाली	रेडिमेड गारमेट महिला	51150	30	60 दिवस	12788	33248	5115
74	आदित्य सेवा संस्थान, ग्राम सीतारामपुरा, पहाडिया रेनवाल फागी मो.न. 9414553433	जैतारण	पाली	सेनेट्री नेपकीन	18700	30	15 दिवस	4675	12155	1870
75	सांस्कृतिक कल्चरल सोसायटी 8 वी बृज कालोनी, हवा सडक जयपुर	सोजत	पाली	ब्यूटीशियन	46750	20	60 दिवस	11688	30388	4675
76	सांस्कृतिक कल्चरल सोसायटी, 8-वी, बृज कालोनी, चम्बल पायर हाउस, सिविल लाईन्स, जयपुर 302019 फोन 0141-2296222	जयपुर वतुर्थ	जयपुर	ब्यूटीशियन	46750	20	60 दिवस	11688	30388	4675
77	आदित्य सेवा संस्थान, ग्राम सीतारामपुरा, पोस्ट पहाडिया, वाया चित्तौडा रेनवाल मांजी, जयपुर 303904 मो.न. 9414553433	फागी	जयपुर	रेडिमेड गारमेट महिला	51150	30	60 दिवस	12788	33248	5115

[Handwritten signature]

क. सं.	स्वयंसेवी संस्था का नाम	ब्लाक	जिला	प्रशिक्षण दिये जाने का ट्रेड	ट्रेड की लागत	प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली महिलाओं की संख्या	प्रशिक्षण की अवधि (दिवस में) प्रति प्रशिक्षण दिवस 4 घण्टे	प्रथम किरत 25%	द्वितीय किरत 65%	तृतीय किरत 10%
1	2	3		4	5	6	7	9	10	11
78	बाणी संस्था, 126 महावीर नगर, 80 फीट रोड, आदर्श विद्या मन्दिर के पास, सांगानेर जयपुर 302029 मो.न. 9414322708	सांगानेर शहरी	जयपुर	ब्यूटीशियन	46750	20	60 दिवस	11688	30388	4675
79	श्री कृष्णजन कल्याण समिति यादव भवन, वस्त स्टैण्ड, एन. एच 8 मनोहरपुर, झापुरा जयपुर मो.न. 9950685150	विराट नगर	जयपुर	ब्यूटीशियन	46750	20	60 दिवस	11688	30388	4675
80	प्रसा अनुसंधान संस्थान, के. ब्लॉक ब.क. 60-51, सेक्टर 14, गोकर्धन विलास, उदयपुर मो.न. 9414630695	गिरवा	उदयपुर	रेडिमेड गारमेंट	51150	30	60 दिवस	12788	33248	5115
81	मनु सेवा संस्थान, 32 हिरण मगरी से. 11 उदयपुर मो.न. 9414471901	बडगांव	उदयपुर	ब्यूटीशियन	46750	20	60 दिवस	11688	30388	4675
82	ग्रामीण विकास संस्थान, नगी आवादी भावली, जिला उदयपुर मो.न. 9414620933	भावली	उदयपुर	रेडिमेड गारमेंट महिला	51150	30	60 दिवस	12788	33248	5115
83	बहुउद्देशीय महिला विकास प्रशिक्षण संस्थान, सूरजपोत अस्थल मन्दिर के सामने, जनता मार्ग मो.न. 9414775467	उदयपुर शहर	उदयपुर	ब्यूटीशियन	46750	20	60 दिवस	11688	30388	4675
84	वर्धमान महिला सेवा मन्दिर संस्था, कालेज रोड कानोड जिला उदयपुर मो.न. 9414156322	भीण्डर	उदयपुर	ब्यूटीशियन	46750	20	60 दिवस	11688	30388	4675
85	श्री मातेवरी विकास सेवा समिति, मु.पो. सराडा जिला उदयपुर मो.न. 9636741626	खेस्वाड़ा	उदयपुर	रेडिमेड गारमेंट महिला	51150	30	60 दिवस	12788	33248	5115
86	कैम्परा पब्लिक स्कूल समिति, श्रीगंगानगर 49 सेतिया कोलोनी, रवेत्र पाल मन्दिर रोड, श्रीगंगानगर, राज. फोन नं - 9414501783	पदमपुर, श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर	ब्यूटीशियन	46750	20	60 दिवस	11688	30388	4675
87	मैरी ऐजला पब्लिक स्कूल संस्था, श्री गंगानगर प्रथम ब्लॉक 12 वार्ड 12 पुसनी आवादी श्रीगंगानगर, राज 335001, फो न 9391470213	सादुल शहर	श्रीगंगानगर	ब्यूटीशियन	46750	20	60 दिवस	11688	30388	4675
88	सावित्री मां सेवा संस्थान श्रीगंगानगर, वार्ड 10 - 17 सेतिया फार्म, श्रीगंगानगर फो न 9782554954	श्रीकरणपुर ग्रामीण	श्रीगंगानगर	ब्यूटीशियन	46750	20	60 दिवस	11688	30388	4675

क्र.सं.	स्वयंसेवी संस्था का नाम	ब्लाक	जिला	प्रशिक्षण दिये जाने का ट्रेड	ट्रेड की लागत	प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली महिलाओं की संख्या	की अवधि (दिवस) प्रति प्रशिक्षण दिवस 4 घण्टे	पं.म. किरत 25%	द्वितीय किरत 65%	तृतीय किरत 10%	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
89	जय अम्बे विकास समिति मकान नं. 1082, यार्ड नं. 14, आदर्श टॉकिंग के पीछे गंगानगर 335001, फो. नं. 9667767760	अनूपगढ़	श्रीगंगानगर	व्यूटीशियन	46750	20	60 दिवस	11688	30388	4675	
90	न्यू जगदम्बा सिलाई प्रशिक्षण समिति म. नं. 529, गली नं. 7, अशोक नगर, श्रीगंगानगर 335001, मो. 9785221078	श्रीगंगानगर शहर	श्रीगंगानगर	व्यूटीशियन	46750	20	60 दिवस	11688	30388	4675	
योग					4286150			1071538	2585997	428615	

शर्तें/निर्देश-

- संस्था को कार्यदेश मिलने के पश्चात संबंधित जिले के कार्यक्रम अधिकारी म.अ. से प्रशिक्षणार्थियों की सूची का मौके पर सत्यापन कराये जाने के पश्चात ही प्रशिक्षण आरम्भ किया जाए। संबंधित संस्था को प्रशिक्षण कार्यदेश प्राप्ति के एक सप्ताह के भीतर कार्य प्रारम्भ कर सूचना अधोहस्ताक्षरकर्ता को भिजवाई जानी होगी। प्रशिक्षण प्रारंभ किये जाने से पूर्व संबंधित स्वयंसेवी संस्था प्रशिक्षण प्रारंभ करने की तिथि, स्थान एवं स्थान के पते से संबंधित कार्यक्रम अधिकारी, म. अ. को सूचित किया जावे तथा कार्यक्रम अधिकारी, म.अ. द्वारा निदेशालय को इस सूचना से शीघ्र अवगत करावे।
- संस्था को अपने आवेदन पत्र के साथ प्रशिक्षण स्थल पर पहुंचने का पूर्ण पता, प्रशिक्षण स्थल किराये की स्थिति में होने पर भवन मालिक का नाम तथा संस्था से सम्पर्क हेतु दूरभाष एवं मोबाइल नंबर भी प्रस्तुत करना होगा।
- प्रशिक्षण आरंभ होने के साथ ही संस्था को प्रशिक्षण स्थल के बाहर बैनर/बोर्ड लगाना आवश्यक होगा जिसमें प्रशिक्षण का विवरण एवं तिथि का लेख किया गया हो।
- संस्था द्वारा प्रस्तावित गतिविधि के अन्तर्गत प्रशिक्षण में उपयोग किये जाने वाले कच्चे माल से निर्मित सामग्री में से श्रेष्ठ डिजाईन के सम्पल तकनीकी दक्षता एवं गुणवत्ता जांचने के लिए विभाग को भेजने होंगे तथा शेष निर्मित सामग्री प्रशिक्षणार्थियों को कौशल विकास के लिए वितरित की जायेगी।
- प्रशिक्षण की अवधि प्रति प्रशिक्षण दिवस कम से कम 4 घण्टे होगी।
- संस्था द्वारा प्रशिक्षण समाप्ति के 6 माह बाद तक प्रशिक्षणार्थियों से निरन्तर सम्पर्क कर उन्हें स्वरोजगार कार्य प्रारम्भ करने में आ रही समस्याओं का निदान करवाते हुए स्वरोजगार सुनिश्चित करने हेतु फॉलोअप/हैंड-होल्डिंग की जायेगी।
- संस्था द्वारा कार्य पूर्ण नहीं करने पर संस्था को विभाग द्वारा दी गई राशि लौटानी होगी।

8. भुगतान प्रक्रिया

संस्था द्वारा आयोजित किये जाने वाले प्रशिक्षण का समय-समय पर निदेशालय के अधिकारियों एवं जिले के उपनिदेशक मवावि तथा कार्यक्रम अधिकारी म.अ. द्वारा निरीक्षण किया जावेगा। प्रशिक्षण संतोषप्रद एवं निर्धारित प्रक्रिया अनुसार संपन्न होने के प्रमाणन के बाद कार्यक्रम अधिकारी, म.अ. द्वारा संस्था को इनके बैंक खाते में आन लाइन भुगतान चरणबद्ध तरीके से निम्नानुसार किया जावेगा-

- ✓ 1. प्रथम किश्त के रूप में स्वीकृत राशि का 25 प्रतिशत का भुगतान निम्न बिन्दुओं को सुनिश्चित करने के पश्चात् एवं संस्था द्वारा प्रशिक्षण प्रारंभ करने के उपरान्त किया जायेगा :-
- जिस ट्रेड में प्रशिक्षण दिया जायेगा उस ट्रेड के योग्यता प्राप्त प्रशिक्षक द्वारा प्रशिक्षण देने हेतु सहमति पत्र संस्था द्वारा प्राप्त कर लिया गया हो।
 - संस्था के पास जिस ट्रेड में प्रशिक्षण दिया जा रहा है उससे संबंधित मशीन एवं उपकरण उपलब्ध हो।
 - संस्था द्वारा योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु योजना की समस्त शर्तों का पालन किया गया हो।
2. द्वितीय किश्त के रूप में स्वीकृत राशि का 65 प्रतिशत का भुगतान प्रशिक्षण समाप्ति पर दो माह में उप निदेशक अथवा कार्यक्रम अधिकारी, म.अ. द्वारा निम्नलिखित समस्त सूचनाएं प्राप्त करने के पश्चात् किया जायेगा -
- ✓ प्रशिक्षण का स्थान
- प्रशिक्षण आयोजित तिथि (कब से कब तक) →
 - प्रशिक्षणार्थी / मास्टर काप्टमेन / सहायिका की उपस्थिति
 - प्रशिक्षणार्थियों की सूची जिसमें न्यूनतम 30 प्रतिशत विधवा, परित्यक्ता एवं तलाकशुदा महिलाओं हो
 - संस्था द्वारा प्रस्तावित गतिविधि के अन्तर्गत प्रशिक्षण में उपयोग किये जाने वाले कच्चे माल से निर्मित सामग्री में से श्रेष्ठ डिजाईन के सेम्पल तकनीकी दक्षता एवं गुणवत्ता जांचने के लिए विभाग को भेजने होंगे तथा शेष निर्मित सामग्री प्रशिक्षणार्थियों को कौशल विकास के लिए वितरित की जायेगी।
 - उपयोगिता प्रमाण पत्र (सामान्य एवं वित्तीय लेखा नियमों के अनुसार)
 - प्रशिक्षण सुचारु एवं संतोषप्रद सम्पन्न होने का प्रमाण पत्र
 - योजना की प्रस्तावित ट्रेड की निर्धारित लागत अनुसार प्रशिक्षण में मदवार व्यय की गई राशि का विवरण एवं संबंधित समस्त मूल बिलों की प्रमाणित छाया प्रतियां क्रमवार संलग्न हो।
2. तृतीय किश्त के रूप में स्वीकृत राशि का 10 प्रतिशत राशि का भुगतान प्रशिक्षण पश्चात् संस्था द्वारा 6 माह तक फॉलोअप/हैंडलिंग कर 60 प्रतिशत से अधिक प्रशिक्षणार्थियों को कम से कम 1100/- रुपये प्रतिमाह आयअर्जन की स्थिति में लाने पर किया जायेगा। प्रशिक्षण समाप्ति के आठ माह पश्चात् इस आशय का प्रमाण पत्र संस्था द्वारा संबंधित जिले के कार्यक्रम अधिकारी, म.अ. द्वारा दिया जाएगा।
- निर्धारित अवधि में भुगतान हेतु आवश्यक क्लेम प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में कुल भुगतान की 10 प्रतिशत कटौती की जायेगी। प्रशिक्षण समाप्ति के एक वर्ष तक भुगतान हेतु संस्था द्वारा आवश्यक क्लेम प्रस्तुत नहीं करने पर संस्था किसी प्रकार के भुगतान हेतु अधिकृत नहीं होगी।



परिणाम -

स्वावलंबन योजना अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त महिलाओं को "आत्मनिर्भरता" तक ले जाने हेतु संस्था द्वारा उन्हें स्वरोजगार से जोड़ा जायेगा तथा प्रशिक्षण समाप्ति से 6 माह तक महिलाओं का निरंतर हैंडहोल्डिंग (Followup) भी किया जायेगा, जिससे महिलाओं को स्वरोजगार की प्रारंभिक अवस्था 6 माह में आने वाली समस्याओं से छुटकारा मिल सकेगा तथा महिलाएं निरंतर स्वरोजगार से जुड़कर आत्मनिर्भर बन सकेंगी।

(डॉ० पृथ्वी)
निदेशक

महिला अधिकारिता
राज., जयपुर

8299-465

क्रमांक पं.15(1)()निमअ / SHG / स्वावलंबन / 14-15 /

जयपुर, दिनांक

26/3/15

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. निजी सचिव, माननीया मंत्री, महिला एवं बाल विकास विभाग।
 2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग।
 3. निजी सहायक, निदेशक, महिला अधिकारिता, मुख्यालय।
 4. वित्तीय सलाहकार, महिला अधिकारिता, मुख्यालय को भेजकर निवेदन है कि संबंधित जिलों को उनके सामने अंकित राशि भुगतान हेतु अविलम्ब हस्तान्तरित करावें।
 5. संबंधित उपनिदेशक, मबावि 33।
 6. संबंधित कार्यक्रम अधिकारी 33 को भेजकर लेख है कि संबंधित संस्थाओं को उपरोक्त शर्तों एवं भुगतान में अंकित बिन्दु अनुसार संबंधित संस्था को भुगतान करावें।
 7. स्वयंसेवी संस्था को भेजकर सूचित किया जाता है कि प्रशिक्षण प्रारंभ करने हेतु उपरोक्त समस्त 7 शर्तों को ध्यान में रखते हुए प्रशिक्षण प्रारंभ किया जाए तथा भुगतान हेतु भी उपरोक्त समस्त 7 शर्तों की क्रमवार पूर्ति कर भिजवाने पर ही भुगतान किया जाएगा।
 8. लेखाधिकारी मुख्यालय।
 9. लेखाकार, बजट / लेखाकार, एसएचजी मुख्यालय जयपुर।
 10. रक्षित पत्रावली।
- 11- वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रोग्रामर म.प्र.।

अतिरिक्त निदेशक SHG
महिला अधिकारिता
राजस्थान, जयपुर



सत्यमेव जयते

No 8-98/2013-Leadership
Government of India
Ministry of Minority Affairs

11th Floor, Paryavaran Bhavan,
C.G.O Complex , Lodhi Road,
New Delhi-110003

Dated: 2nd January, 2014.

To

The Pay & Accounts Officer,
Ministry of Minority Affairs,
Paryavaran Bhavan, CGO Complex,
New Delhi

Subject: Release of 1st installment (50%) of non-recurring Grant-in-Aid for the year 2013-14 to 'Gramin Vikas Yuwa Sansthan , Madhuwan Vihar Colony, Sainthal road Dausa, 303303, Rajasthan' for organizing Leadership Development training programme at Dausa (Rajasthan) under the "Scheme For Leadership Development of Minority Women" (Nai Roshni).

Sir,

I am directed to convey the sanction of the President of India for an amount of Rs. 3,57,750/- (Rupees Three Lakh Fifty Seven Thousand Seven Hundred and Fifty only), towards the cost for organizing Leadership Development training for Minority Women for 125 (One Hundred and Twenty Five Only) Non Residential training for selected trainees at Dausa District (Rajasthan) and release of Rs. 1,78,875/- (Rupees One Lakh Seventy Eight Thousand Eight Hundred And Seventy Five only) for Non -Residential as first installment(50%) during the year 2013-14, to 'Gramin Vikas Yuwa Sansthan , Madhuwan Vihar Colony, Sainthal Road Dausa, 303303, Rajasthan , as per details at Annexure - I. The above sanction is subject to fulfillment of following terms and conditions as given in para 2(i-xii) and the Guidelines prescribed under the Scheme:

2 (i) Grant-in-aid has been given to the above mentioned organizations on the basis of the recommendation of Government of Rajasthan. It is incumbent on the part of Government of Rajasthan to ensure that the organization recommended by them utilize the fund for the purpose it has been sanctioned.

(ii) The Organization will not obtain grant for the same purpose or activity from any other Ministry or Department of Government of India or State Government and or any other body.

(iii) The Organization will not divert grant-in-aid and entrust the execution of the project for which the Grant-in-Aid is sanctioned to another organization or institution.

G. Mishra
21/1/14

No funds out of this grant should be utilized for any new/other scheme for which prior approval of Government has not been obtained.

(iv) The organization will submit the Progress Report and Expenditure Statement as soon as the training is complete. It should be item wise. Format may be seen on website of the Ministry of Minority Affairs at <http://www.minorityaffairs.gov.in/>.

(v) The Organization will maintain subsidiary accounts of the Government grant and furnish the audited statement of accounts with utilization certificate in GFR 19 (A) at the end of financial year 2013-14 to the Government.

(vi) The accounts of the Organization shall be open to inspection by the sanctioning and recommending authority and audit, both by the Comptroller and Auditor General of India and Internal Audit Wing of Officer of Chief Controller of Accounts of this Ministry, whenever the Organization is called upon to do so.

(vii) The assets acquired wholly or substantially out of Government grant should not be disposed of without prior sanction of the President, encumbered or used for purpose other than those for which grant has been sanctioned. The organization is required to maintain a Register of such assets and send an annual statement in the prescribed proforma to this Ministry at the end of the financial year.

(viii) If the Government is not satisfied with the progress of the project or considers that the conditions of sanction are being violated, it reserves the right to terminate the grant-in-aid and/or to blacklist the organization from future grant or any other financial assistance from the Government, apart from taking appropriate civil and criminal legal action.

(ix) It is further certified that grant-in-aid to the grantee is sanctioned in accordance with pattern of financial assistance approved and is in conformity with guidelines of the Scheme.

(x) The Grant-in-Aid is further subject, to the conditions laid down in General Financial Rules as amended from time to time.

(xi) The Grants-in-Aid is further subject, to fulfillment of terms and conditions to the provisions including Financial norms as laid down in the "Scheme for the Leadership development of Minorities Women" and further instructions/directions from the Government of India from time to time.

(xii) As per para 20(e) of the "Scheme for Leadership Development of Minority Women", the organization shall utilize the financial assistance for the specified purposes only. The organization shall give an undertaking that in the event of acting in contravention of this condition, it will refund the amount received from the Government with 18% annual penal interest and any other action, as deemed necessary by Government.

3. Certified that there is no unspent balance available with the organization.

4. Certified that this sanction has been noted at Sl. No. 116 in the Register of Grants.

[Handwritten signature and stamp]

5. The organization has executed bond in the prescribed format which has been accepted by the Competent Authority.
6. The Drawing & Disbursing Officer of this Ministry will prepare the bill for an amount of Rs. 1,78,875/- (Rupees One Lakh Seventy Eight Thousand Eight Hundred And Seventy Five only), 1st installment for the year 2013-14, in favour of 'Gramin Vikas Yuwa Sansthan, Madhuwan Vihar Colony, Sainthal Road Dausa, 303303. The amount may be transferred electronically through RTGS to the Organization's Bank, (Oriental Bank of Commerce), Branch: Santhal Mod, Jaipur Road Dausa, Account No 15602191019490, MICR Code 303022002, IFSC/RTGS Code -
7. The amount is debitible from Demand No. 68 - Ministry of Minority Affairs, Major Head "2235" - Social Security and Welfare, Sub Major Head "02" - Social Welfare, "200"- Other Programmes, 16 - Scheme for Leadership Development of Minority Women, 16.00.31 - Grant-in-Aid-General for the year 2013-14 (Plan).
8. The Grant-in-Aid is sanctioned under the additional power delegated to this Ministry vide Ministry of Finance' Officer Memorandum No. F10 (a) E (Coord.) 62 dt. 1st June 1962. The sanction letter is issued with the concurrence of JS & FA vide Dy. No. 860 dated 20/12/2013.
9. No UC is pending.

Yours faithfully,

G. Mishra
2/11/14
(Geeta Mishra)

Under Secretary to the Government of India

Copy to:-

1. Gramin Vikas Yuwa Sansthan, Madhuwan Vihar Colony, Sainthal road Dausa, 303303,
2. Secretary/Principal Secretary, Government of Rajasthan, Minority Welfare Department.
3. The Director, Audit Central Revenue (Special Cell) AGCR Building. I.P. Estate, New Delhi-110002.
4. Director (IFD), Ministry of Minority Affairs.
5. The Drawing & Disbursing Officer, Ministry of Minority Affairs, 11th Floor, Paryavaran Bhawan, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi-110003.
6. Budget Section/S.O. Guard File.
7. Dausa District Minority Welfare Officer.
8. Director (Information) Concerned State Government for wide publicity.

G. Mishra
2/11/14
(Geeta Mishra) SNRA

Under Secretary to the Government of India



कार्यालय परियोजना निदेशक (आत्मा), दौसा

क्रमांक:-आत्मा/2013-14/ 287-34

दिनांक:- 10-2-14

कार्यालय - आदेश

आत्मा योजनान्तर्गत वर्ष 2013-14 में गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा सम्पन्न की जाने वाली गतिविधियों का आवंटन संस्थावार विभागीय मापदण्ड एवं दिशा निर्देशानुसार पंचायत समितिवार निम्न प्रकार कार्य करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। अतः सम्बन्धित संस्था अपने आवंटन क्षेत्र में आवंटित कार्यानुसार विभागीय कार्य करने हेतु दिनांक व स्थानवार कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व कार्यक्रम बनाकर कार्यालय में अधोहस्ताक्षर कर्ता को प्रेषित करें तत्पश्चात ही कार्य प्रारम्भ कर प्रशिक्षणों के बिल बाउचर अविलम्ब कार्यालय में समायोजन हेतु प्रस्तुत करें।

क्र. सं.	गतिविधि	दौसा		लालसोट		बांदीकुई		सिकराय		महवा		कुल		विशेष विवरण
		ग्रामीण विकास युवा संस्थान	पर्यावरण मित्र संस्थान	राहुल शिक्षा समिति, मालाबास	ग्राम विकास युवा समिति, बागथर बसेडी	चेतना विकास संस्थान, बांदीकुई	योग	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	
1	बीटीसी कृषक प्रशिक्षण	2	0.36	1	0.18	1	0.18	2	0.36	0	0	6	1.08	सभी कृषि
2	बीडीए समूह निर्माण एवं प्रशिक्षण	10	0.50	10	0.50	10	0.50	10	0.50	10	0.50	50	2.50	कृषि-4, उद्यान-3, पशुपालन-3

प्रशिक्षण में 30 प्रतिशत महिलाओं को ग्रुप निर्माण एवं प्रशिक्षण में आवश्यक रूप से शामिल करे। कृषक प्रशिक्षणों का आयोजन निम्न क्षेत्रों में किया जाना है- पंचायत समिति दौसा में स0क00अ0 क्षेत्र सैंथल व नांगल राजावतान, सिकराय में सिकन्दरा व मानपुर, बांदीकुई में बडियाल कलां व लालसोट में राहुवास।

संलग्न :- दिशा निर्देश - 4 पेज

परियोजना निदेशक (आत्मा)
दौसा

दिनांक:- 10-2-14

क्रमांक:-आत्मा/2013-14/ 287-34

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. श्रीमान जिला कलक्टर दौसा।
2. श्रीमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, दौसा।
3. ग्रामीण विकास युवा संस्थान, मधुवन विहार कॉलोनी, दौसा।
4. ग्राम विकास युवा समिति बागथर बसेडी, धौलपुर।
5. पर्यावरण मित्र संस्था आशावरी माता मन्दिर खो नगोरियान जगतपुरा जयपुर।
6. चेतना विकास संस्थान, जागीर बांदीकुई दौसा।
7. राहुल शिक्षा समिति मालाबास तहसील सिकराय जिला दौसा।
8. बीटीएम पंचायत समिति दौसा/सिकराय/लालसोट/बांदीकुई/महवा।
9. बी.टी.टी. कन्वीनर दौसा/सिकराय/लालसोट/बांदीकुई/महवा।
10. लेखा/कैश शाखा कार्यालय हाजा को एनजीओ को भुगतान हेतु।

परियोजना निदेशक (आत्मा)
दौसा

**Office of the Chief Engineer,
State Water Resources Planning Department,
Sinchai Bhawan, JLN Marg, Jaipur
Ph. 0141-2709869**

WORK ORDER

No: SWRPD/SE (R&D)/Stage-II / 3526

Date: 9/9/13

To,

Gramin Vikas Yuva Sansthan,
Madhuwan Vihar Colony,
Sainthal Road, Dausa-303303

Subject: Hiring of Agency for Handholding and capacity building of PRIs for facilitation of implementation of IWRM activities in 11 Pilot Districts under EU-SPP

Ref: Your proposal submitted on dated 27.6.2013 & 30.8.2013 in reference of this office EoI dated 8.5.2013 & letter No: SWRPD/SE (R&D)/Stage-II /3197-3222 dated 16.8.2013 for RFP respectively.


Sir,

In reference to above cited subject, your proposal under reference has been accepted by the government for the above work in **Jodhpur** district for amounting to Rs **33280688/=** (Rs Three Crore Thirty Two Lac Eighty Thousand Six Hundred Eighty Eight Only) with detail and conditions as per this office EoI dated 8.5.2013 & RFP.

Duration of time: Twelve Months from stipulated date of commencement. Stipulated date of commencement will be 15 days from the date of signing of the contract.

You are requested to attend this office for signing of agreement with Executive Engineer (R&D-I), SWRPD, Jaipur of this office within 15 days of issuance of the letter of intent of this work order after compliance of following pre-conditions, otherwise work order will be rejected:

1. Security deposit @ 5% of work order amount in form of DD or bank guarantee of a scheduled bank of RBI in favour of Head of Office & DDO, Superintending Engineer, Water Planning, o/o State Water Resource Planning Department, Sinchai Bhawan, JLN Marg, Jaipur for a period 45 days after the stipulated date of completion.
2. Non Judicial Stamp of value of Rs. 5000/=
3. Authorization letter to sign the contract along with resolution of the Board of Directors of NGO.
4. Authorization letter to sign the contract along with resolution of the Board of Directors of consortium, NGO, if any.


Chief Engineer,
SWRPD, Jaipur

No: SWRPD/SE (R&D)/Stage-II /

Date:

Copy to the following for information and necessary action:

1. Accountant General, AG office, Rajasthan, Jaipur
2. D.D.O. & S.E.(W.P.), SWRPD, Jaipur
3. Superintending Engineer (R&D), SWRPD, Jaipur
4. Executive Engineer (R&D-I), SWRPD, Jaipur is directed to sign the contract agreement with NGO's as above.
5. Sr.A.O., SWRPD, Jaipur.
6. Cashier, SWRPD, Jaipur.
7. Team leader of European commission, 21, Vishnupuri Durga Pura, Jaipur

|
Chief Engineer
SWRPD, Jaipur

राजस्थान सरकार
आयुक्तालय, महिला अधिकारिता
महिला एवं बाल विकास विभाग

कर्मांक:- एफ19(2)0/मअ/सबला /व्या. प्रशिक्षण/2012/3660-69 जयपुर, दिनांक 12/4/13

उपनिदेशक

महिला एवं बाल विकास विभाग

जिला बीकानेर, बाड़मेर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, जयपुर,
जोधपुर, झालावाड़, उदयपुर, डूंगरपुर, श्री गंगानगर

विषय:- सबला किशोरियों को स्वावलंबन योजना की तर्ज पर चयनित संस्थाओं के माध्यम से व्यावसायिक प्रशिक्षण से जोड़े जाने के संबंध में।

वित्तीय वर्ष 2012-13 में जिलों को आवंटित बजट एवं अनुमोदित भौतिक एवं वित्तीय कार्ययोजना के अनुसार व्यावसायिक प्रशिक्षण मद में आवंटित बजट में से 73% का उपयोग स्वावलंबन अन्तर्गत चयनित संस्थाओं तथा 27% का उपयोग NYK के सहयोग से सबला किशोरियों को व्यावसायिक प्रशिक्षणों से जोड़ने हेतु किया जाना है।

उक्त के क्रम में राज्य स्तरीय सशक्तीकरण समिति द्वारा स्वावलंबन अन्तर्गत चयनित संस्थाओं का राज्य सरकार से अनुमोदन के क्रम में सबला योजनान्तर्गत 16 से 18 वर्ष की किशोरियों को स्वावलंबन योजना के अन्तर्गत अनुमोदित संस्थाओं के माध्यम से व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाना है। इस हेतु संस्थाओं को परियोजनावार कार्यों का आवंटन संलग्न सूची (परिशिष्ट-1) तथा शर्तें (परिशिष्ट-2) पर अवलोकनार्थ प्रस्तुत है।

वित्तीय वर्ष 2012-13 में जिलों को आवंटित बजट एवं अनुमोदित कार्ययोजना के अनुसार बजट का विवरण निम्नानुसार है।

1	2	3	4	5
	जिला	वर्ष 2012-13 में व्या.प्रशि. हेतु आवंटित बजट	स्वावलंबन अन्तर्गत चयनित संस्थाओं द्वारा व्यावसायिक प्रशिक्षण हेतु बजट 73%	NYK द्वारा दिए जाने वाले प्रशिक्षणों हेतु बजट 27%
1	बांसवाड़ा	270000	197100	72900
2	बाड़मेर	480000	350400	129600
3	भीलवाड़ा	360000	262800	97200
4	बीकानेर	240000	175200	64800
5	डूंगरपुर	240000	175200	64800
6	जयपुर	540000	394200	145800
7	झालावाड़	210000	153300	56700
8	जोधपुर	330000	240900	89100
9	श्रीगंगानगर	270000	197100	72900
10	उदयपुर	420000	306600	113400
	योग	3360000	2452800	907200

परिशिष्ट-1 स्टावलम्यन की तर्ज पर सबला योजनान्तर्गत स्वयं सेवी संस्थाओं को स्वीकृत व्यवसायिक प्रशिक्षणों का वितरण

क्र	जिला	चयनित प्रस्तावों की संख्या	परियोजना	स्वयं सेवी संस्थाओं की सूची	प्रशिक्षण ट्रेड का नाम	लागत राशि	मूल आन्दोलन प्रस्ताव संलग्न
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	बांसवाड़ा	2	तलवाड़ा	प्रसा अनुसंधान संस्था, कोतवाली थाने के अन्दर, कलेक्ट्री परिसर में, महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र, बांसवाड़ा	रेडीमेट गारमेंट	51150	नहीं
			गढ़ी	राजस्थान इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट सोसायटी 168-बी, गली नं० 8, मोहल कॉलोनी, बांसवाड़ा-327001 (राज०)	रेगजीन बैग कपडे के बैग	31350	नहीं
2.	बाड़मेर	3	शिव	नेहरू युवा मण्डल कश्मीर, ग्रा०पो०-कश्मीर त०- शिव जिला-बाड़मेर मो०- 9413526092	रेडीमेट गारमेंट	51150	हां
			बायतू	अन्तोदय सेवा संस्थान क्षेत्रीय कार्यालय, पंचायत समिति के सामने, बायतू, जिला-बाड़मेर मो०- 9982241459	कपडा बैग	31350	नहीं
			सबाऊ पदमसिंह	अन्तोदय सेवा संस्थान क्षेत्रीय कार्यालय, पंचायत समिति के सामने, बायतू, जिला-बाड़मेर मो०- 9982241459	रेडीमेट गारमेंट	51150	नहीं
3	भीलवाड़ा	6	भीलवाड़ा	ऐवरेस्ट शिक्षा समिति, बी-166-11 अहिंसा सर्किल के पास, सुवाणा रोड, मजिस्ट्रेट कॉलोनी, भीलवाड़ा पि०को० नं०-311001 दूरभाष नं०-9602187533, 9214971868	व्युटीशयन	46750	हां
			शाहपुरा	सरस्वती बाल सेवा समिति क्व काटिया भवन, नजर बाग, पी०ऑफ-शाहपुरा जिला- भीलवाड़ा पिन कोड-3011404 दूरभाष नं०-01484-222169.	आसतारी	46200	हां
			मांडलगढ़	श्री नाथ एक्यूप्रेशर शोध संस्थान, न्यू हाउसिंग बोर्ड कार्नर, शास्त्री नगर, भीलवाड़ा 311001	रेडीमेट गारमेंट	51150	हां
			सुआणा	ग्रामोदय विकास संस्थान, बी-6, शिल्प कॉलोनी, झोटवाड़ा, जयपुर-302012 मो०-09680065076	व्युटीशयन	45750	हां
			दुरडा	प्रीति आदर्श विकास समिति, मोन०-3ग,39, विज्ञान नगर	व्युटीशयन वर्क व पार्लर	46750	हां

			कोटा-324005 मो0-9829437944, 9024986844				
		बनेडा	प्रभात संस्थान, एफ-94, रीको इण्डस्ट्रीज एरिया रायला, भीलवाडा मो0-9785374311	रेडीमेट गारमेट	51150	हां	
4.	बीकानेर	5	बीकानेर शहर	जय भीम संस्थान नत्थुसर गेट के बाहर जय भीम सदन, बीकानेर 9252128005, 0151-2547329	कपड़े के बैग	31350	हां
		डूंगरगढ़	नारी उत्थान केंद्र समिति, द्वारा एमरल्ड टेलर, वी सेठिया गली बीकानेर 99280773842	रेडिमेंट बैग व कपड़े के बैग	31350	हां	
		लूणकरणसर	मैत्री फाउण्डेशन चेरिटेबल 4 ई 394, जयनारायण व्यास कॉलोनी, बीकानेर	साफट टायज	46400	हां	
		बीकानेर ग्रामीण	शान्ति विकास भारती संस्था बड़ी जसोलाई, बीकानेर	ब्यूटीशियन	46750	नहीं	
		देशनोक	इन्स्टीट्यूट ऑफ फन्डामेंटल स्टडीज आई-7, यत्लम गार्डन, सुदर्शना नगर, बीकानेर 9413481081	खाद्य प्रसंस्करण	31350	हां	
5	डूंगरपुर	2	बीछीवाडा	गायत्री ग्राम विकास संस्था, मु नलवा, पोस्ट-गुमानपुरा, जिला-डूंगरपुर मो0-09636692110	ब्यूटीशियन	46750	नहीं
		डूंगरपुर	शक्ति सेवा संस्थान, सुथारवाडा, डूंगरपुर मो.नं. - 9772544345	रेडीमेट गारमेट	51150	नहीं	
6.	जयपुर	6	बैराठ	गुरुकृपा लोक सेवा संस्थान, 29 सत्य कॉलोनी, हीरापुरा, अजमेर रोड, जयपुर, मो0- 9785438194	ब्यूटीशियन	46750	हां
		फागी	आपणी सहकारी सेवा समिति लि0, यालाजी विहार, माधोराजपुरा, फागी, जयपुर दूरभाष न0-01430-285456	आरातारी	46200	हां	
		जयपुर द्वितीय	अर्पणा शिक्षा समिति, 2/380 विधाधरनगर जयपुर 9414053322	रेडीमेट गारमेट	51150	हां	
		जयपुर चतुर्थ	अवधि प्रयास एवं प्रगति संस्थान, 101-बरकत नगर टॉक फाटक, जयपुर मो0-9929109805	ब्यूटीशियन	46750	हां	
		जयपुर शहर	भारत ज्ञान विज्ञान समिति, 80/200, न्याय पथ, पटेल मार्ग, मानसरोवर,	रेडीमेट गारमेट महिला	51150	हां	

			जयपुर-302020 दूरभाष-0141-2783338			
		चाकसू	सांस्कृतिकी कल्चरल सोसायटी, 8वीं बूज कॉलोनी, चम्बल पॉवर हाउस, सिविल लाईन्स, जयपुर-302019(सबला)	रेडीमेट गारमेट	51150	हां
7.	झालावाड	7	झालावाड शहर नेहा एज्युकेशन एण्ड वेलफेयर सोसायटी, राजस्थानपब्लिक स्कूल, राडी के बालाजी रोड, नई कालोनी, झालावाड-326001 मो.न. 9001795719, 9799264848 (जिले से प्राप्त)	महिला मोटर ड्राइविंग	51150	हां
		झालराफाटन	बहुउद्देशीय शिक्षा संस्थान, 1303 आर.के. पुरम, कोटा(जिले से प्राप्त)	ब्युटीशियन	46750	नहीं
		झालावाड	सांस्कृतिकी कल्चरल सोसायटी, 8वीं बूज कॉलोनी, चम्बल पावर हाउस, सिविल लाईन्स, जयपुर दूरभाष-2296222(जिले से प्राप्त)	कशीदाकारी	31350	हां
		खानपुर	सोशल वेलफेयर एण्ड रुरल डवलपमेण्ट सोसायटी, 127, साईनाथपुरम तृतीय, कोटा रोड, झालावाड - 326001 मो.नं. 9413026177 दूरभाष - 7432-230841(जिले से प्राप्त)	अरी-तारी	46200	हां
		डग	सांस्कृतिकी कल्चरल सोसायटी, 8वीं बूज कॉलोनी, चम्बल पॉवर हाउस, सिविल लाईन्स, जयपुर-302019	रेडीमेट गारमेट महिला	51150	हां
		बकानी	सांस्कृतिकी कल्चरल सोसायटी, 8वीं बूज कॉलोनी, चम्बल पॉवर हाउस, सिविल लाईन्स, जयपुर-302019	ब्युटीशियन	46750	हां
		पिडावा	सांस्कृतिकी कल्चरल सोसायटी, 8वीं बूज कॉलोनी, चम्बल पॉवर हाउस, सिविल लाईन्स, जयपुर-302019(सबला)	क्वालीटेड आइटम	51150	हां
8.	जोधपुर	5	बालेसर जोधपुर प्रौढ शिक्षण समिति, 44, महावीर नगर, रेजीडेंसी रोड, जोधपुर दूरभाष--0291-2433284, 2640654	रेडीमेट गारमेट	51150	नहीं
		बिलाडा	सर्वोदय विकास संस्थान, 78-गासत्री नगर, जिला-पाली मो0-9414158000	फिमेल गार्ड	29700	हां

			नाप	ग्रामीण विकास युवा संस्थान, नद्युवन बिहार कॉलोनी, सैथल रोड, दौसा-303303 दूरभाष-01427-220533, मो-9785000642	ब्युटीशियन	46750	हां
			मण्डोर	दिव्यालोक सेवा संस्थान, 18-ई, चौपासनी हाटसिंग बोर्ड, जोधपुर	रेडीमेड गारमेंट महिला	51150	हां
			जोधपुर शहर	गुरु गोविन्द सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट, वार्ड नं०-12, सेक्टर नं०-12, हनुमानगढ़ जंक्शन, जिला-हनुमानगढ़ पिनकोड-335512 दूरभाष-01552-262338, मो-08875166000	वेंडर डवलपमेंट	41250	हां
9.	श्रीगंगानगर	7	करणपुर	सावित्री मां सेवा संस्थान, 49 सेतिया कॉलोनी, खेत्रपाल मंदिर रोड, श्रीगंगानगर मो.नं. - 9782554954	ब्युटीशियन	46750	हां
			रायसिंहनगर	सावित्री मां सेवा संस्थान, 49 सेतिया कॉलोनी, खेत्रपाल मंदिर रोड, श्रीगंगानगर मो.नं. - 9782554954	ब्युटीशियन	46750	हां
			पदमपुर	कैम्पस पब्लिक स्कूल समिति, 49 सेतिया कॉलोनी, खेत्रपाल मंदिर रोड, श्रीगंगानगर मो.नं. - 9414501783	ब्युटीशियन	46750	हां
			श्री गंगानगर शहरी	कैम्पस पब्लिक स्कूल समिति, 49 सेतिया कॉलोनी, खेत्रपाल मंदिर रोड, श्रीगंगानगर मो.नं. - 9414501783	ब्युटीशियन	46750	हां
			सूरतगढ़	कैम्पस पब्लिक स्कूल समिति, 49 सेतिया कॉलोनी, खेत्रपाल मंदिर रोड, श्रीगंगानगर मो.नं. - 9414501783	ब्युटीशियन	46750	हां
			सादुलशहर	मेरी एंजल पब्लिक स्कूल संस्थान, 12 प्रथम ब्लाक, वार्ड नं. 12, पुरानी आवादी, श्रीगंगानगर - 335001 दूरभाष - 0154-2452815	ब्युटीशियन	46750	हां
			श्री गंगानगर ग्रामीण	मेरी एंजल पब्लिक स्कूल संस्थान, 12 प्रथम ब्लाक, वार्ड नं. 12, पुरानी आवादी, श्रीगंगानगर - 335001 दूरभाष - 0154-2452815	ब्युटीशियन	46750	हां
10	उदयपुर	3	उदयपुर शहर	विकलांग कल्याण समिति, ट्रेड सेंटर 27-28, बस स्टैण्ड रोड, सुरजपोल बाहर, उदयपुर मो-9352507222	अगरवल्ली उत्पादन	34650	हां

		सलुम्बर	पूर्ण प्रगति सेवा क्स्थान, महादेव खंडा बस्ती, सागघोत, त0-सलुम्बर, जिला-उदयपुर मो0-- 9460912402, 9460912402, 9670365894	रेडीमेट गारमेट	51150	हां
		गिरवा	बहुउददेशीय महिला विकास प्रशिक्षण संस्थान, सूरजपोल अन्दर जनता मार्ग खटिक भाड़ा, उदयपुर उदयपुर	ब्युटी पार्लर	46750	नहीं

5


संलग्न सूची (परिशिष्ट-1) में संस्थाओं को परियोजनावार कार्य का आवंटन किया गया है। जिन संस्थाओं द्वारा सबला योजना हेतु 250/-रुपये शुल्क नहीं जमा कराया गया है उनसे आवंटन शुल्क जमा कराते हुए रशीद की एक-एक प्रति आयुक्तालय भिजवावें।

संस्थाओं को प्रशिक्षण आयोजन के कार्यादेश जारी करवाते हुए स्वावलंबन योजनान्तर्गत निहित भुगतान प्रक्रिया के अनुसार राशि का भुगतान सुनिश्चित करावे। इसके अतिरिक्त जिन जिलों में स्वावलंबन अन्तर्गत चयनित संस्थाओं हेतु आरक्षित बजट से कम बजट का उपयोग हुआ है वहां इन्ही चयनित संस्थाओं से सैनेटरी नैपकिन निर्माण के परियोजनावार प्रस्ताव प्राप्त कर प्रशिक्षण आयोजित करावें।

स्वावलंबन के अतिरिक्त बजट तालिका में नेहरू युवा केन्द्र संगठन के माध्यम से प्रशिक्षण आयोजित कराने हेतु भी बजट (27%) आवंटित किया गया है। अतः इस बजट से जिला युवा समन्वयक नेहरू युवा केन्द्र से समन्वय स्थापित करके किशोरियों को योग एवं प्राणायाम प्रशिक्षण तथा आत्मरक्षा प्रशिक्षण का आयोजित करवाए जाने है। इसके संबंध में दिशा निर्देश पृथक से भिजवाये जा रहे हैं।

उक्त सभी प्रशिक्षणों की जिला स्तरीय एकजाई रिपोर्ट निम्न हस्ताक्षरकर्ता को भिजवाना सुनिश्चित करावें।

संलग्न-उपरोक्तानुसार


आयुक्त

महिला अधिकारिता
राजस्थान, जयपुर

कमांक:- एफ19(2)0/मअ/सबला /व्या. प्रशिक्षण/2012/36680-81 जयपुर, दिनांक 12/4/13
प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. निजी सचिव, निदेशक, ICDS, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. कार्यक्रम अधिकारी, महिला अधिकारिता, जिला झालावाड, बीकानेर, जोधपुर, श्री गंगानगर, भीलवाडा, उदयपुर, बांसवाडा, जयपुर, डूंगरपुर एवं बाड़मेर।



अति. निदेशक
महिला अधिकारिता
राज. सरकार

परिशिष्ट-1स्वावलम्बन की तर्ज पर सबला योजनान्तर्गत स्वयं सेवी संस्थाओं को स्वीकृत व्यवसायिक प्रशिक्षणों का विवरण

15	दुर्गेन बससमेन्ट एन्ड ट्रेनिंग सोसायटी, गोदादा पंचायत, देवी के मन्दिर के पास, डपुग-बरवाला का बस, जिला-बारनेर	धीरामल	जालौर	एग्रे, जूरीया	42900	20	45	10725	27885	4250
16	सोसायटी ऑर अपलिफ्ट अरबन इन्फ्रिस्ट्रि, बस स्टैंड के पास, एन.आई.सी. रोड, बलीवाय जिला-बारनेर		जालौर	आसतारी घर	48200	30	60	11550	30030	4820
17	ग्रुपुपदेरीय विद्या संस्थान, 1303 आर.के. पुरम, कोटा	आसतरपाट न	आसताबाड	ग्रुटीशिवन	46750	20	60	11687	30388	4675
18	बर्से इयप साहायता समूह, भनपत जैन का मध्याम, महिला बादे के पास, मंगलपुर, जाताबाड-326001	बकानी	आताबाड	ग्रुटीशिवन	46750	20	60	11687	30388	4675
19	जोधपुर प्रोड विद्या समिति, 64, महावीर मगर जेजीबेनी रोड, जोधपुर	बाहेतर	जोधपुर	रेडीमेड मार्नेट	51150	30	60	12787	33248	5115
20	श्रीमिण विद्या पुत्रा संस्थान, ग्रुपुप विहार कोलोनी, सैयस रोड, दोसा-302303	बाप	जोधपुर	ग्रुटीशिवन	46750	20	60	11687	30388	4675
21	सम्पन्न प्राणीय विद्यालय एन सोड संस्थान, बसराय नगर, पुलित सार्जन रोड, सीकर	साबनु	नागीर	रेडीमेड मार्नेट	51150	30	60	12787	33248	5115
22	धीरामली विद्या समिति, टाटा इन्फ्रान के सामने, फूटाकोट, करीली - 322281	करीली ब्याड	जरीली	जरीली मैजिम एन्ड बिजापुन	35500	30	45	6625	25025	3850
23	पटेन फायरवैसन अकामुंगर, प्राणी आसतरपाट, राह, रूपोटवा, जिला-करीली	रुपोटवा	करीली	एग्रे/ जूरीया	42900	20	45	10725	27885	4290
24	करीली एन ग्रुपुप विद्या एन्ड बससमेन्ट सोसायटी, 6-रतन बाई, टाकापी ब्याड, हैमिपाडर पैत जी मन्दिर के पास, बिकानेर	नागीर	नागीर	रेडीमेड मार्नेटस महिला	51150	30	60	12787	33248	5115
25	तवीटप विद्या संस्थान, 18-गासनी नगर, जिला-पाली	पाली ग्रामीण	पाली	फिनेस गाई	29700	30	36	7425	19205	2970
26	सांस्कृतिकी कल्चरल सोसायटी, हरी नृज कोलोनी, चम्पत पीथर हाट, लिपित सार्जन, जयपुर-302018	सेहित	पाली	ग्रुटीशिवन	46750	20	60	11687	30388	4675
27	रामप्रसाद सोड संस्थान, राजसमन्ट राका सदन नप बस कलेक्टरी, जे के रोड, दजसमन्ट	राजसमन्ट प्राणीय	राजसमन्ट	रेडीमेड मार्नेटस महिला	51150	30	60	12787	33248	5115
28	जागृति सेवा संस्थान, 12-ए संस्कृती रोड, बिलकानगर	बिलकानगर	राजसमन्ट	रेडीमेड मार्नेट महिला	51150	30	60	12787	33248	5115
29	पुत्री संस्था, 128, महावीर नगर, पासा-80 फूट रोड, सागानेर, जयपुर-302029	सवाईमको पुर	सवाईमको पुर	ग्रुटीशिवन	48750	20	60	11687	30388	4875
30	द्वार संस्थान सुन्दरी, राम व पीट-सुन्दरी, बला-रिपताई, 1480-बामनवास, जिला-सवाईमकोपुर-322214	बामनवास	सवाईमको पुर	रेडीमेड मार्नेटस महिला	51150	30	60	12787	33248	5115
31	सुविनी न संस्था, 49 सुविनी कोलोनी, खेजवाल मंदिर रोड, श्रीनगरनगर	सवाईमकोपुर	श्रीनगरनगर	ग्रुटीशिवन	48750	20	60	11687	30388	4875
32	पैरी एजत पब्लिक स्कूल संस्थान, 12 प्रथम स्तर, बाई नं. 12, पुरानी आबादी, श्रीनगरनगर - 335001	श्रीनगरपुर	श्रीनगरनगर	ग्रुटीशिवन	48750	20	60	11687	30388	4875
33	सुधीय प्राणीय विद्यालय समिति, टिड पुत्रा कापुलेगा, पीडब्ल्यू डी ऑफिस के सामने, आगरा रोड, दोसा-302303	आदुवेड	सितोही	रेडीमेड मार्नेटस	51150	30	60	12787	33248	5115

Handwritten signature

34	राजस्थान धारा चूट समिति ए-24, मुगापत बाड़ी, वैजर रीमान सि.डि. स्कूल के पीछे, राजकीय प्राथमिक विद्यालय के पार, जयपुर-302012	विन्डपाडा	सिरोही	करोड़कारी बंग	31350	30	30	7837	20378	3135
35	सांस्कृतिक जनवेतना एवं शैक्षणिक प्रशिक्षण सेवा संस्थान टोक, फाट नं-37, पुराना कोलेजी आदर्श नगर टोक	टोक	टोक	जरी शिप वेज	37850	30	45	9487	24668	3765
36	प्राथमिक विकास समिति, बुजसान नगर, शास्त्री नगर, जयपुर रोड, मातपुरा, जिला-टोक-304502	मातपुरा	टोक	पैडीनेड गारमेंट (नरिते)	51150	30	60	12787	33248	5115
37	जन शिक्षा सांस्कृतिक प्रशिक्षण एवं प्राथमिक आदर्श शैक्षणिक, I-11, परदेस नगर, मन्माला रोड, अटवरा	किशनगढ़ बारा	अजमेर	पैडीनेड गारमेंट बहिला	51150	30	60	12787	33248	5115
38	प्रसा अनुसंधान संस्था, खोपवाली घाने के अन्दर, दालेचुडी परिवार में, बहिला मुस्ता एव सासठ कोट, बासवाडा	सतलुका	सांख्यिका राज	पैडीनेड गारमेंट बहिला	51150	30	60	12787	33248	5115
39	अन्वेषण सेवा संस्थान क्षेत्रीय कार्यालय, संघायात समिति के घराने, बायाल जिला-बाकमेर	सवाक पदमसिंह	बाकमेर	पैडीनेड गारमेंट	51150	30	60	12787	33248	5115
40	राष्ट्रीय विकास भारती संस्था बडी जलोता, बीकानेर	बीकानेर	बीकानेर	म्यूटीशियन	48750	20	60	11687	30388	4875
41	एस.एस. वेतनवेर एवं कपतपरीट कोलायटी, 884, हिनन मगरी, से. नं. 4, जयपुर	किशनगढ़ प्राथमिक	शिलोडगढ़	बहिला गैट बुद्धिदिग	51150	30	60	12787	33248	5115
42	सांस्कृतिक कल्याण कोलायटी, 8-बी, बूज कोलेजी, समेत वीर हायर, रिजिल साइड, जयपुर	बांगसर	शिलोडगढ़	म्यूटीशियन	48750	20	60	11687	30388	4875
43	अन्वेषण संस्था, 19/292, आदर्श कोलेजी, पुनम टाकिज के पीछे, टोक	टोक	टोक	म्यूटीशियन	48750	20	60	11687	30388	4875
44	मुस्ता शिक्षा समिति, अरुण विहार कोलेजी, मुकुन्दपुरे के पार, भीसपुर-302001	भीसपुर प्राथमिक	भीसपुर	बहिला गैट बुद्धिदिग	51150	30	60	12787	33248	5115
45	श्री मुक्तानन्द सिलार, दुन्दु, व कबाले प्रशिक्षण समिति, जग नं. 15, डीन गहन के पास, पीलीबंगा-334003	पीलीबंगा	हनुमानगढ़	पैडीनेड गारमेंट बहिला	51150	30	60	12787	33248	5115
46	कल्पम शिवन मुन्दरन संस्थान, मुझे-254 जिला मुकुन्दपुर	मुकुन्दपुर प्राथमिक	जयपुर	पैडीनेड गारमेंट	51150	30	60	12787	33248	5115
47	बहुउद्देशीय शिक्षा संस्थान, 1303-ए-आरके पुल कोटा	कोटा नगर	कोटा	पैडीनेड गारमेंट	51150	30	60	12787	33248	5115
48	संस्कृति महिला विकास समिति, बी.पी. रंगपुर टोड, जिला-कोटा डि-23240022	मुक्तानपुर	कोटा	टाई एंड बाई बहिला	34650	30	30	8662	22523	3465
49	राजस्थान शैक्षणिक प्रशिक्षण संस्थान, महाट होटल के पीछे, नवलपुरा कोटा- डि-320091	साठपुरा	कोटा	म्यूटीशियन	48750	20	60	11687	30388	4875
50	नवीन प्रशिक्षण संस्थान, मास सिंहर के पास, स्टेसन रोड, सीकर-332101	सिपवाली	सीकर	म्यूटीशियन	48750	20	60	11687	30388	4875
51	शैक्षणिक वनीनज बहुउद्देशीय आजीविका बहिला शैक्षणिक समिति लि. मु.पी. शिलोडगढ़, क-प्रतापगढ़, जिला-प्रतापगढ़	प्रतापगढ़	प्रतापगढ़	पैडीनेड गैट/कपडे के बंग	31350	30	30	7837	20378	3135


शर्तें-

1. संबंधित संस्था को प्रशिक्षण कार्यादेश प्राप्ति के एक सप्ताह के भीतर कार्य प्रारम्भ कर सूचना अधोहस्ताक्षरकर्ता को भिजवाई जानी होगी। प्रशिक्षण प्रारंभ किये जाने से पूर्व संबंधित स्वयंसेवी संस्था प्रशिक्षण प्रारंभ करने की तिथि, स्थान एवं स्थान के पते से संबंधित उपनिदेशक, मवावि/कार्यक्रम अधिकारी, म.अ. को सूचित किया जावे तथा उपनिदेशक, मवावि/कार्यक्रम अधिकारी, म.अ. द्वारा निदेशालय को इस सूचना से शीघ्र अवगत कराया जावेगा। उपनिदेशक, मवावि/कार्यक्रम अधिकारी, म.अ. यह सुनिश्चित करें कि उनके जिले के लिये चयनित एक से अधिक संस्थाएं अपने प्रशिक्षण किसी एक ही स्थान/क्लाक में आयोजित नहीं करें बल्कि संस्थाओं को जिले के विभिन्न स्थानों/वस्तियों की मांग के अनुसार आयोजित करने हेतु निर्देशित करें।
2. प्रशिक्षणार्थियों, मास्टर कापदसमेन एवं सहायक की प्रति दिवस की उपस्थिति पंजिका संचालित की जावे।
3. प्रशिक्षण में कच्चे माल की पर्याप्त उपलब्धता रखी जावे।
4. प्रशिक्षण हेतु महिलाओं का चिन्हिकरण संबंधित NGO द्वारा स्वयं के स्तर से किया जाएगा, प्रशिक्षण प्रारंभ करने से पूर्व जिसका प्रमाणन संबंधित उपनिदेशक, मवावि/कार्यक्रम अधिकारी, म.अ. से कराया जावे।
5. ट्रेड वाईज निर्धारित संख्या से कम या अधिक प्रशिक्षणार्थियों के प्रशिक्षण बैच स्वीकार्य नहीं होंगे।
6. प्रशिक्षणार्थियों के प्रत्येक बैच में 30 में से 10 लाभार्थी विधवा/परित्यक्ता/ तलाकशुदा वर्ग से अनिवार्य रूप से शामिल किये जावे। प्रशिक्षणार्थियों की संख्या बढ़ने की स्थिति में कुल प्रशिक्षणार्थियों में से 30 प्रतिशत लाभार्थी विधवा/परित्यक्ता/एकल एवं तलाकशुदा वर्ग से होने आवश्यक होंगे। शेष प्रशिक्षणार्थी महिलाएं योजना के दिशा निर्देशानुसार SHG/किशोरी बालिका सभी वर्ग की होंगी।
7. प्रशिक्षण ट्रेड अनुसार निर्धारित अवधि में ही आयोजित किये जावे, प्रशिक्षण दिवसों में कमी नहीं की जावे।
8. प्रशिक्षण में उत्पादित श्रेष्ठ डिजाइन सैम्पल, प्रशिक्षण की तकनीकी दक्षता एवं गुणवत्ता जांचने के लिए विभाग को गैजना आवश्यक होगा।
9. प्रशिक्षण उपरान्त सभी प्रशिक्षणार्थियों को रोजगार से जोड़ा जावे एवं उनका निरंतर Follow-up किया जावे।
10. उक्त स्वीकृति में अंकित प्रशिक्षण निर्धारित समयवधि अनुसार आयोजित किया जाना सुनिश्चित किया जावे। प्रशिक्षण कार्यादेश से एक सप्ताह में अति आवश्यक रूप से प्रारंभ कर लिए जावे।
11. स्वावलम्बन योजना के दिशा-निर्देशों में वर्णित समस्त नियमों व शर्तों की पालना सुनिश्चित की जावे।
12. उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में संबंधित जिले के उपनिदेशक, मवावि/कार्यक्रम अधिकारी, म.अ. द्वारा भिजवाया जावे।
13. संस्था को समस्त भुगतान सीधे उसके बैंक खाते में जमा कराये जायेंगे। अतः कार्यादेश प्राप्ति के साथ ही संस्थाओं को अपने बैंक खाते की सूचना यथा- पासबुक के फ्रन्ट पेज की फोटो प्रति, खाता नंबर, ब्रांच का नाम, बैंक शाखा का IFSC कोड अपने लेटर हेड पर जिला स्तरीय कार्यालय को भिजवानी होगी।

14 भुगतान प्रक्रिया-


संस्थाओं को भुगतान निम्नानुसार किया जायेगा -

- संस्था को आदेश दिये जाने पर स्वीकृत राशि का 25% भुगतान प्रथम किश्त के रूप में किया जायेगा।
- प्रशिक्षण के संतोषप्रद पाये जाने की रिपोर्ट प्राप्त होने पर स्वीकृत राशि का 65% भुगतान द्वितीय किश्त के रूप में किया जायेगा।
- 10% राशि का भुगतान प्रशिक्षण पश्चात संस्था द्वारा 6 माह तक फॉलोअप/हैंडलिंग कर स्वरोजगार से जुड़ने के पश्चात किया जाएगा, इस आशय का प्रमाण पत्र संस्था द्वारा संबंधित जिले के उपनिदेशक, मवावि/कार्यक्रम अधिकारी, म.अ. को दिया जाएगा। प्रशिक्षित महिला द्वारा 1100 रु प्रतिमाह आय अर्जन योग्य किया जाना आवश्यक है। तत्पश्चात् शेष राशि अंतिम किश्त के रूप में भुगतान की जायेगी।
- संस्थाओं को प्रशिक्षण कार्यक्रम का समस्त भुगतान जिला स्तरीय कार्यालय से किया जायेगा।
- संबंधित ट्रेड के लिए बजट प्राक्धान अनुसार व्यय सीमा रखी जावे।


(डॉ. सरिता सिंह)
आयुक्त
महिला अधिकारिता
राज., जयपुर

क्रमांक पं.15 (1)0निम्न/एसएचजी/स्वावलंबन/12-13/11070-2080 जयपुर, दिनांक 12-3-13
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, मवावि।
 2. निजी सहायक, आयुक्त, महिला अधिकारिता, मुख्यालय।
 3. मुख्य लेखाधिकारी, महिला अधिकारिता, जयपुर।
 4. उपनिदेशक, मवावि/कार्यक्रम अधिकारी, म.अ.
 5. स्वयंसेवी संस्था
- को भेजकर सूचित किया जाता है कि प्रशिक्षण प्रारंभ करने हेतु उपरोक्त समस्त 14 शर्तों को ध्यान में रखते हुए प्रशिक्षण प्रारंभ किया जाए तथा भुगतान भी उपरोक्त समस्त 14 शर्तों की क्रमवार पूर्ति करने पर ही किया जाएगा।
6. सहायक लेखाधिकारी (भुगतान) मुख्यालय।
 7. लेखाकार, म.अ. मुख्यालय/क0 लेखाकार, एसएचजी
 8. प्रोग्रामर, आई.सी.डी.एस. को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु
 9. रक्षित पत्रावली।


(डॉ. मुक्ता अरोड़ा)
अतिरिक्त निदेशक SHG
महिला अधिकारिता
राजस्थान, जयपुर



कार्यालय परियोजना निदेशक (आत्मा) दौसा
क्रमांक:-पी.पी.पी / आत्मा / 2012-13 | 6480-95

दिनांक:- 8-3-2013

कार्यालय आदेश

आत्मा योजनान्तर्गत वर्ष 2012-13 में गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा सम्पन्न की जाने वाली गतिविधियों का आवंटन संस्थावार विभागीय मापदण्ड एवं दिशा निर्देशानुसार पंचायत सगितिवार दो दिवसीय जिला स्तरीय कृषक प्रशिक्षण निम्न प्रकार कार्य करने की स्वीकृति प्रदान की जाती हैं। अतः सम्बन्धित संस्था अपने आवंटन कार्यानुसार विभागीय कार्य करने हेतु दिनांकवार कार्य विवरण बनाकर भेजते हुए शीघ्र कार्य प्रारम्भ कर 20 मार्च, 2013 तक प्रशिक्षणों के बिल बाउचर कार्यालय में समायोजन हेतु प्रस्तुत करें। 20 मार्च तक बिल बाउचर सबमिट नहीं होने पर आवंटित आदेश स्वतः निरस्त समझे। जिसकी जिम्मेदारी आप स्वयं की होगी। प्रशिक्षण में 30 प्रतिशत महिला एवं एस.सी./एस.टी का नियमानुसार भाग्यदारी सुनिश्चित करें।

क्र.सं.	गतिविधि	दौसा		महवा		वांदीकुई		सिकराय		लालसोट		कुल		विशेष विवरण
		ग्रामीण विकास युवा संस्थान, दौसा	ग्रामीण युवा शिक्षा संस्था, वागधर वसेडी (धोलपुर)	चेतना विकास संस्थान, जागीर वांदीकुई	राहुल शिक्षा समिति, मालावास	पर्यावरण मित्र संस्थान	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	
1	बी 2 सी कृषक प्रशिक्षण	4	0.72	5	0.90	4	0.72	5	0.90	4	0.72	22	3.96	कृषि-2/3 उद्यान-1 पशुपालन-1
		4	0.72	5	0.90	4	0.72	5	0.90	4	0.72	22	3.96	

रिवा

परियोजना निदेशक (आत्मा)

दौसा

दिनांक:- 8-3-2013

क्रमांक:-पी.पी.पी / आत्मा / 2012-13 | 6480-95

प्रतिलिपि: सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- 1 श्रीमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प. दौसा।
- 2 राहुल शिक्षा समिति मालावास, तह. सिकराय, जिला दौसा।
- 3 ग्रामीण युवा शिक्षा संस्थान, दौसा।
- 4 ग्रामीण युवा शिक्षा संस्था, वागधर वसेडी (धोलपुर)।
- 5 चेतना विकास संस्थान, जागीर वांदीकुई जिला दौसा।
- 6 लेखा/कैश शाखा कार्यालय हाजा को एनजीओ को भुगतान हेतु।
- 7 बीटीएम पंचायत समिति दौसा/सिकराय/वांदीकुई/महवा।

रिवा

परियोजना निदेशक (आत्मा)

कार्यालय परियोजना निदेशक (आत्मा), दौसा

क्रमांक/पी.पी.पी./आत्मा/2012-13/ 17 59- 69

दिनांक: 11.02.13

कार्यालय आदेश

आत्मा योजनान्तर्गत वर्ष 2012-13 में गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा सम्पन्न की जाने वाली गतिविधियों का आवंटन संस्थावार विभागीय मापदण्ड एवं दिशा निर्देशानुसार पंचायत समितिवार निम्न प्रकार कार्य करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। अतः सम्बन्धित संस्था अपने आवंटन क्षेत्र में आवंटन कार्यानुसार विभागीय कार्य करने हेतु दिनांकवार कार्य विवरण बनाकर भेजते हुए शीघ्र कार्य प्रारम्भ कर 15 फरवरी, 2013 तक प्रशिक्षणों के बिल वाउचर कार्यालय में समायोजन हेतु प्रस्तुत करें।

क्र. सं.	गतिविधि	दौसा		लालसोट		बांदीकुई		सिकराय		कुल		विशेष विवरण
		ग्रामीण विकास युवा संस्थान		पर्यावरण मित्र संस्थान		चेतना विकास संस्थान, जागीर		राहुल शिक्षा समिति, मालावास		योग		
		भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	
1	बी2सी कृषक प्रशिक्षण	8	1.44	8	1.44	8	1.44	8	1.44	32	5.76	कृषि-5 उद्यान-2 पशु पालन-1
2	बी5ए समूह निर्माण एवं प्रशिक्षण	10	0.50	10	0.50	10	0.50	10	0.50	40	0.50	कृषि-5 उद्यान-3 पशु पालन-2
	योग	18	1.94	18	1.94	18	1.94	18	1.94	78	1.94	

प्रशिक्षण में 30 प्रतिशत महिलाओं को ग्रुप निर्माण एवं प्रशिक्षण आवश्यक रूप से शामिल करें।

परियोजना निदेशक (आत्मा)

दौसा

दिनांक : 11.02.2013

क्रमांक/पी.पी.पी./आत्मा/2012-13/ 17 59- 69

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. श्रीमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प. दौसा
2. राहुल शिक्षा समिति मालावास, तह. सिकराय, जिला दौसा
3. ग्रामीण विकास युवा संस्थान, दौसा
4. पर्यावरण मित्र संस्थान, जगतपुरा जयपुर
5. चेतना विकास संस्थान, जागीर बांदीकुई जिला दौसा
6. लेखा/कैश शाखा कार्यालय हाजा को एनजीओ को भुगतान हेतु
7. बीटीएम पंचायत समिति दौसा/सिकराय/बांदीकुई/लालसोट

परियोजना निदेशक (आत्मा)

दौसा

कार्यालय जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ), जयपुर

उपरोक्त संस्थाएँ एवं एनजीओ कार्य/कार्य

894-525

दिनांक 27/11/2012

कार्यालय आदेश

स्वर्णजयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजनान्तर्गत स्वयं सहायता समूह गठन, क्षमता वर्धन, ग्रेडिंग तथा बैंक लिंकेज कार्य में लिफा गैर सरकारी संस्थाएँ जो गत वर्ष जिले में कार्यरत थीं उनमें से निम्न गैर सरकारी संस्थाओं का कार्यकाल विकास अधिकारियों की अनुशंसा के आधार पर एवं दिनांक 23.07.2012 को आयोजित जिला स्तरीय एवजीएसवाई की बैठक में अनुमोदन करवाकर दिनांक 31.3.2013 तक बढ़ाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। गैर सरकारी संस्थाओं की सूची जिनका कार्यकाल बढ़ाया गया है।

क्र०सं०	प०स०	संस्था का नाम मय पता
1	आमर	1. जनकैला साहित्य मंच, जयपुर डी-17 अशोक बिहार भृगुपथ न्यू सांगानेर रोड, जयपुर 2. फ्रेण्ड्स आर्गनाइजेशन फार रिसर्च एण्ड डेव. सोसायटी प्लॉट नं. ए-19 अम्बेडकर कालोनी, टोक जिला-टोक 3. सौहार्द विकास संस्थान हाई स्कूल रोड बांदीकुई जिला-दौसा
2	बरसी	1. श्रद्धा महिला प्रशिक्षण केंद्र व शिक्षण संस्थान ए-32 सेठीकालोनी, ज. 2. सिद्धी विनायक विकास संस्थान बांदीकुई जिला-दौसा
3	चाकसू	1. सिकोईडिकोन संस्थान स्वराज परिसर एफ-159, 160 सीतापुरा औद्योगिक एरिया जयपुर 2. सेन्टर फॉर रुरल डेवलपमेन्ट एण्ड कन्सलेंट मु०पो०थली, चाकसू
4	दूदू	1. राजस्थान ग्राम विकास सेवा संस्थान ग्रा०पो० मीरमपुरा, दूदू 2. राजस्थान पर्यावरण विकास शोध संस्थान 124 माधव कालोनी मदार रोड, अजमेर
5	गोविन्दगढ़	1. प्रथम संस्कृति सेवा समिति शारद्री कालोनी चौधवाडी तह०चौमू
6	साठवाडा	1. ग्रामीण विकास युवा संस्थान मधुवन विहार कालोनी सैथल रोड, दौसा
7	जन्मशानगढ़	1. ग्रामीण विकास युवा संस्थान मधुवन विहार कालोनी सैथल रोड, दौसा
8	वाणी	1. सिकोईडिकोन संस्थान स्वराज परिसर एफ-159, 160 सीतापुरा औद्योगिक एरिया जयपुर 2. राजस्थान पर्यावरण विकास शोध संस्थान 124 माधव कालोनी मदार रोड, अजमेर
9	सांभरलेक	1. सुगम संस्थान विद्युन ग्रा० पो० बिचून वाया सांभरलेक जिला-जयपुर
10	कोटपूतली	1. वाणी संस्थान सांगानेर 118 वी गायत्रीनगर पारदीया हास्पिटल के सामने मालपुरा रोड, सांगानेर
11	सांगानेर	1. वाणी संस्थान सांगानेर 118 वी गायत्रीनगर पारदीया हास्पिटल के सामने मालपुरा रोड, सांगानेर 2. श्रद्धा महिला प्रशिक्षण केंद्र व शिक्षण संस्थान ए-32 सेठीकालोनी, ज.
12	साहपुरा	1. अर्च एण्ड सर्विस सोसायटी ग्रा०पो० तेवडी वाया मेड तह०विराटनगर 2. राधा गोविन्द पब्लिक स्कूल समिति लोचू का वास पो० निढारा तह०साहपुरा जिला-जयपुर 3. राजस्थान हनुमान केयर फाउण्डेशन 21, बम्बानगर गुर्जर की थडी न्यू सांगानेर रोड, जयपुर
13	विराटनगर	1. अर्च एण्ड सर्विस सोसायटी ग्रा०पो० तेवडी वाया मेड तह०विराटनगर 2. पंचायती राज जन चेतना संस्थान, जयपुर डी-15 राजापार्क, जयपुर

उपरोक्त संस्थाएँ पूर्व में आवंटित क्षेत्र में ही कार्य करेंगी, जिस क्षेत्र में कोई एनजीओ कार्य नहीं कर रहा है उस क्षेत्र का अप्रयुक्त विकास अधिकारी द्वारा किया जाएगा।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद (ग्रा.वि.प्र.), जयपुर

प्रतिलिपि:-

1. विकास अधिकारी पंचायत समिति (सन्सद) जिला-जयपुर।
2. जिला कार्यालय जयपुर।

ग्रामीण विकास युवा संस्थान
मधुवन विहार कालोनी सैथल
रोड - दौसा

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद (ग्रा.वि.प्र.), जयपुर

कार्यालय नगर पालिका मण्डल, बांदीकुई (दौसा)

क्रमांक- न.पा.बा./2012/3553

दिनांक. 23/12


कार्यालय आदेश

स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजनान्तर्गत स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत जिला स्तरीय उनशमन समन्वय समिति (डूडा) बैठक में अनुमोदित संस्थान ग्रामीण विकास युवा संस्थान, मधुबन विहार कॉलानी, सैथल रोड दौसा को प्रशिक्षण ट्रेड कम्प्यूटर ऑपरेटर 3 माह के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रम स्वीकृत करने की अनुशंसा आवेदन पत्रों की जांच के उपरान्त उल्लेखित शर्तों के आधार पर निम्न आशार्थियों को प्रशिक्षण में भाग लेने की स्वीकृति दी जाती है। विवरण निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	वार्ड नं.	चयन क्रमांक	नाम लाभार्थी मय पिता/पति	जाति	उम्र	वि.वि.
1	15	80/20	मुकुंदा कुं गुप्ता डी/ श्रीमू दयाल	महाजन	35	
2	17	68/14	विकास शर्मा डी/ महेन्द्र शर्मा	ब्रह्मभण	18	
3	11	58/25	लक्ष्मण लुहार डी/ रमेश चन्ड	लुहार	19	
4	17	04/01	दीपक सैन डी/ रमेश सैन	नाई	19	
5	17	71/17	भीता शर्मा डी/ सत्यनारायणशर्मा	ब्रह्मभण	35	
6	17	106/24	अनिल सैन डी/ बनवारीलाल सैन	नाई	22	
7	15	38/12	कुं मालविका डी/ अशोक कुं शर्मा	ब्रह्मभण	20	
8	15	05/03	कुं निशा डी/ महेश कुं जागिड	जागिड	20	
9	15	121/28	लीकेश सैन डी/ सूरेश सैन	नाई	24	
10	15	74/19	लौनल सैन डी/ दीपक सैन	नाई	30	
11	17	70/16	वितेंद्र डी/ नरेंद्र कुं शर्मा	ब्रह्मभण	22	
12	15	46/15	कुं नैदा डी/ अणम कुं सैनी	भाली	19	
13	15	62/14	रविन्द्र सिंह डी/ महेन्द्र सिंह	राजपूत	18	
14	11	138/44	विष्णु बैरवा डी/ भूषण मल बैरवा	बैरवा	18	
15	11	175/55	पेतन डी/ प्रमचन्द्र बैरवा	बैरवा	18	
16	11	142/48	नानू सिंह डी/ जगदीश बैरवा	बैरवा	20	
17	16	29/08	गिरकल गुप्ता डी/ जगमोहन गुप्ता	महाजन	21	
18	11	301/76	दुकम डी/ बसन्ती देवी बैरवा	बैरवा	22	
19	11	30/14	कुं सपना बैरवा डी/ मदनलाल बैरवा	बैरवा	23	
20	17	100/22	कृष्णावतार गौसिक डी/ प्रकाश चन्ड	महाजन	20	
21	19	106/19	सरोज डी/ जगदीश जागिड	जागिड	33	
22	16	117/23	कुं वर्षा गुप्ता डी/ जयवीर गुप्ता	महाजन	19	
23	11	34/16	कुं लीनम प्रीणा डी/ जगदीश नारायण	प्रीणा	21	
24	11	38/19	संजीव प्रीणा डी/ मगवान लहाय	प्रीणा	25	
25	15	42/14	मीना सोलन्की डी/ नवल किशोर	सोलन्की	32	

प्रशिक्षण कार्यक्रम निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकृत किया गया है। किसी प्रशिक्षणार्थी द्वारा शर्तों की पूर्ति नहीं किये जाने पर उसे प्रशिक्षण नहीं दिया जावे एवं संस्था द्वारा नियमों की पालना नहीं करने पर प्रशिक्षण निरस्त किया जा सकेगा। शर्तें निम्नानुसार हैं :-

1. प्रशिक्षणार्थियों की पात्रता 18 से 40 वर्ष के बी.पी.एल. युवक- युवतियों / बेरोजगार एवं कम शिक्षित वर्ग के युवाओं को प्राथमिकता ।
2. आरक्षण :- न्यूनतम 20 प्रतिशत महिला निकाय की बी.पी.एल. जनसंख्या में से एस.सी. /एस.टी. के प्रतिशत के आधार पर एस.सी./एस.टी. प्रशिक्षणार्थियों, 3 प्रतिशत विकलांग, 15 प्रतिशत अल्पसंख्यक ।
3. प्रशिक्षण की अवधि दक्षता वृद्धि के लिये प्रशिक्षण की न्यूनतम अवधि 3 माह (75 कार्य दिवस/तीन सौ घण्टे होगी) परन्तु न्यूनतम 300 घण्टे का प्रशिक्षण मय कार्य स्थल के प्रशिक्षण होना आवश्यक है ।
4. किसी भी परिस्थिति में एक परिवार से एक से अधिक व्यक्तियों को प्रशिक्षण नहीं दिया जावेगा ।
5. संस्था को आवंटित ट्रेड में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करवाने हेतु संबंधित ट्रेड में मान्यता प्राप्त संस्था से प्रशिक्षित ट्रेनर द्वारा प्रशिक्षण दिया जाना है। जिसे कम से कम न्यूनतम तीन वर्ष का अध्यापन का अनुभव हो । संस्था के पास प्रशिक्षण कार्यक्रम में आवंटित ट्रेड के अनुसार निर्धारित व्यक्तियों की संख्या के अनुसार प्रशिक्षण कक्ष सुविधा का होना आवश्यक है ।
6. प्रशिक्षण संस्थाओं से प्राप्त प्रस्ताव में ट्रेनिंग कलेण्डर मय करवाये जाने वाले कोर्स का पूर्ण विवरण, प्रशिक्षण, सर्टिफिकेट प्रक्रिया, कार्यस्थल प्रशिक्षण, प्रशिक्षण हेतु आवश्यक सुविधायें तथा भविष्य में तैयार उत्पादन की मार्केटिंग अथवा सेवा क्षेत्र में प्लेसमेन्ट समन्वय एवं अनवृत्ति कार्यवाही (फोलोअप) का होना आवश्यक है ।
7. अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका बांदीकुई द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम का प्रत्येक माह में कम से कम तीन बार निरीक्षण किया जावेगा ।
8. अनुमोदित संस्थाओं द्वारा निर्धारित समया अवधि में प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारम्भ नहीं किया जाता है अथवा प्रशिक्षण के दौरान संस्था द्वारा कोई अनियमितता की जाती है तो संस्था को आवंटित प्रशिक्षण कार्यक्रम को निरस्त कर दिया जावेगा ।
9. स्वरोजगार प्रशिक्षण केन्द्र प्रारम्भ होने की दिनांक की सूचना पूर्ण पत्रे सहित इस कार्यालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें । उपरोक्त शर्त के अतिरिक्त समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावे ।
10. उप शासन सचिव स्कायर्त्त शासन विभा राज0 सरकार जयपुर द्वारा प्रशिक्षण में गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु निर्धारित शर्तों के अनुसार :- (अ) प्रशिक्षण उपरान्त संस्था द्वारा आवश्यक प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाना होगा । (ब) प्रशिक्षण उपरान्त प्रशिक्षण पूर्ण करने वाले अभ्यर्थियों में से न्यूनतम 70 प्रतिशत अभ्यर्थियों को लाभकारी रोजगार उपलब्ध करवाना तथा उपलब्ध करवाये गये रोजगार की सस्टेनबिलिटी की सुनिश्चितता (स) प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिये संस्थाओं को प्रशिक्षण कार्य अवधि का मुगतान स्थानीय निकाय विभाग राजस्थान जयपुर एवं डूडा द्वारा निर्धारित नियमों के अन्तर्गत किया जावेगा ।
11. संस्था द्वारा प्रशिक्षणार्थियों को दिये जाने वाले प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम सुनिश्चित कर पाठ्यक्रम के प्रत्येक स्टेप की विडियोग्राफी /फोटोग्राफी संस्था को करानी होगी जो समय-समय पर नगरपालिका को उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित करें ।
अतः उपरोक्त शर्तों के अलावा अन्य शर्तें जो याजना में लागू हैं तथा समय-समय पर लागू होंगी वह मान्य होंगी तथा दिये गये निर्देशों की पालना आवश्यक होगी । ग्रामीण विकास युवा संस्थान, मधुवन विहार कॉलानी, सैथल रोड दौसा को भेजकर लेख है कि एक सप्ताह में प्रशिक्षण कार्यक्रम अंकित शर्तों के अनुसार संचालित किये जाकर सूचित करें ।


 अधिशाषी अधिकारी
 नगर पालिका बांदीकुई

कार्यालय नोडल अधिकारी, एस.जे.एस. आर.वाई. दौसा

क्रमांक : एसजेएसआरवाई / प्रशि0 / 2011-12 / 9061

दिनांक : 6/3/20

कार्यालय आदेश

शहरी क्षेत्रों के बी.पी.एल. परिवारों के व्यस्क युवक/युवतियों स्वर्णजयन्ती शहरी रोजगार योजनान्तर्गत स्वरोजगार कौशल प्रशिक्षण (स्टेप अप) प्रदान करने हेतु वर्ष 2011-12 के लिए नगर पालिका क्षेत्र बांदीकुई से प्राप्त स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रस्तावों में से दिनांक 29.2.2012 को श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय की अध्यक्षता में आयोजित जिला शहरी विकास अभिकरण समिति (डूडा) की बैठक में अनुमोदित निम्न लिखित संस्थाओं को विभिन्न ट्रेडों में कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए अनुमोदित किया गया है।

क्र. सं.	प्रशिक्षण देने वाली संस्था का नाम	प्रशिक्षण ट्रेड का नाम	प्रशिक्षणार्थी की संख्या	बैच संख्या
1.	ग्रामीण विकास युवा संस्थान गधुबन विहार कॉलोनी सैथल रोड दौसा	कम्प्यूटर ऑपरेटर	25 न.पा. के सर्वे अनुसार	1
2.	प्रेरणा एजुकेशन एण्ड वेलफेयर सोसायटी टोंक	कम्प्यूटर ऑपरेटर	25 न.पा. के सर्वे अनुसार	1
3.	आदर्श द्रोण विद्यामंदिर संस्था दुब्धी तह0सिकराय जि0दौसा	रेडीमेट गारमेन्ट एण्ड फैशन डिजाईनिंग	50 न.पा. के सर्वे अनुसार एवं संस्था द्वारा प्रस्तुत सर्वेनुसार	2
4.	भारती विकास संस्थान 1346 कायथवाल भवन पुराना रेनवाल चौमू हवेली गंगापोल जयपुर	कम्प्यूटर ऑपरेटर	25 न.पा. के सर्वे अनुसार	1
5.	एम.एम.एम. शिक्षण एवं जनसेवा संस्थान खोजाबावडी टोंक	ब्यूटीशियन	25 न.पा. के सर्वे अनुसार	1

अधिसूची अधिकारी नगरपालिका बांदीकुई को भेजकर लेख है, कि परियोजना निदेशक स्थानीय निकाय विभाग राजस्थान सरकार जयपुर के स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना में संशोधित नवीन दिशा निर्देश 2009 के आधार पर शहरी गरीबों को रोजगार वृद्धि हेतु कौशल प्रशिक्षण स्टेप अप आयोजित करवाने हेतु निम्न लिखित शर्तों के अनुसार कौशल प्रशिक्षण शीघ्र प्रारम्भ करावे :-

1. प्रशिक्षणार्थियों की पात्रता:- 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीपीएल युवक एवं युवतियों / बेरोजगार एवं कम शिक्षित वर्ग के युवाओं को प्राथमिकता।
2. आरक्षण :- न्यूनतम 30 प्रतिशत महिला, निकाय की बीपीएल जनसंख्या में एससी / एसटी के प्रतिशत के आधार पर एससी / एसटी प्रशिक्षणार्थी 3 प्रतिशत विकलांग 15 प्रतिशत अल्पसंख्यक।
3. प्रशिक्षण की अवधि:- दक्षता वृद्धि के लिए प्रशिक्षण की न्यूनतम अवधि तीन माह (75 कार्यदिवस / तीन सौ घण्टे होगी) परन्तु न्यूनतम 300 घण्टे का प्रशिक्षण मय कार्यस्थल प्रशिक्षण के होना आवश्यक है।
4. किसी भी परिस्थिति में एक परिवार से एक से अधिक व्यक्तियों को प्रशिक्षण नहीं दिया जावे।
5. संस्था को आवंटित ट्रेड में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करवाने हेतु सम्बन्धित ट्रेड में मान्यता प्राप्त संस्था से प्रशिक्षित ट्रेनर द्वारा प्रशिक्षण दिया जाना है जिसे कम से कम न्यूनतम 3 वर्ष का अध्यापन का अनुभव हो। संस्था के पास प्रशिक्षण कार्यक्रम में आवंटित ट्रेड के अनुसार निर्धारित व्यक्तियों की संख्या के अनुसार प्रशिक्षण कक्ष सुविधा का होना आवश्यक है।
6. प्रशिक्षण संस्थाओं से प्राप्त प्रस्तावों में ट्रेनिंग कलैण्डर मय करवाये जाने वाले कोर्स का पूर्ण विवरण प्रशिक्षण सर्टिफिकेट प्रक्रिया, कार्यस्थल प्रशिक्षण, प्रशिक्षण हेतु आवश्यक सुविधाएँ तथा भविष्य में तैयार उत्पादन की मार्केटिंग अथवा सेवा क्षेत्र में प्लेसमेन्ट समन्वय एवं अनुवृत्ति कार्यवाही (फोलोअप) का होना आवश्यक है।
7. अधिसूची अधिकारी बांदीकुई द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रत्येक माह में कम से कम तीन बार निरीक्षण किया जावेगा।
8. अनुमोदित संस्था द्वारा निर्धारित सगयावधि में यदि प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारम्भ नहीं किया जाता है अथवा प्रशिक्षण के दौरान संस्था द्वारा कोई अनियमितता की जाती है तो संस्था को आवंटित प्रशिक्षण कार्यक्रम को निरस्त कर दिया जावेगा।

1/1/2010

- उपरोक्त शर्तों के अतिरिक्त समय-समय राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावे।
- 10 उप शारान राधिय स्वायत शारान विभाग राजस्थान जयपुर द्वारा प्रशिक्षण मे गुणवत्ता सुनिश्चित करणे हेतु निर्धारित शर्तों के अनुसार : (अ) प्रशिक्षण उपरान्त संस्था द्वारा आवश्यक प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाना होगा । (ब) प्रशिक्षण उपरान्त प्रशिक्षण पूर्ण करने वाले अभ्यर्थियों मे से न्यूनतम 70 प्रतिशत अभ्यर्थियों को लागूकारी रोजगार उपलब्ध करवाना तथा उपलब्ध करवाये गए रोजगार की सस्टेनबिलिटी की सुनिश्चितता । (स) प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए संस्थाओं को प्रशिक्षण कार्य अवधि का भुगतान स्थानीय निकाय विभाग राजस्थान जयपुर एवं डूडा द्वारा निर्धारित नियमों के अन्तर्गत किया जावेगा ।

उपरोक्त शर्तों के अतिरिक्त समय-समय राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों की पालना आवश्यक-रूप से की जावे।



मुख्य आयोजना अधिकारी
एवं नोडल अधिकारी
एस.जे.एस.आर.वाई.दौसा

क्रमांक - एसजेएसआरवाई / 2011-12 / 9061-66

दिनांक : 6/3/2012

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है:-

1. श्रीमान निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर को भिजवाकर निवेदन है कि प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करवाने के लिए सम्बन्धित नगर पालिका को आवश्यकतापुसार राशि भिजवाने का श्रम करावे।।
2. श्रीमान अध्यक्ष नगर पालिका बांदीकुई
3. श्रीमान अध्यक्ष, सी.डी.एस. नगर पालिका बांदीकुई
4. श्रीमान निजी सहायक, जिला कलक्टर, दौसा।
5. अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका बांदीकुई को भिजवाकर लेख है कि उक्त संस्थाओं को सूचित कर डूडा द्वारा निर्धारित समयावधि में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करवाने की आर्कडित ट्रेड वाईज प्रशिक्षणार्थी की सूची की स्वीकृति जारी कर प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारम्भ करवाया जावे।

6. सम्बन्धित निकाय को सूचना

श्रीमान निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर
मुख्य आयोजना अधिकारी
एवं नोडल अधिकारी
एस.जे.एस.आर.वाई.दौसा

कार्यालय परियोजना निदेशक (आत्मा), दौसा

क्रमांक / पी.पी.पी. / आत्मा / 2011-12

दिनांक

कार्यालय आदेश

आत्मा अन्तर्गत वर्ष 2011-12 में एन0जी0ओ0 द्वारा सम्पन्न की जाने वाली गतिविधियों का आवंटन एन0जी0ओ0वार निम्नानुसार किया जाकर इन्हे आशिम राशि लगभग 50 प्रतिशत के भुगतान की एतद् स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र.सं.	गतिविधि	दौसा		लालसोट		वादीकुई		सिकराय		महवा		कुल योग		विशिष्ट विवरण
		भारतीय विकास संस्था दौसा		ग्रामीण विकास युवा संस्थान, दौसा		राजस्थान महिला विकास संस्था, दौसा		राहुल शिक्षा समिति, मालावास(सिकराय)		केम्ब्रिज संस्थान दौसा		श्री0	रु०	
1	बी-2 कृषक प्रशिक्षण	4	35000	4	35000	4	35000	4	35000	4	35000	20	1.75 लाख	2-कृषि 1-उद्यान 1-प्रशासन
2	बी-5 समूह निर्माण एवं प्रशिक्षण	6	15000	6	15000	6	15000	6	15000	6	15000	30	0.75 लाख	4-कृषि 1-उद्यान 1-प्रशासन
	योग	10	50000	10	50000	10	50000	10	50000	10	50000	50	2.5 लाख	

सभी एन0जी0ओ0 दिनांक 10.03.2012 तक गतिविधियों के विभागीय दिशा निर्देश एवं मापदण्ड अनुसार संचालन कर बिल इस कार्यालय में समायोजन हेतु प्रस्तुत करेंगे।


परियोजना निदेशक (आत्मा)
दौसा

क्रमांक / पी.पी.पी. / आत्मा / 2011-12 / 74-30

दिनांक 6.3.12

प्रतिलिपी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

- 1 श्रीमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी जि0प0 दौसा
- 2 राहुल शिक्षा समिति मालावास, तह0 सिकराय, जि0 दौसा
- 3 भारतीय विकास संस्था दुर्गा मन्दिर रोड, दौसा
- 4 ग्रामीण विकास युवा संस्थान, सैथल मोड, दौसा
- 5 केम्ब्रिज संस्थान सोमनाथ नगर, दौसा
- 6 राजस्थान महिला विकास संस्था राजपूतनगर, दौसा
- 7 लेखा/कैश शाखा कार्यालय हाजा को एनजीओ को भुगतान हेतु


परियोजना निदेशक (आत्मा)
दौसा

कार्यालय पंचायत समिति, दौसा

क्रमांक:पंसदौ/साक्षरता/11/ 823

दिनांक- 20/1/12


सचिव,
ग्रामीण विकास युवा संस्थान,
मधुवन विहार कॉलानी, दौसा।

विषय:-साक्षर भारत मिशन 2012 के अन्तर्गत वी.टी. प्रशिक्षण करवाने बाबत।

उपरोक्त विषय में लेख है कि साक्षर भारत मिशन 2012 के अन्तर्गत वी.टी. प्रशिक्षण कराने हेतु चयन कमेटी द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार आपकी संस्था का चयन किया गया था। आपके द्वारा पूर्ण कराये गये वी.टी. प्रशिक्षण का कार्य संतोष जनक रहा है। इसी आधार पर पुनः आपकों वी.टी. प्रशिक्षण करवाने हेतु अधिकृत किया जाता है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि समयवधि को ध्यान में रखते हुए निर्धारित मापदण्डों एवं संलग्न कार्यक्रमानुसार वी.टी. प्रशिक्षण करवाकर व्यय राशि के बिल वाउचर्स वित्तीय मापदण्डों अनुसार कार्यालय में प्रस्तुत करें।

संलग्न- वी.टी. प्रशिक्षण कार्यक्रम


20.1.12

सचिव
ब्लॉक लोक शिक्षा समिति
पंचायत समिति, दौसा

Registered

Office of the Additional Chief Engineer,
State Water Resources Planning Department,
Sinchai Bhawan, JLN Marg, Jaipur
Ph. 0141-2709869

No: F(24) SPP-EC/C&M/NGO-III/ 1531

Date: 11-11-11

To,

Gramin Vikas Yuwa Sansthan,
Maduwan Vihar Colony,
Sainthal Road,
Dausa-303303

Subject: Hiring of services of NGOs, Trusts or Consortium for capacity building & preparation of IWRM plan & facilitation for Implementation IWRM plan through Panchayati Raj Institutions/Water User Groups in remaining blocks for 26 NGO's in 11 districts selected under EU-SPP

Ref: Your proposal submitted on dated 25.10.2011 in reference of this office letter No: F() SPP-EC/C&M/NGO/ 928-953 dated 11.10.2011

Sir,

In reference to above cited subject, your proposal under reference has been accepted by the government for the work in Bap block of Jodhpur "II" district for amounting to Rs. 4048544/= (Rs. Forty Lac Forty Eight Thousand Five Hundred Forty Four only) with detail and conditions as per RFP.

Duration of time: Fifteen Months from stipulated date of commencement. Stipulated date of commencement will be 15 days from the date of signing of the contract.

You are requested to attend this office for signing of agreement with Executive Engineer (C&M-I), SWRPD, Jaipur of this office with in 15 days of issuance of the letter of intent after compliance of following pre-conditions, otherwise work order will be rejected:-

1. Security deposit @ 2.5% of work order amount in form of DD or bank guarantee of a scheduled bank of RBI in favour of Head of Office & DDO, Superintending Engineer, Water Planning, o/o State Water Resource Planning Department, Sinchai Bhawan, JLN Marg, Jaipur for a period 45 days after the stipulated date of completion.
2. Non Judicial Stamp of value Rs. 1000/=
3. Authorization letter to sign contract along with resolution of the Board of Directors of NGO.
4. Authorization letter to sign contract along with resolution of the Board of Directors of consortium NGO, if any.

Additional Chief Engineer,
o/c SWRPD, Jaipur

No: F(24) SPP-EC/C&M/NGO-III/ 1532-1538

Date: 11-11-11

Copy to the following for information and necessary action:

1. Accountant General, AG office, Rajasthan, Jaipur
2. D.D.O. & S.E.(W.P.), SWRPD, Jaipur
3. Superintending Engineer (C&M), SWRPD, Jaipur
4. Executive Engineer (C&M-I), SWRPD, Jaipur is directed to sign the contract agreement with NGO's as above.
5. A.O., SWRPD, Jaipur.
6. Cahier, SWRPD, Jaipur.
7. Team leader of European commission, 21, Vishnupuri, Durga Pura, Jaipur

सचिव

ग्रामीण विकास युवा संस्थान
ग्राम पो. सैथल तह व जिला दौसा

Additional Chief Engineer,
SWRPD, Jaipur

Executive Engineer
(C&M-I) S. W. R. P. D.
JAIPUR

कार्यालय पंचायत समिति, दौसा



क्रमांक: एफ 1()पंसदौ/संस्था/11/6.3/6


दिनांक 21/9/11


सचिव,
ग्रामीण विकास युवा संस्थान,
दौसा।


विषय:-वी.टी प्रशिक्षण हेतु संस्था का चयन करने बाबत।

उपरोक्त विषय में लेख है कि साक्षरता योजनान्तर्गत वी.टी. प्रशिक्षण कराने हेतु प्राप्त पत्राविलयों में से आपकी संस्था का अनुभव एवं पूर्व में किए गए कार्य संतोषप्रद होने के कारण कमेटी द्वारा आपकी संस्था का अनुमोदन किया गया है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि वी.टी प्रशिक्षण कार्य करवाना सुनिश्चित करें। *कार्यक्रम अच्छा से जारी किया जायेगा।*


विकास अधिकारी
पंचायत समिति, दौसा


सचिव
ग्रामीण विकास युवा संस्थान
ग्राम पो. सैथल, सह. व जिला दौसा


व्यारख्याली
श्री रा.क.जो.रा.उ.मा.वि.
दौसा (राज.)

**Office of the Additional Chief Engineer,
State Water Resources Planning Department,
Sinchai Bhawan, JLN Marg, Jaipur**

Ph. 0141- 2709869

No: F(21) SPP-EC/C&M/NGO-II/

500

Date: 26-8-11

To,

Gramin Vikas Yuwa Sansthan,
Maduwan Vihar Colony,
Sainthal Road,
Dausa-303303

Subject: Hiring of services of NGOs, Trusts or Consortium for capacity building & preparation of IWRM plan & facilitation for Implementation IWRM plan through Panchayati Raj Institutions/Water User Groups in two blocks for each NGO in districts selected under EU-SPP

Ref: Your proposal submitted on dated 24.8.2011 in reference of this office letter No: F() SPP-EC/C&M/NGO-II/ 3385-3399 dated 5.8.2011 ,3471 dated 17.8.2011 and 392-415 dated 23.8.2011

Sir,

In reference to above cited subject, your proposal under reference has been accepted by the government for the work in Navalgarh & Surajgarh blocks of Jhunjhunu "A" district for amounting to Rs. 9109224/= (Rs. Ninety one lac nine thousand two hundred twenty four only) with detail and conditions as per RFP.

Duration of time: Fifteen Months from stipulated date of commencement.

You are requested to attend this office for signing of agreement with Executive Engineer, C&M-I, of this office with in 15 days of issuance of the letter of intent after full fill all the formalities / pre-conditions along with deposition of the security deposit as per RFP.

— sd —
Additional Chief Engineer,
SWRPD, Jaipur


No: F(21) SPP-EC/C&M/NGO-II/


501-507


Date: 26-8-11

Copy to the following for information and necessary action:

1. Accountant General, AG office, Rajasthan, Jaipur
2. D.D.O. & S.E.(W.P.), SWRPD, Jaipur
3. Superintending Engineer (C&M), SWRPD, Jaipur
4. Executive Engineer (C&M-I), SWRPD, Jaipur is directed to sign the contract agreement with NGO's as above.
5. A.O., SWRPD, Jaipur.
6. Cahier, SWRPD, Jaipur.
7. Team leader of European commission, 21, Vishnupuri, Durga Pura, Jaipur


Executive Engineer
(C&M-I) S. W. R. P. D.
JAIPUR


ग्रामीण विकास युवा संस्थान
ग्राम पोस्ट सैथल, जिला-दौसा


Additional Chief Engineer,
SWRPD, Jaipur

कार्यालय जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ), जयपुर

क्रमांक एफ03/एनजीएसआई. भा.आ / 11 12) 1461-93

दिनांक 21.7.2011

कार्यालय आदेश

स्वर्णजयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजनान्तर्गत स्वयं सहायता समूह गठन क्षमता वर्धन, ग्रैडिंग तथा बैंक लिंकेज कार्य में लिप्त गैर सरकारी संस्थाएँ जो गत वर्ष जिले में कार्यरत थीं उन्हीं से निम्न गैर सरकारी संस्थाओं का कार्यकाल विकास अधिकारियों की अनुसूची के आधार पर एच डिनॉक 18.07.2011 को आयोजित जिला स्तरीय एनजीएसआई की बैठक ने अनुमोदन करवाकर दिनांक 31.3.2012 तक बढ़ाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। गैर सरकारी संस्थाओं की सूची जिनका कार्यकाल बढ़ाया गया है।

क्र०सं०	प०सं०	संस्था का नाम मूय पता
1	आमेर	1.ग्रामीण विकास समग्र विकास संस्थान मोहम्मद मुस्कीम पुत्र मोहम्मद गसूरी स्थल के पास वाई लाखेरी पोस्ट लाखेरी जिला बुन्दी राजस्थान 323615 2.जानकौला साहित्य मंच,जयपुर डी-17 अशोक विहार भृगुपथ न्यू सांगानेर रोड,जयपुर 3.फ्रेण्ड्स आर्गनाइजेशन फार रिसर्च एण्ड डेव.सोसायटी प्लाट नं. ए-19 अम्बेडकर काल जिला-टोक 4. सौहार्द विकास संस्थान हाई स्कूल रोड बांदीकुई जिला-दौसा
2	बस्सी	1.श्रद्धा महिला प्रशिक्षण केन्द्र व शिक्षण संस्थान ए-32 सेठीकालोनी,ज. 2.सिद्धी विनायक विकारा संस्थान बांदीकुई जिला-दौसा
3	चाकसू	1.सिकोईडिकोन संस्थान स्वराज परिसर एफ-159,160 सीतापुरा औद्योगिक एरिया जयपुर। 2. रोन्टर फॉर रूरल डेवलपमेन्ट एण्ड कन्सल्टेन्ट मु०पी०थली,चाकसू
4	दूदू	1.राजस्थान ग्राम विकास सेवा संस्थान ग्रा०पी० मीरमपुरा,दूदू 2.राजस्थान पर्यावरण विकास शोध संस्थान 124 माधव कालोनी मदार रोड,अजमेर
5	गोविन्दगढ़	1.रयाम संस्कृति सेवा समिति शास्त्री कालोनी चौधवाडी तह०चौमू 2 फ्रेण्ड्स आर्गनाइजेशन फार रिसर्च एण्ड डेव.सोसायटी प्लाट नं. ए-19 अम्बेडकर कालोनी,टोक जिला-टोक।
6	झोटवाडा	1.ग्रामीण विकास युवा संस्थान मधुवन विहार कालोनी सैथल रोड,दौसा
7	जमवारामगढ़	1.ग्रामीण विकास युवा संस्थान मधुवन विहार कालोनी सैथल रोड,दौसा
8	फागी	1.सिकोईडिकोन संस्थान स्वराज परिसर एफ-159,160 सीतापुरा औद्योगिक एरिया जयपुर 2. राजस्थान पर्यावरण विकास शोध संस्थान 124 माधव कालोनी मदार रोड,अजमेर
9	सांभरलेक	1.सुगम संस्थान विद्युत ग्रा० पी० विद्युत बागा सांभरलेक जिला-जयपुर
10	कोटपूतली	1.साथी संस्थान सांगानेर 478 वीं मायत्रीनगर पारदीया हास्पिटल के सामने मालपुरा रोड,सांगानेर
11	सांगानेर	1. साथी संस्थान सांगानेर 478 वीं मायत्रीनगर पारदीया हास्पिटल के सामने मालपुरा रोड,सांगानेर 2. श्रद्धा महिला प्रशिक्षण केन्द्र व शिक्षण संस्थान ए-32 सेठीकालोनी,ज.
12	शाहपुरा	1.सर्व एण्ड सर्विस सोसायटी ग्रा०पी० तेवडी बाया मेड तह०विराटनगर 2.राधा गोविन्द पब्लिक स्कूल समिति लोचू का वास पी० निठारा तह०शाहपुरा जिला-जयपुर 3 राजस्थान हसुमन केयर फाउण्डेशन 21,गणानगर गुर्जर की धडी न्यू सांगानेर रोड, जयपुर
13	विराटनगर	1.सर्व एण्ड सर्विस सोसायटी ग्रा०पी० तेवडी बाया मेड तह०विराटनगर 2.पंचायती राज जन चेतना संस्थान,जयपुर डी-15 राजापाक,जयपुर 3.सर्व सेवा संस्थान गुडा घुरानी तह०धानागाजी जिला-अलवर

उपरोक्त संस्थाएँ पूर्व में आवंटित क्षेत्र में ही कार्य करेंगी, जिस क्षेत्र में कोई एनजीओ कार्य नहीं कर रहा है उस क्षेत्र का आवंटन विकास अधिकारी द्वारा किया जाएगा।

पंचायत समिति झोटवाडा, सांभरलेक व सांगानेर में सिर्फ एक एक एनजीओ कार्यरत है, पंचायत समिति की गांव पर इन पंचायत समितियों में उपरोक्त एनजीओ में से एक-एक एनजीओ और लगाया जा सकता है, लेकिन पूर्व में कार्यरत एनजीओ का कार्यक्षेत्र बदला नहीं जायेगा।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद(ग्र.वि.प्र.),जयपुर

प्रतिलिपि:-

1. विकास अधिकारी पंचायत समिति (सामस्ता) जिला-जयपुर।
2. गैर सरकारी संस्था

ग्रामीण विकास युवा संस्थान

मधुवन विहार कालोनी सैथल रोड, दौसा

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद(ग्र.वि.प्र.),जयपुर

कार्यालय जिला परिषद(ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) जयपुर

कमाकं एफ03/एसजीएसवाई/2010-11/6564-85

दिनांक 16.3.2011

कार्यालय आदेश


स्वर्णजयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना में निम्न गैर सरकारी संगठनों को योजनान्तर्गत ऋण स्वीकृति शुदा स्वयं सहायता समूहो को दक्षता उन्नयन / कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु अधिकृत किया जाता हैं

क्र.स	गैर सरकारी संगठन का नाम व पता	आवंटित क्षेत्र
1	राजस्थान हयुमन केयर फाउण्डेशन चम्पानगर गुर्जर की थड़ी न्यू सांगानेर रोड जयपुर	शाहपुरा में स्वयं को आवंटित क्षेत्र व भारती विकास संस्था को आवंटित क्षेत्र
2	ग्रामीण विकास युवा संस्थान दौसा	जमवारामगढ व झोटवाडा का पूर्ण क्षेत्र
3	फ्रेण्ड्स आर्गनाइजेशन फार रिसर्च एण्ड डवलपमेन्ट सोसायटी ए-19 अम्बेडकर कॉलोनी कृषि मण्डी के पास टोंक-रोड जयपुर	गोविन्दगढ का पूर्ण क्षेत्र/आमेर में स्वयं का आवंटित क्षेत्र
4	सिकोडिकोन स्वराज एफ-159-160 सीतापुरा ओधोगिक क्षेत्र जयपुर	चाकसू का पूर्ण क्षेत्र व फागी में स्वयं को आवंटित क्षेत्र
5	सर्च एण्ड सर्विस सोसायटी ग्राम पोस्ट तेवडी विराटनगर	विराटनगर का पूर्ण क्षेत्र व शाहपुरा में स्वयं का आवंटित क्षेत्र
6	राजस्थान पर्यावरण शोध संस्थान अजमेर	दूदू व साभर का पूर्ण क्षेत्र तथा फागी में स्वयं को आवंटित क्षेत्र
7	वाणी संस्थान जयपुर	कोटपूतली का सम्पूर्ण क्षेत्र व सांगानेर का स्वयं का आवंटित क्षेत्र तथा बस्सी में सिद्धी विनायक विकास संस्थान का आवंटित क्षेत्र।
8	श्रद्धा महिला प्रशिक्षण केन्द्र व शिक्षण संस्थान जयपुर	बस्सी व सांगानेर में स्वयं का आवंटित क्षेत्र
9	जनकला साहित्य मंच संस्था जयपुर	आमेर का स्वयं को आवंटित क्षेत्र तथा प्रान्तीय समग्र विकास संस्थान को आवंटित क्षेत्र

1. प्रशिक्षण ऋण स्वीकृत स्वयं सहायता समूहो / एकल स्वरोजगारी को कराया जाना है। जिस समूह की अनुदान राशि जिला परिषद द्वारा 1.4.2010 के बाद जारी की गई है।
2. प्रशिक्षण पर व्यय 200 रूपये अधिकतम प्रति स्वरोजगारी प्रतिदिन दिया जा सकता है जिसमें भोजन, चाय, नास्ता, टेन्ट, माइक, कुर्सी, फोटोग्राफी, आने जाने का किराया (एक बार) प्रशिक्षको का मानदेय भ्रमण हेतु बस किराया आदि सामिल है।


सन्दर्भित व्यक्ति प्राणीण विकास विभाग के अधिकारी/ विकास अधिकारी/ एसजीएसवाई योजना के अधिकारी/विकास अधिकारी/प्रगति प्रसार अधिकारी/बैंक शाखा प्रबन्धक तथा पशुचिकित्सक हो सकते हैं। अधिकतम पाँच व्यक्ति प्रतिदिन हो सकते हैं।

- 4 प्रशिक्षण दिनांक 17.3.11 से 28.3.11 तक करवाया जाना है। प्रशिक्षण के बिल वाउचर दिनांक 31.3.11 को कार्यालय में 2:00 बजे तक जमा कराना आवश्यक है। 31.3.2011 के बाद प्रस्तुत किये गये बिल वाउचरो के भुगतान पर विचार नहीं किया जायेगा।
- 5 पशुपालन हेतु समयावधि 4 दिवस प्रशिक्षण व एक दिवस डेयरी भ्रमण हेतु निश्चित है। सिलाई हेतु 10 दिवस का प्रशिक्षण होगा। झाडु, पंखी आदि हेतु 2 दिवस की प्रशिक्षण अवधि होगी इसके अलावा अन्य अद्वैश्य हेतु प्रशिक्षण अवधि के लिए लिखित अनुमति आवश्यक है।
- 6 बिल वाउचर विकास अधिकारी/प्रगति प्रसार अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जावेगा।
- 7 राशि का व्यय लेखा नियमों के अनुसार किया जावे जहाँ टेण्डर प्रक्रिया आवश्यक हो किया जाना सुनिश्चित करे।
- 8 प्रशिक्षण विकास अधिकारी/प्रगति प्रसार अधिकारी की देख रेख में करवाया जावे।
- 9 फागी पंचायत समिति क्षेत्र के स्वयं सहायता समूहों / व्यक्तिगत स्वरोजगारियों को प्रशिक्षण पंचायत समिति के प्रशिक्षण हाल में ही करवाना सुनिश्चित करे तथा प्रशिक्षण हॉल का किराया 200 रूपये में शामिल है तथा किराये का भुगतान पंचायत समिति को करना होगा।
- 10 रूडसेटी संस्था द्वारा इस वर्ष कराये गये दक्षता उन्नयन प्रशिक्षण वाले समूहों को पुनः प्रशिक्षण नहीं कराना है।


मुख्य कार्यकारी अधिकारी

प्रतिलिपि

- 1 विकास अधिकारी पंचायत समिति समस्त जिला जयपुर को भेजकर लेख है कि प्रशिक्षण निर्धारित समय सीमा में कराना सुनिश्चित करे।


मुख्य कार्यकारी अधिकारी

प्रेषित :-

1. राजस्थान ह्यूमन केयर फाउन्डेशन ,12 साकुनिया हाउस,शिव कालोनी ,दौसा
2. कैम्प्रीज संस्थान, दौसा।
3. ग्रामीण विकास युवा संस्थान, दौसा
4. पर्यावरण मित्र संस्थान, दौसा
5. पारीक ग्रामीण संस्थान, ग्राम हिंगोटिया, जोशी की कोठी, दौसा।

विषय:- आत्मा कार्यक्रम अन्तर्गत वर्ष 2010-11 हेतु अनुमोदित जिला वार्षिक योजना की गतिविधियों के आयोजन बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत आत्मा कार्यक्रम अन्तर्गत वर्ष 2010-11 हेतु अनुमोदित जिला वार्षिक कार्य योजना की निम्न गतिविधियों का आयोजन संलग्न कैफटेरिया एवं दिशा निर्देशनुसार सम्पन्न कर 15 मार्च 2011 तक उपयोग राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र बाऊचर्स की फोटो प्रति इस कार्यालय को प्रस्तुत करेंगे। गतिविधि संचालन हेतु गतिविधियों की आवश्यकतानुसार राशि मांगने पर किस्तों में उपलब्ध करायी जावेगी। गतिविधियों निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	गतिविधि	संस्था - पर्यावरण मित्र संस्थान दौसा		संस्था - ग्रामीण विकास युवा संस्थान दौसा		संस्था - पारीक ग्रामीण संस्थान, ग्राम हिंगोटिया दौसा		संस्था - कैम्प्रीज संस्थान दौसा		संस्था - राजस्थान ह्यूमन केयर फाउन्डेशन दौसा		योग		वि.वि.
		बांदीकुई		दौसा		लालसोट		महवा		सिकराय		जिला		
		मौ. सं०.	वि. (राशि रु०.)	मौ. सं०.	वि. (राशि रु०.)	मौ. सं०.	वि. (राशि रु०.)	मौ. सं०.	वि. (राशि रु०.)	मौ. सं०.	वि. (राशि रु०.)	मौ. सं०.	वि. रा० (ला०.)	
1	बी.2 कृषक प्रशिक्षण	2	45000	2	45000	2	45000	2	45000	2	45000	10	2.25	
2	बी.5 समूह निर्माण एवं समूह प्रशिक्षण	4	20000	4	20000	4	20000	4	20000	4	20000	20	1.00	2कृषि 2 उद्यान
	बी.5 सीड मनी उपलब्धता	2	20000	2	20000	2	20000	2	20000	2	20000	10	1.00	
3	बी.12 किसान गोष्ठी/ खेत दिवस	2	30000	2	30000	2	30000	2	30000	2	30000	10	1.50	
	योग		115000		115000		115000		115000		115000		5.75	

प्रशिक्षण विषय:- बांदीकुई, महवा में 2-2 टमाटर व मिर्च की पौधशाला प्रबन्धन पर प्रशिक्षण दिये जाने है तथा दौसा, लालसोट व सिकराय में 2-2 रासायनिक विधि से खरपतवार नियंत्रण पर प्रशिक्षण दिये जायेंगे। प्रशिक्षण 30 कृषकों हेतु 3 दिवसीय होंगे। कैफटेरिया व दिशानिर्देश कार्यदेश पत्र के साथ उपलब्ध कराये जा रहें हैं तथा प्रगति प्रपत्र साथ में संलग्न हैं।

समूह निर्माण एवं प्रशिक्षण :- समूह प्रशिक्षण करने के उपरान्त प्रत्येक ब्लॉक में दिये गये लक्ष्यों अनुसार ए-ग्रेड के समूह के बैंक खाता खुलवाकर सीड मनी हेतु प्रस्ताव इस कार्यालय को भिजवाये जाने है जिससे समूह को सीड मनी उपलब्ध करवाई जा सके।

किसान गोष्ठी :- प्रत्येक ब्लॉक में 2-2 किसान गोष्ठी का आयोजन किया जाना है जिसमें प्रत्येक गोष्ठी में 75-100 कृषकों की भागीदारी अनिवार्य है।

नोट:- कार्यक्रम आयोजन से पूर्व कार्ययोजना व तिथि से इस कार्यालय को अवगत करावें। सम्बन्धित पं.स. के बी.टी.टी. कन्वीनर/क्षेत्रीय अधिकारी/कार्मिकों एवं जनप्रतिनिधियों को आवश्यक रूप से कार्यक्रमों में शामिल किया जावें।

उप निदेशक कृषि (वि.) एवं
परियोजना निदेशक आत्मा,
जि०.प०. दौसा

राजस्थान सरकार

सूचना एवं जनसम्पर्क कार्यालय, दौसा

क्रमांक/सुजस/2010-11/ 101

दिनांक

18/11/10

सचिव

ग्रामीण विकास युवा संस्थान

दौसा

विषय:- परम्परागत मिडिया तहत कार्यक्रमों के आयोजन करवाने हेतु।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राज्य सरकार के दो वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष में जिले की पंचों पंचायत समिति क्षेत्रों की तीन-तीन ग्राम पंचायतों में परम्परागत मिडिया के तहत कार्यक्रमों का आयोजन कर आमजन को सरकारी योजनाओं एवं उपलब्धियों की जानकारी दिये जाने की व्यवस्था करें। कार्यक्रम का आयोजन निम्न प्रकार से होगा।

पंचायत समिति दौसा में दिनांक 14 व 15 दिसम्बर को :- ग्राम पंचायत पापडवा, आलूदा, खानवास तथा लवाण
पंचायत समिति लालसोट में दिनांक 16 व 17 दिसम्बर को :- ग्राम पंचायत डीडवाना, रामगढ पचवारा व तलाव गोंव
पंचायत समिति सिकराय में दिनांक 18 व 19 दिसम्बर को :- ग्राम पंचायत गीजगढ, सिकन्दरा व सिकराय
पंचायत समिति महवा में दिनांक 20 व 21 दिसम्बर को :- ग्राम पंचायत महवा, खेडला व मण्डावर
पंचायत समिति बांटीकूई में 22 व 23 दिसम्बर को :- ग्राम पंचायत गुढाकटला, बसवा व गुढलिया

उल्लेखनीय है कि परम्परागत मिडिया के माध्यम से राज्य सरकार की योजनाओं, कार्यक्रमों एवं गत दो वर्षों में अर्जित उपलब्धियों का प्रचार प्रसार परम्परागत मिडिया के विभिन्न विधाओं के माध्यम से जन-जन तक पहुँचाना निश्चित करें। निदेशालय के निर्देशानुसार प्रति कार्यक्रम एक हजार रुपये देय होगा। इसमें कलाकारों को लाने व लजाने व फोटोग्राफी सहित समस्त कार्य संस्था का होगा।

सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी

दौसा

कार्यालय-ब्लॉक सन्दर्भ केन्द्र प्रभारी सर्व शिक्षा अभियान, दौसा
जिला दौसा (राज.)

क्रमांक १४२

दिनांक 11/11/10

समस्त प्रधानाध्यापक
प्रा.वि/उच्च प्रा. विधालय
ब्लॉक दौसा, जिला दौसा

विषय:- 6-14 आयु वर्ग के अनामांकित बच्चों को निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम 2010 के तहत प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विधायकों में नामांकरण कराने के सन्दर्भ में।

उपरोक्त विषय अन्तर्गत लेख है कि राजस्थान सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों की पालना में निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम 2010 के तहत अनामांकित सभी बच्चों को प्रारम्भिक शिक्षा से जोड़ा जाना है। दौसा ब्लॉक में अनामांकित बच्चों को प्रारम्भिक शिक्षा से जोड़ने हेतु ग्रामीण विकास युवा संस्थान, दौसा कार्य कर रही है। राजस्थान सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार अनामांकित बालक बालिकाओं को उनकी आयु के हिसाब से सम्बन्धित कक्षा में प्रवेश दिया जाना अनिवार्य है।

अतः ब्लॉक के समस्त प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विधालयों के प्रधानाध्यापकों को निर्देशित किया जाता है कि ग्रामीण विकास युवा संस्थान, दौसा का पूर्ण सहयोग करते हुए अनामांकित बच्चों का शत प्रतिशत नामांकरण कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय

ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी
कम ब्लॉक सन्दर्भ केन्द्र प्रभारी
दौसा

प्रतिलिपी आवश्यक कार्यवाही एवं सुचनार्थ:-

- (1) श्रीमान जिला परियोजना समन्वयक महोदय, सर्व शिक्षा अभियान दौसा
- (2) श्रीमान अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, सर्व शिक्षा अभियान दौसा
- (3) श्रीमान सचिव, ग्रामीण विकास युवा संस्थान, मधुवन विहार कॉलोनी दौसा, जिला दौसा

भवदीय

ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी
कम ब्लॉक सन्दर्भ केन्द्र प्रभारी
दौसा



राष्ट्रीय युवा प्रतीक

नेहरू युवा केन्द्र दौसा (राज.)

NEHRU YUVA KENDRA, DAUSA (RAJ.)

स्वायत्तशासी संस्था
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
भारत सरकार

AN AUTONOMOUS BODY UNDER THE
MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS & SPORTS
GOVERNMENT OF INDIA

नेहरू/दौसा/सांस्कृतिक कार्य/10-11/55

दिनांक- 30/10/16

श्री श्री राजेश कुमार
अध्यक्ष, ज्योतिष युवा विकास (राज.)
ज्योतिष दौसा

विषय- श्वण्ड स्तरीय सांस्कृतिक प्रतियोगिता (समावेश) का आयोजन करने
की स्वीकृति वाक्य.

प्रसंग- आपका पत्रांक 240/128 दिनांक 22/9/16

महोदय,

उपरोक्त विषयक एवं प्रासंगिक पत्र में संदर्भ में निवेदन है कि आपके युवा मंडल
को दिनांक 11/11/16 को श्वण्ड स्तरीय सांस्कृतिक उत्सव (प्रतियोगिता) आयोजन
की स्वीकृति प्रदान की जाती है। इस सांस्कृतिक उत्सव में सम्बन्धित श्वण्ड के
कम से कम 08-10 दलों में कम से कम 100-150 युवाओं का भाग लेना अनिवार्य है।
एवं सभी कलाकारों को पुश्तख्वा एवं भोजन व्यवस्था अनिवार्य है। तथा अन्य
निर्देश निम्न प्रकार से हैं-

1. प्रतियोगिता (उत्सव) में आयोजन कार्यक्रम में प्रोटोग्राफ्स, समान्वायन कार्टिंग,
प्रोटोग्राफ्स, कार्यक्रम प्रतिवेदन, विल वाउचर आदि कार्यक्रम के 05 दिवस
में व्यापक रूप में समा रहना अनिवार्य है। इसके लिए आयोजी मंडल के नाम
से 10,000/- (दस हजार रु.) आग्रिस आस चेक देय होगा।
2. कार्यक्रम के दौरान व्यापक सामुहिक नृत्य, गायन, हस्त नृत्य, गायन, नाटक,
एकांकी आदि शिक्षाप्रद कार्यक्रमों का आयोजन किया जावे। कार्यक्रम
का उद्घाटन, समापन, पुश्तख्वा वितरण आदि सम्मानिका एवं गणमान्य
नागरिकों द्वारा किया जाना अनिवार्य है।

प्रतिलिपि सूच्यार्थ-

1. श्रीमान मंडल निदेशक, नेहरू सं., जयपुर.
2. श्रीमान ~~निदेशक~~ जिला कलक्टर, दौसा.

भवदीय

राजेश कुमार

District Youth Coordinator
Nehru Yuva Kendra
DAUSA - 303303 (Raj.)

1. कार्यालय का पता: नेहरू युवा केन्द्र, राजेशा पार्लर स्टेडियम, गुल्शन रोड दौसा-303303 (राज.) फोन : 01427-220230
2. मंडल कार्यालय: नेहरू युवा केन्द्र रांगडन, फेडरल अफन चक 'ए' रज नं. 205, खेडर-10, विनागर नगर, जयपुर (राज.) फोन : 01427-220230

कार्यालय आदेश

स्वर्णजयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजनान्तर्गत समूह गठन क्षमता वर्धन ग्रेडिंग व बैंक लिंकेज के कार्य में जिले में कार्यरत गैर सरकारी संगठनों को निम्न शर्तों के आधार पर वर्ष 2010-11 के लिए ~~अवसरपूर्वक प्रशिक्षण प्रदान~~ करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

शर्तें

1. दिनांक 1.4.10 के बाद स्वयं द्वारा गठित स्वयं सहायता समूह जिनके बैंक में बचत खाता खुल चुका है को ही संस्था द्वारा 1 दिवसीय आधारभूत प्रशिक्षण दिया जावेगा।
2. जिन समूहों को 1.4.10 के बाद रिवालिगिंग फण्ड जारी किया गया है उनको भी 1 दिवसीय आधारभूत प्रशिक्षण दिया जायेगा।
3. राज्य सरकार के प्रत्र क्रमांक 17(1) ग्रा.वि.वि./4/2009 जयपुर दिनांक 2.8.2010 के अनुसार रुपये 200 प्रतिदिन प्रति स्वरोजगारी अधिकतम व्यय किया जा सकता है जिसमें (भोजन चाय नाश्ता स्वरोजगारियों के आने जाने का किराया, टैण्ट लाइट, फोटोग्राफी/विडियो ग्राफी व प्रशिक्षको का मानदेय शामिल है।)
4. प्रशिक्षण कार्यक्रम का निर्धारण कर विकास अधिकारी से अनुमोदन कराकर ही प्रशिक्षण प्रारम्भ करें तथा अनुमोदन पश्चात एक प्रति इस कार्यालय को भिजवायें।
5. ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारी/जिला परिषद के एसजीएसवाई योजना के अधिकारी/विकास अधिकारी/प्रगति प्रसार अधिकारी/बैंक शाखा प्रबन्धक तथा पशु चिकित्सक ही सन्दर्भित व्यक्ति हो सकते हैं।
6. प्रशिक्षण के बिल/बाउचरों का प्रमाणिकरण विकास अधिकारियों/प्रगति प्रसार अधिकारियों द्वारा कराने के उपरान्त ही भुगतान हेतु प्रस्तुत करें।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद (ग्रा.वि.प्र.)जयपुर

प्रतिलिपि:-

1. विकास अधिकारी पंचायत समिति समस्त जिला जयपुर
2. अध्यक्ष/सचिव (गैर सरकारी संगठन)

~~अधिकृत प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु~~
~~अधिकृत प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु~~
(21/10/10)

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद (ग्रा.वि.प्र.)जयपुर

कार्यालय पंचायत समिति जनवारामगढ जिला जयपुर राज0


क्रमांक/एसज/प्रगतिअनु/एसजीएसवाई/2010-11/ 2470 दिनांक 13/10/2010

सचिव
ग्रामीण विकास युवा संस्थान
मधुवन विहार कॉलोनी
सैथल रोड दौसा

विषय :-एसजीएसवाई योजनान्तर्गत स्वयं सहायता समूह गठन एवं विकास के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि श्रीमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदय, जिला परिषद (प्रा.वि.प्र) जयपुर के आदेश क्रमांक 03/एसजीएसवाई/का.अ./10-11/716-48 दिनांक 09.06.2010 द्वारा पंचायत समिति क्षेत्र में एसजीएसवाई योजनान्तर्गत स्वयं सहायता समूह गठन, क्षमता वर्द्धन, ग्रेडिंग तथा बैंक लिंकेज कार्य हेतु आपकी संस्था का कार्यकाल दिनांक 31.03.2011 तक बढ़ाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। परन्तु आपकी संस्था द्वारा स्वयं सहायता समूहों का गठन पर्याप्त संख्या में नहीं किया गया है। जिसके कारण लक्ष्य प्राप्ति में कठिनाई आ रही है। स्वयं सहायता समूहों के गठन एवं विकास कार्य की समीक्षा निम्नहस्ताक्षरकर्ता द्वारा प्रत्येक सप्ताह के सोमवार को की जावेगी।

अतः आपका प्रतिनिधि उक्त दिवस को मय प्रगति रिपोर्ट के पंचायत समिति कार्यालय में भाग लेना सुनिश्चित करें। साथ ही आप द्वारा गठित समूहों की प्रथम एवं द्वितीय ग्रेडिंग का कार्य 15 दिवस में करवाकर रिपोर्ट निम्नहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।


विकास अधिकारी
पंचायत समिति जनवारामगढ
जिला जयपुर (राज.)

कार्यालय कार्यक्रम अधिकारी पंचायत समिति, दौसा

कंमाक:एफ 1()पंसदौ/महानरेगा/10/2382

दिनांक 26/7/10

सचिव,
ग्रामीण विकास युवा संस्थान,
दौसा।

विषय:—मैटों के द्वितीय चरण का प्रशिक्षण कराने बाबत।

प्रसंग:—श्रीमान् अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक (महानरेगा), जिला परिषद, दौसा के आदेश कंमाक :नरेगा/संस्था/10-11/396-400 दिनांक 7.7.2010 के संदर्भ में।

उपरोक्त प्रासंगिक पत्र के विषय में लेख है कि श्रीमान् अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक (महानरेगा), जिला परिषद, दौसा के आदेश कंमाक :नरेगा/संस्था/10-11/396-400 दिनांक 7.7.2010 की पालना में एवं श्रीमान् जिला कलेक्टर महोदय, दौसा द्वारा समीक्षा बैठक दिनांक 10.7.10 में दिये निर्देशों की पालना में आपकी संस्था ग्रामीण विकास युवा संस्थान, दौसा को महानरेगा योजनान्तर्गत मैटों के द्वितीय चरण का प्रशिक्षण विभागीय निर्देशानुसार कराने के लिए अधिकृत किया जाता है। आप कार्यालय में सम्पर्क कर प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं स्वीकृत बजट की प्रतिलिपि शीघ्र प्राप्त कर प्रशिक्षण कराया जाना सुनिश्चित करें।

21/26.7.10

कार्यक्रम अधिकारी (महानरेगा)
पंचायत समिति दौसा

दिनांक

कंमाक:एफ 1()पंसदौ/महानरेगा/10/

प्रतिलिपि:—आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ—

1. श्रीमान् जिला कलेक्टर महोदय, दौसा।
2. श्रीमान् अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक (महानरेगा), जिला परिषद, दौसा।
3. रक्षित पंजिका।

21/26.7.10

कार्यक्रम अधिकारी (महानरेगा)
पंचायत समिति दौसा

कार्यालय पंचायत समिति लालसोड (दौसा)

क्रमांक / नरेंगा / 2010-11 / 8151

दिनांक 29/7/10

अध्यक्ष/रात्रीव

ग्रामीण विकास युवा संस्थान

मधुवन विहार कोली बो,

सैबल रोड, दौसा

विषय: मेटो का द्वितीय चरण का प्रायश्चरण देने बाबत

उपरोक्त विषयान्वयित लेख है कि श्रीमान् जिला कलेक्टर महौ. के निर्देशानुसार श्रीमान् जिला समन्वयक (महात्मा गांधी नरेंगा एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, दौसा के पत्रांक नरेंगा/संस्था/10-11/396-400 दिनांक 7.7.10 की श्रुतपालना के सालसोड पंचायत समिति के मेटो का द्वितीय चरण के प्रायश्चरण हेतु ग्रामीण विकास युवा संस्थान, दौसा को आदेशित किया जा रहा है। आदेशावधारक की से सम्पर्क कर प्रायश्चरण कार्य व श्रुतपालना करवाया जाय श्रुत।

(Signature)

विकास अधिकारी

कम कार्यक्रम अधिकारी महानरेंगा

पंचायत समिति लालसोड (दौसा)

दिनांक 29-7-10

क्रमांक / नरेंगा / 2010-11 / 8152-55

प्रतिबिम्बे: श्रेयनाथ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

- ① श्रीमान् जिला कलेक्टर महौ. दौसा
- ② श्रीमान् जिला समन्वयक (महात्मा गांधी नरेंगा) एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, दौसा
- ③ आदेशावधारक को प्रेषण शाखा

(Signature)

विकास अधिकारी

कम कार्यक्रम अधिकारी महानरेंगा

पंचायत समिति लालसोड (दौसा)

कार्यालय जिला जल एवं स्वच्छता समिति, जिला परिषद, दौसा
सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान

क्रमांक/टीएससी/2010-11/4234-46


दिनांक: 16/7/2010

कार्यालय आदेश

शासन सचिव जन स्वा. अभि. विभाग एवं नोडल सेक्रेट्री एस.ए.सी./एस.डब्ल्यू.एस.एम./राज. सरकार जयपुर के पत्र क्रमांक पीएचईडी/पीएमयू/2004-05/7270-7381 दिनांक 27.08.2004 तथा सम्पूर्ण स्वच्छता एवं स्वजलधारा की गाईड लाईन के अनुसरण में स्वयं सेवी संस्थाओं/संगठन के माध्यम से सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु श्रीमान जिला कलक्टर महोदय दौसा की अध्यक्षता में दिनांक 15.06.09 को जिला जल एवं स्वच्छता समिति की बैठक में निर्णयानुसार स्वयं सेवी संस्था से प्राप्त आवेदनों का गाईड लाईन के Assessment Criterion के आधार पर (दो संस्थाएँ प्रति ब्लॉक) कुल 10 स्वयं सेवी संस्थाओं का जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष डी.डब्ल्यू.एस.सी. के अनुमोदन पश्चात चयन कर उनके सामने अंकित पंचायत समिति में योजना के क्रियान्वयन के लिये क्षेत्र का आवंटन किया जाता है एवं निर्देशित किया जाता है कि आप निम्नानुसार सूचनाएँ 10 दिवस में उक्त कार्यालय को उपलब्ध करावे।

1. प्रत्येक स्वयंसेवी संस्था 100/- के स्टाम्प पेपर पर अनुबंध पत्र 6 माह की कार्ययोजना मय बजट।
2. सेक्टर कोर्डिनेटर का नाम मय दूरभाष (5 पंचायतों पर एक कोर्डिनेटर)
3. प्रेरकों (आशा सहयोगिनी) की सूची
4. कार्य नियत समय व शर्तों के अनुसार पूर्ण करने का शपथ पत्र (10 रुपये के स्टाम्प पर)
5. सम्पर्क स्थल/स्वयं सेवी संस्थाओं के क्षेत्रीय कार्यालय का पूर्ण पता एवं दूरभाष


क्र.सं.	नाम स्वयंसेवी संस्था/संगठन	पंचायत समिति
1	उत्तरा फाउण्डेशन सोसायटी, करौली	महवा
2	श्री कृष्णा आदर्श शिक्षण संस्थान, टोक	महवा
3	राजस्थान ह्यूमन केयर फाउण्डेशन, जयपुर	लालसोट
4	नवरंगपुरा विकास समिति, टोक	लालसोट
5	एक्शन फॉर कम्प्युनिटी एण्ड ट्रेनिंग दौसा	बांदीकुई
6	आदर्श द्रोण विद्या मंदिर संस्थान, दौसा	बांदीकुई
7	सोशियल डवलपमेन्ट सोसायटी, दौसा	दौसा
8	जन चेतना प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान मालाखेडा, अलवर	दौसा
9	विश्वकर्मा शिक्षा समिति महवा, दौसा	सिकराय
10	ग्रामीण विकास युवा संस्थान, दौसा	सिकराय


मुख्य कार्यकारी अधिकारी
एवं सह-अध्यक्ष डी.डब्ल्यू.एस.सी.
जिला परिषद, दौसा
दिनांक:

क्रमांक/टीएससी/2010-11/

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. मुख्य अभियन्ता जन स्वा. अभि. विभाग राज. जयपुर।
2. श्रीमान जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष डी.डब्ल्यू.एस.सी., दौसा
3. अधिशाषी अभियन्ता, एवं सदस्य सचिव डी.डब्ल्यू.एस.सी., दौसा
4. संबंधित स्वयंसेवी संस्था/संगठन


मुख्य कार्यकारी अधिकारी
एवं सह-अध्यक्ष डी.डब्ल्यू.एस.सी.
जिला परिषद, दौसा




कार्यालय कार्यक्रम अधिकारी (NREGS) पंचायत
समिति सिकराय, दौसा

क्रमांक : नरेगा / 2010-11 / 453

दिनांक : 13/7/10

कार्यालय आदेश


श्रीमान मुख्यकार्यकारी अधिकारी जि.प. दौसा एवं पत्र क्रमांक 396-400 दिनांक 6/7/2010 एवं श्रीमान जिला कलक्टर महोदय द्वारा मिटींग में दिये गये निर्देश की अनुपालना में मेट प्रशिक्षण (द्वितीय चरण) के लिए ग्रामीण विकास युवा संस्थान को अधिकत किया जाता है तथा साथ ही संस्था निर्देशित किया जाता है कि वह कार्यालय से सम्पर्क कर मेट प्रशिक्षण (द्वितीय चरण) की प्रोग्राम लेवे एवं प्रशिक्षण कार्य निर्यादित करवाये।


कार्यक्रम अधिकारी
पंचायत समिति सिकराय
दिनांक:-

क्रमांक:-

सूचनार्थ प्रतिलिपि :-

1. श्रीमान अतिरिक्त कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद दौसा।
2. श्रीमान ब्लॉक कार्डिनेटर एवं रण-खण्ड अधिकारी महोदय सिकराय
3. ग्रामीण विकास युवा संस्था दौसा


कार्यक्रम अधिकारी
पंचायत समिति सिकराय

कार्यालय विकास अधिकारी, पंचायत समिति महवा (दौसा)

क्रमांक : 5528

दिनांक : 13/7/10

सचिव,
ग्रामीण विकास युवा संस्थान
मधुवन विहार कॉलोनी, सेंथल रोड दौसा।

विषय:-मैटो के द्वितीय चरण के प्रशिक्षण हेतु व्यवस्था करवाये जाने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि महानरेगा योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु पंचायत समिति महवा के अन्तर्गत आने वाली समस्त ग्राम पंचायतों के मैटो का प्रशिक्षण करवाया जाना है जिसके लिये आपके संस्थान का प्रशिक्षण संबंधी समस्त व्यवस्था करने के लिये चयन किया गया है।

अतः आपको आदेशित किया जाता है कि आप निम्न कार्यक्रमानुसार प्रशिक्षण करवाया जाना सुनिश्चित करें।

क्रम संख्या	दिनांक	ग्राम पंचायतों का नाम
1.	22.07.10 से 25.07.10	नाहिडा, तालचिडी, ढण्ड, बडागांव, खेडलाबुजुर्ग, सलेमपुर, बाडा बुजुर्ग, औण्ड मीणा, पलानहेडा, सांथा, गाजीपुर, गहनौली, पावटा, महवा, टेकडा।
2.	26.07.10 से 29.07.10	बालाहेडी, नौरंगवाडा, समलेटी, हुडला, टुडियाना, गगवाना, रसीदपुर, धौलखेडा, खौचपुरी, पाटोली, कमालपुर, रामगढ, पाली, खेडला गदाली।
3.	30.07.10 से 02.08.10	हडिया, सालिमपुर, सायपुर पाखर, मण्डावर, गढहिम्मतसिंह, कोट, बनावड, हल्दैन, जटवाडा, पाखर, उकरुद, रीदली, केसरा, रायपुर।

उक्त सभी प्रशिक्षण दिवसों में प्रशिक्षण स्थल पंचायत समिति मुख्यालय महवा रहेगा।

कार्यक्रम अधिकारी एवं
विकास अधिकारी
पंचायत समिति महवा

क्रमांक 5529-32

दिनांक 13/7/10

-प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ-

1. श्रीमान् जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं जिला कलेक्टर महोदय दौसा।
2. श्रीमान् अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद दौसा।
3. श्रीमान् ब्लॉक कार्डिनेटर एवं उपखण्ड अधिकारी महवा।
4. श्रीमान् प्रशिक्षण समन्वयक जिला परिषद दौसा।
5. रक्षित पत्रावली।

कार्यक्रम अधिकारी
पंचायत समिति महवा (दौसा)

कार्यालय जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ), जयपुर

पत्रांक : 03/एसजीएसवाई/का.आ./10-11/1261-67


दिनांक 8.7.2010

कार्यालय आदेश

स्वर्णजयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजनान्तर्गत स्वयं सहायता समूह गठन, क्षमता वर्धन, ग्रेडिंग तथा बैंक लिंकेज कार्य में लिप्त गैर सरकारी संस्थाएँ जो गत वर्ष जिले में कार्यरत थी तथा उनका कार्यकाल 31.3.2011 तक बढ़ाया जा चुका है उनमें से निम्न गैर सरकारी संस्थाओं को विकास अधिकारी की मांग के अनुसार निम्नानुसार पंचायत समितियों का आवंटन किया जाता है। ग्राम पंचायतवार कार्यक्षेत्र का आवंटन सम्बन्धित विकास अधिकारी द्वारा किया जायेगा।


क्र०सं०	प०स०	संस्था का नाम मय पता
1	सांभरलेक	1. वाणी संस्थान सांगानेर 18 बी गायत्रीनगर पारदीया हास्पिटल के सामने मालपुरा रोड, सांगानेर
2	झोटवाड़ा	1. ग्रामीण विकास युवा संस्थान मधुवन विहार कालौनी सैथल रोड, दौसा
3	सांगानेर	1. श्रद्धा महिला प्रशिक्षण केन्द्र व शिक्षण संस्थान ए-32 सेठीकालौनी, ज.

उपरोक्त संस्थाएँ पूर्व में आवंटित क्षेत्र में भी कार्य करेंगी।


मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद(ग्रा.वि.प्र.), जयपुर

प्रतिलिपि:-

1. विकास अधिकारी पंचायत समिति सांभरलेक/झोटवाड़ा/सांगानेर जिला-जयपुर।
2. वाणी संस्थान सांगानेर 18 बी गायत्रीनगर पारदीया हास्पिटल के सामने मालपुरा रोड, सांगानेर।
3. ग्रामीण विकास युवा संस्थान मधुवन विहार कालौनी सैथल रोड, दौसा।
4. श्रद्धा महिला प्रशिक्षण केन्द्र व शिक्षण संस्थान ए-32 सेठीकालौनी, जयपुर।


मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद(ग्रा.वि.प्र.), जयपुर

कार्यालय जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ), जयपुर

पत्रांक : 03/एसजीएसवाई/का.आ./10-11/ 716-48

दिनांक 3.6.2010

कार्यालय आदेश

स्वर्णजयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजनान्तर्गत स्वयं सहायता समूह गठन, क्षमता वर्धन, ग्रेडिंग तथा बैंक लिंकेज कार्य में लिप्त गैर सरकारी संस्थाएँ जो गत वर्ष जिले में कार्यरत थी उनमें से निम्न गैर सरकारी संस्थाओं का कार्यकाल विकास अधिकारियों की अनुशंसा के आधार पर दिनांक 4.6.2010 को आयोजित जिला स्तरीय एसजीएसवाई समिति की बैठक में अनुमोदन कराकर दिनांक 31.03.2011 तक बढ़ाने की स्वीकृति प्रदान कि जाति है।

गैर सरकारी संस्थाओं की सूची जिनका कार्यकाल बढ़ाया गया है।

क्र०सं०	प०स०	संस्था का नाम मय पता
1	आमेर	1.प्रान्तीय ग्रामीण समग्र विकास संस्थान प्लाट नं.8 शहीद बाबा की मोरी मालवीय नगर,जयपुर। 2.जनकैला साहित्य मंच,जयपुर डी-17 अशोक बिहार भृगुपथ न्यू सांगानेर रोड,जयपुर 3.फ्रेण्डस आर्गोनाईजेशन फार रिसर्च एण्ड डेव.सोसायटी प्लाट नं. ए-19 अम्बेडकर कालोनी,टोक जिला-टोक 4. सौहार्द विकास संस्थान हाई स्कूल रोड बांदीकुई जिला-दौसा
2	बस्ती	1.श्रद्धा महिला प्रशिक्षण केन्द्र व शिक्षण संस्थान ए-32 सेठीकालोनी,ज. 2.सिद्धी विनायक विकास संस्थान बांदीकुई जिला-दौसा
3	चाकसू	1.सिकोईडिकोन संस्थान स्वराज परिसर एफ-159,160 सीतापुरा औद्योगिक एरिया जयपुर। 2. सेन्टर फॉर रुरल डेवलपमेन्ट एण्ड कन्सलैन्ट मु०पो०थली,चाकसू
4	दूदू	1.राजस्थान ग्राम विकास सेवा संस्थान ग्रा०पो० मौखमपुरा,दूदू 2.राजस्थान पर्यावरण विकास शोध संस्थान 124 माधव कालोनी मदार रोड,अजमेर
5	गोविन्दगढ	1.श्याम संस्कृति सेवा समिति शास्त्री कालोनी चीथवाडी तह०चौमू 2 फ्रेण्डस आर्गोनाईजेशन फार रिसर्च एण्ड डेव.सोसायटी प्लाट नं. ए-19 अम्बेडकर कालोनी,टोक जिला-टोक।
6	झोटवाडा	1.. मरुधर ग्रामोद्योग कला विकास संस्थान सरदार शहर , चूरू
7	जमवारामगढ	1.ग्रामीण विकास युवा संस्थान मधुवन विहार कालोनी सैथल रोड,दौसा 2.राजस्थान हयुमन केयर फाउण्डेशन 21,चम्पानगर गुर्जर की थडी न्यू सांगानेर रोड, जयपुर
8	फागी	1.सिकोईडिकोन संस्थान स्वराज परिसर एफ-159,160 सीतापुरा औद्योगिक एरिया जयपुर 2. राजस्थान पर्यावरण विकास शोध संस्थान 124 माधव कालोनी मदार रोड,अजमेर
9	सांभरलेक	1.सुगम संस्थान बिचून ग्रा० पो० बिचून वाया सांभरलेक जिला-जयपुर
10	कोटपूतली	1. प्रान्तीय ग्रामीण समग्र विकास संस्थान प्लाट नं.8 शहीद बाबा की

		मोरी मालवीय नगर, जयपुर। 2. वाणी संस्थान सांगानेर 118 बी गायत्रीनगर पारदीया हास्पिटल के सामने मालपुरा रोड, सांगानेर
11	सांगानेर	1. वाणी संस्थान सांगानेर 118 बी गायत्रीनगर पारदीया हास्पिटल के सामने मालपुरा रोड, सांगानेर
12	शाहपुरा	1. सर्च एण्ड सर्विस सोसायटी ग्रा०पो० तेवडी वाया मेड तह० विराटनगर 2. राधा गोविन्द पब्लिक स्कूल समिति लोचू का बास पो० निठारा तह० शाहपुरा जिला-जयपुर 3. राजस्थान हयुमन केयर फाउण्डेशन 21, चम्पानगर गुर्जर की थडी न्यू सांगानेर रोड, जयपुर 4. भारती विकास संस्थान 1346 कायथवाल भवन चौमू हाउस के पीछे गंगापोल, जयपुर।
13	विराटनगर	1. सर्च एण्ड सर्विस सोसायटी ग्रा०पो० तेवडी वाया मेड तह० विराटनगर 2. पंचायती राज जन चेतना संस्थान, जयपुर डी-15 राजापार्क, जयपुर 3. सर्व सेवा संस्थान गुडा चुरानी तह० थानागाजी जिला-अलवर

उपरोक्त संस्थाएँ पूर्व में आवंटित क्षेत्र में ही कार्य करेंगी, जिस क्षेत्र में कोई एनजीओ कार्य नहीं कर रहा है उस क्षेत्र का आवंटन विकास अधिकारी द्वारा किया जायेगा।

पंचायत समिति झोटवाड़ा, सांभरलेक व सांगानेर में सिर्फ एक-एक एनजीओ कार्यरत है, पंचायत समिति की मांग पर इन पंचायत समितियों में उपरोक्त एनजीओ में से एक-एक एनजीओ और लगाया जा सकता है, लेकिन पूर्व में कार्यरत एनजीओ का कार्यक्षेत्र बदला नहीं जायेगा।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद (ग्रा.वि.प्र.), जयपुर

प्रतिलिपि:-

1. विकास अधिकारी पंचायत समिति (समस्त) जिला-जयपुर।
2. गैर सरकारी संस्था

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद (ग्रा.वि.प्र.), जयपुर

कार्यालय कार्यक्रम अधिकारी (महानरेगा) पंचायत समिति दौसा

क्रमांक : महानरेगा/2010-11/842

दिनांक 8/6/10

ग्रामीण विकास युवा संस्थान
दौसा।

विषय :- सामाजिक अंकेक्षण कमेटी के सदस्यों एवं सहयोगियों को प्रशिक्षण करवाने
बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि दिनांक 31 मई 2010 को आयोजित ग्राम सभा
की बैठकमें गठित सामाजिक अंकेक्षण कमेटी के सदस्यों/सहयोगियों को दिनांक 14.06.
2010 से आयोजित होने वाले 5 दिवसीय प्रशिक्षण में वर्किंग लंच, स्टेशनरी - फोल्डर,
स्पिलपैड, पेन, फोटो कॉपी, प्रशासनिक व्यय फील्ड विजिट आदि की व्यवस्था विभागीय
भाषणों के अनुसार किया जाना सुनिश्चित करे।

प्रशिक्षण में अव्यवस्था के लिए आप स्वयं जिम्मेदार एवं जवाबदेह होंगे। यात्रा
भत्ता का भुगतान कार्यालय द्वारा किया जावेगा।

(21)
8.6.10
कार्यक्रम अधिकारी (महानरेगा)
पंचायत समिति दौसा

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ

1. श्रीमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद दौसा।
2. व्यवस्थापक ग्रामीण विकास युवा संस्थान दौसा।
3. लेखा शाखा कार्यालय हाजा।

(21)
8.6.10
कार्यक्रम अधिकारी (महानरेगा)
पंचायत समिति दौसा

कार्यादेश

वित्तीय वर्ष 2009-10 के लिए स्वावलम्बन योजना-तर्गत निम्न 52 स्वयं सेवी संस्थाओं को निम्नानुसार प्रशिक्षण आयोजित कराने के कार्यादेश दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है-

क. सं.	स्वयंसेवी संस्था (NGO) का नाम	ब्लाक	जिला	प्रशिक्षण दिये जाने का ड्रेड	ड्रेड की लागत	प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली महिलाओं की सं.	प्रशिक्षण की अवधि	प्रथम किश्त 10%	द्वितीय किश्त 30%	तृतीय किश्त 30%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	एमएमएम शिक्षण एवं जनसेवा संस्था, खोजा वायडी, सिंधी कॉलोनी, टोंक	टोंक	टोंक	जरीशिला आरी-तारी वेचवक	39600	30	2 Month	15840	11880	11880
2	वागड वसुधा कल्याण संस्थान सुधारवाडा, बड़ोदिया, बांसवाडा	बांसवाडा	बांसवाडा	यूटीशियन	31900	30	1 Month	12760	9570	9570
3	स्वीट संस्थान 167, मातृ सदन, कर्मार्थाल एरिया बांसवाडा	बांसवाडा	बांसवाडा	बोम/पंडे नर से निर्मित कलात्मक प्रस्तुत	31900	30	1 Month	12760	9570	9570
4	प्रगति ग्रामीण विकास सेवा संस्थान रागशियामाडा बांसवाडा	बांसवाडा	बांसवाडा	रहीर डिदि	39600	30	2 Month	15840	11880	11880
5	शक्ति सेवा संस्थान, पब्लिक मल के सामने चौकली बाडा सुधारवाडा डूंगरपुर	डूंगरपुर	डूंगरपुर	सर्जिल म	28050	30	1 1/2 Month	11220	8415	8415
6	ग्रामीण विकास युवा संस्थान, मधुवन विहार कालोनी, सैथल रोड, दोसा	दोसा	दोसा	ज्येलर मेकिंग व डिजाइनिंग	56100	30	3 Month	22440	16830	16830
7	नवजीवन पब्लिक स्कूल समिति, छोकरवाडा, तहसील सीकरवाय, जिला दौसा	सीकरवाय	दोसा	यूटीशियन	31900	30	1 Month	12760	9570	9570
8	सेनी शिक्षा एवं ग्रामीण विकास संस्थान, जहांगीर कुम्हेर, भरतपुर	कुम्हेर	भरतपुर	रेडिमेड मारके.	39600	30	1 1/2 Month	15840	11880	11880
9	रमा ग्रामीण विकास समिति, नीम डा गेट भरतपुर	भरतपुर	भरतपुर	यूटीशियन	31900	30	1 Month	12760	9570	9570
10	सृजन संस्थान, कृष्णा नगर, भरतपुर	भरतपुर	भरतपुर	गोल्ड पेंटिंग	28050	30	1 Month	11220	8415	8415
11	रानी अवतीबाइ शिक्षा समिति, गोपालगढ, जर्धीगा गेट, भरतपुर	भरतपुर	भरतपुर	सेमट व रमा एमके	39600	30	2 Month	15840	11880	11880
12	गीर्य स्वयंसेवी समाज सेवा संस्थान (जीएसएसएस) बांसवाडा जिला बांसवाडा के तहत बांसवाडा जिला के तहत ग्रामीण विकास संस्थान सुधारवाडा बांसवाडा जिला बांसवाडा	बांसवाडा	बांसवाडा	यूटीशियन	31900	30	1 Month	12760	9570	9570

14	स्मृति समाज कटवा संस्थान, खवासजी (बली), महल चौक, अलवर	अलवर	आलावाड	जरीशिल्प, आरी-तारी पैयदान	39600	30	2 Month	15840	11880	11880
15	सोशल वेलफेयर एंड रूरल डवलपमेंट सोसायटी, 127 साईनाथपुरम हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, कोटा रोड, झालावाड	आलरापाटन	आलावाड	जरीशिल्प, आरी-तारी पैयदान	39600	30	2 Month	15840	11880	11880
16	मिश्रा जन कल्याण संस्थान, मंगलपुरा, झालावाड	आलरापाटन	आलावाड	ज्वलरी मेकिंग - डिजाइनिंग	56100	30	3 Month	22440	16830	16830
17	स्वामी विवेकानंद ग्रामीण विकास समिति, गुरुकृपा मोटर्स, आलरापाटन रोड, झालावाड	अलरापाटन	अलरापाटन	माटर वाइडिंग	28050	30	1 Month	11220	8415	8415
18	आरथा ग्रामीण विकास समिति, आलरापाटन रोड, बकानी, झालावाड	अलरापाटन	आलरापाटन	जरीशिल्प, आरी-तारी पैयदान	39600	30	2 Month	15840	11880	11880
19	महारडा रिसर्च एंड डवलपमेंट संस्थान, इन्द्रा कालोनी, वार्ड 7, सुजानगढ़, चूरु	चूरु	चूरु	टाई एंड यार्ड	39600	30	1½ Month	15840	11880	11880
20	सेंट्रल चिल्ड्रन एकाडमी सोसायटी, लाडनू गैस स्टैंड, सुजानगढ़, चूरु	सुजानगढ़	चूरु	सेडमर गार्मेटिंग	39600	30	1¼ Month	15840	11880	11880
21	महिला सेवा सदन - समिति, 3/174 हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, स.भाघोपुर	स.भाघोपुर	स.भाघोपुर	शूड प्रोसेसिंग	28050	30	1 Month	11220	8415	8415
22	सर्वसाम्य संस्थान, राजेश कटर मशीन के पीछे, राजविहार कालोनी, आलमपुर	स.भाघोपुर	स.भाघोपुर	हेड जॉब फ्रिंटिंग	39600	30	2 Month	15840	11880	11880
23	लक्ष्मी शिक्षा प्रसार समिति, उर्मिला प्राईमरी स्कूल के पास, थापू कालोनी, कोटा	कोटा	कोटा	जूटीशिंग	31900	30	1 Month	12760	9570	9570
24	जामना देवी लोक कल्याण संस्थान, 20B जनकपुरी, मालारोड, कोटा	कोटा	कोटा	ज्वलरी मेकिंग एंड डिजाइनिंग	56100	30	1 Month	22440	16830	16830
25	महक वेलफेयर सोसायटी कोटा, C/o श्रीराम दया खाना इनकम टैक्स ऑफिस के पीछे, दुर्गा कालोनी, कोटा	कोटा	कोटा	सेडमर गार्मेटिंग	39600	30	1½ Month	15840	11880	11880
26	सत्यवती विद्या महिला विकास समिति म.न. 41 ई रेल्वे बर्कशाप कालोनी, कोटा	कोटा	कोटा	जूटीशिंग	31900	30	1 Month	12760	9570	9570
27	सुगन महिला विकास एवं वात शिक्षा समिति, थुकेडा, कोटा, सरकारी स्कूल के पास	कोटा	कोटा	जरीशिल्प, आरी-तारी पैयदान	39600	30	2 Month	15840	11880	11880
28	लक्ष्मी बाल शिक्षा समिति	कोटा	कोटा	जूटीशिंग	31900	30	1½ Month	12760	9570	9570
29	देवकी शिक्षण संस्थान, 109 करवला लारडनू रोड, कोटा	कोटा	कोटा	जूटीशिंग	31900	30	1 Month	12760	9570	9570

क्र.सं.	संस्था का नाम	जिला	कोटा	रजिस्ट्रार	अंश	दिनांक	1/2	1/4	3/4	
31	नन्दलाल समधानिया लोक कल्याण संस्थान 74 बूंदी का चौक पाटनपोल, कोटा	कोटा	कोटा	रजिस्ट्रार गारमेट	39600	30	1/2 Month	15840	11880	11880
32	मदरटेरेसा चिल्ड्रेन शिक्षण समिति 36-री सिविल लाइन, पीली कोठी, नयापुरा, कोटा	कोटा	कोटा	रजिस्ट्रार गारमेट	39600	30	1/2 Month	15840	11880	11880
33	दारुल कजा इदारा-ए-शरीना राजस्थान, 3 वी 50 विज्ञान नगर, कोटा	कोटा	कोटा	ब्यूटीशियन	31900	30	1/2 Month	12760	9570	9570
34	दीनदयाल विचार संस्थान, श्री जसवन्त सिंह वापू कॉलोनी, कोटा जक्शन, खांपुर रोड, कोटा	कोटा	कोटा	ज्वेलरी मेकिंग एण्ड डिजाइनिंग	56100	30	3 Month	22440	16830	16830
35	दुर्गा महिला विकास समिति, 4- रायपुर रोड कोटा-2	कोटा	कोटा	पेपर पेरी	31900	30	1/2 Month	12760	9570	9570
36	तिलक मेमोरियल पब्लिक स्कूल शिक्षण समिति एवं रुरल डवलपमेंट संस्थान, वार्ड नं. 9, हनुमानगढ़ ज.	हनुमानगढ़	हनुमानगढ़	करीबिचिय, आरी-वारी पेरवर्ग	39600	30	2 Month	15840	11880	11880
37	किशोरी लाल मेमोरियल विद्या मन्दिर समिति फतेहगढ़	हनुमानगढ़	हनुमानगढ़	रेडीमेड गारमेट	39600	30	1/2 Month	15840	11880	11880
38	शर्मा शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान, वार्ड नं. 9 नजदीक शर्मा विद्या मन्दिर स्कूल	हनुमानगढ़	हनुमानगढ़	रेडीमेड गारमेट	39600	30	1/2 Month	15840	11880	11880
39	एवरग्रीन मोन्टेन्सरी शिक्षण संस्थान, मीनमाल बाईपास रोड, जालौर	जालौर	जालौर	रजिस्ट्रार गारमेट	39600	30	1/2 Month	15840	11880	11880
40	नारी जाग्रति एवं कल्याण समिति, आव. रोड (गांधीनगर) सिसोही	सिसोही	सिसोही	ब्यूटीशियन	31900	30	1/2 Month	12760	9570	9570
41	श्री राजीव गांधी शिक्षण व विकास स. दीपक हैंडीक्राफ्ट स्टेशन रोड, स.माधोपुर	स.माधोपुर	स.माधोपुर	टाई एंड डाई	39600	30	1/2 Month	15840	11880	11880
42	महिला उत्थान समिति, खभेका सेनी मंदिर वार्ड नं. 22, चुरू	चुरू	चुरू	रजिस्ट्रार व कल्याण सेवा	28050	30	1/2 Month	11220	8415	8415
43	इन्वोवेटिव महिला सहकारी समिति धानुको की हवेली के पास, वार्ड नं. 30, चुरू	चुरू	चुरू	रेडीमेड गारमेट	39600	30	1/2 Month	15840	11880	11880
44	मानव प्रगति संस्थान उम्मानाबाद कॉलोनी, नये बस स्टैंड के पास, चुरू	चुरू	चुरू	रजिस्ट्रार गारमेट	39600	30	1/2 Month	15840	11880	11880
45	शुभा श्री महिला कल्याण संस्थान	जालौर	जालौर	रजिस्ट्रार गारमेट	56100	30	3 Month	22440	16830	16830


46	नवल विकास प्रशिक्षण संस्थान रामदेवजी के पास, अनन्तपुरा, कोटा	कोटा	कोटा	ब्यूटीशियन	31900	30	1 Month	12760	9570	9570
47	अखिल महिला एवं बाल विकास समिति प्लॉट नं 2 इफिएट टॉवर वाली थिम्बिंग एसोसियम सर्किल, कोटा।	कोटा	कोटा	ब्यूटीशियन	56100	30	3 Month	22440	16830	16830
48	आदर्श लोकदशा उत्थान संस्थान मन 80, नगर निगम कलोनी, दशहरा मैदान, कोटा	कोटा	कोटा	ब्यूटीशियन	31900	30	1 Month	12760	9570	9570
49	जनकल्याण सेवा संस्थान, माडल टाउन, ऑटो मार्केट चावाण मोटर, नोहर	नोहर	हनुमानगढ़	रिटिमेंट ग्राफिस्ट	39600	30	1½ Month	15840	11880	11880
50	श्रीगुरुनानक सिलाई युनाई व कढ़ाई प्रशिक्षण, पीली बंगा वार्ड नं. 4, हनुमानगढ़	पीलीबंगा	हनुमानगढ़	रिटिमेंट ग्राफिस्ट	39600	30	1½ Month	15840	11880	11880
51	बी.आर शिक्षण प्रशिक्षण एवं सेवा संस्थान, गली नं. 13, नई आवादी, हनुमानगढ़ टाउन	हनुमानगढ़	हनुमानगढ़	ब्यूटीशियन	31900	30	1 Month	12760	9570	9570
52	श्री शास्त्री स्मृति विद्यालय समिति, गली नं. 16, नई आवादी, हनुमानगढ़ टाउन	हनुमानगढ़	हनुमानगढ़	ब्यूटीशियन	31900	30	1 Month	12760	9570	9570
योग					1965700			786280	589710	589710

शर्तें-

- 1 प्रशिक्षण प्रारंभ किये जाने से पूर्व संबन्धित स्वयंसेवी संस्था प्रशिक्षण प्रारंभ करने की तिथि, स्थान एवं स्थान के पते से संबंधित उपनिदेशक, मन्वावे को सूचित किया जावे तथा उपनिदेशक, मन्वावे द्वारा निदेशालय को इस सूचना से शीघ्र अवगत करावे।
- 2 संस्था के नाम के आगे अंकित ब्लाक में ही प्रशिक्षण आयोजित करवाया जाए।
- 3 प्रशिक्षणार्थियों, मास्टर काफ्टसमेन एवं सहायक की प्रति दिवस की उपस्थिति पंजिका संधारित की जावे।
- 4 प्रशिक्षण में कच्चे माल की पर्याप्त उपलब्धता रखी जावे।
- 5 प्रशिक्षण हेतु महिलाओं का चिन्हिकरण संबंधित NCO द्वारा स्वयं के स्तर से किया जाएगा, जिसका प्रमाणन संबंधित उपनिदेशक, मन्वावे से करवाया जावे।
- 6 30 प्रशिक्षणार्थियों से कम के प्रशिक्षण बैच स्वीकार्य नहीं होंगे।
- 7 प्रशिक्षणार्थियों के प्रत्येक बैच में 30 में से 10 लाभार्थी विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा वर्ग से अनिवार्य रूप से शामिल किये जावे प्रशिक्षणार्थियों की संख्या बढ़ने की स्थिति में कुल प्रशिक्षणार्थियों में से 30 प्रतिशत लाभार्थी विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा वर्ग से होने आवश्यक होंगे। शेष प्रशिक्षणार्थी महिलाएं SHG/सामान्य वर्ग/योजना के दिशा-निर्देशानुसार होंगी।
- 8 प्रशिक्षण ट्रेड अनुसार निर्धारित अवधि में ही आयोजित किये जावे प्रशिक्षण दिवसों में कमी नहीं की जावे।
- 9 प्रशिक्षण में प्रशिक्षण श्रेणी/इजाजाट/सेक्टर प्रशिक्षण की तकनीकी बातों को सुधारा देने के लिए प्रशिक्षण के आयोजन के समय प्रशिक्षण के आयोजन के

- 10 प्रशिक्षण उपरान्त सभी प्रशिक्षणार्थियों को संलग्न में जारी खीब सूची में निरंतर Follow-up किया जावे।
- 11 उक्त स्वीकृति में अंकित प्रशिक्षण निर्धारित समयावधि अनुसार आयोजित किया जाना सुनिश्चित किया जावे। प्रशिक्षण 25 10 से अति आवश्यक रूप से प्रारंभ कर लिए जावे।
- 12 स्वावलम्बन योजना के दिशा-निर्देशों में वर्णित समस्त नियमों व शर्तों की पालना सुनिश्चित की जावे।
- 13 उष्णोष्णता प्रमाण पत्र निर्धारित ढांचे में संबंधित जिले के उपनिदेशक, मबावि से प्रतिहरताक्षर करवा कर भिजवाया जावे।
- 14 भुगतान प्रक्रिया-

- संस्था को आदेश दिये जाने पर स्वीकृत राशि का 40% भुगतान
- प्रशिक्षण के संतोषप्रद पये जाने की रिपोर्ट प्राप्त होने पर स्वीकृत राशि का 30% भुगतान
- 30% राशि का भुगतान प्रशिक्षण पश्चात संस्था द्वारा 6 माह तक फॉलोअप/हैंडलिंग कर स्वरोजगार से जुड़ने के पश्चात किया जाएगा, इस आदेश का प्रमाण पत्र संबंधित जिले के उपनिदेशक द्वारा दिया जाएगा। प्रशिक्षित महिला द्वारा 1100 रु प्रतिमाह आय प्रदान योग्य किया जाना आवश्यक है। भुगतान निदेशालय से स्वावलम्बन मद के पीछी खाते से भुगतान किया जाएगा। संबंधित ट्रेड के लिए संलग्न बजट प्रावधान अनुसार व्यय सीमा रखी जावे।


 आयुक्त
 महिला अधिकारिता
 राज, जयपुर

क्रमांक पं.15 (1)निमअ/ एसएचसी/ स्वावलम्बन/09/5757-826 जयपुर, दिनांक 15-3-10

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

- 1 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, मबावि।
- 2 निजी सहायक, आयुक्त, महिला अधिकारिता, मुख्यालय।
- 5 उपनिदेशक, मबावि
- 6 स्वयंसेवी संस्था

..... को भेजकर सूचित किया जाता है कि प्रशिक्षण प्रारंभ करी हेतु उपरोक्त समस्त 13 शर्तों को ध्यान में रखते हुए प्रशिक्षण प्रारंभ किया जा, तथा भुगतान हेतु भी उपरोक्त समस्त 13 शर्तों की कमवार पूर्ति कर भिजवाने पर ही भुगतान किया जाएगा।

- 7 सहायक लेखाधिकारी (भुगतान) मुख्यालय।
- 8 लेखाकार, मअ मुख्यालय
- 9 रक्षित पत्रावली।

9/3/2
 उपनिदेशक WSHGI एवं पंचायत आदि
 स्वयंसेवी समूह कार्य प्र
 मबावि

उपनिदेशक कृषि (वि.सा.) एवं परियोजना निदेशक आत्मा, दौसा

81

क्रमांक :- आत्मा/ 2009-10/ 16237-49


दिनांक: 26.02.10

प्रति :-

1. क्षेत्रीय पर्यावरण एवं विकास समिति, जयपुर
2. कृषि विभाग, दौसा।
3. प्राचीन विधायी मुक्त संस्थान, दौसा
4. पर्यावरण विभाग, दौसा
5. राजस्थान ह्यूमन केंटर फाउन्डेशन, 12 साकुनिया हाउस, शिव कालौनी, दौसा

विषय:- आत्मा कार्यक्रम अन्तर्गत वर्ष 2009-10 हेतु अनुभूदित जिला वार्षिक योजना की गतिविधियों का आयोजन हेतु एम.ओ.यु. करने का बत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत आत्मा कार्यक्रम अन्तर्गत वर्ष 2009-10 हेतु अनुभूदित जिला वार्षिक योजना की गतिविधियों का आयोजन आत्मा कैंफटेरिया एवं दिशा निर्देशनुसार 30 मार्च तक सम्पन्न करवाना 3.03.2010 तक कार्यालय समय में उपस्थित होकर उप निदेशक कृषि (वि.) एवं परियोजना निदेशक आत्मा, दौसा, एम.ओ.यु. जमाकर कर प्रस्तुत करें।




उप निदेशक कृषि
परियोजना निदेशक आत्मा

क्रमांक :- आत्मा/ 2009-10/ 16237-49

दिनांक:- 26.02.10

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. श्रीमान निजि सहायक जिला कलक्टर एवं चैयरमैन आत्मा, दौसा।
2. श्रीमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, दौसा।
3. श्रीमान मुख्य वैज्ञानिक कृषि विज्ञान केंद्र, दौसा।
4. श्रीमान उप निदेशक पशुपालन विभाग, दौसा।
5. जयपुर निदेशक कृषि (वि.) जिला / जयपुर दौसा।
6. लेखा / संचयन शाखा, कार्यालय हाजा।



उप निदेशक कृषि
परियोजना निदेशक आत्मा

ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण (खंड)

3 मंडल, बी ब्लॉक, योजना भवन, जयपुर

क्रमांक/सं/संख्या/संख्या/2009-10/3066

दिनांक - 28-1-2010

कार्यालय स्वीकृति आवेदन

वित्तीय वर्ष 2009-10 में राज्य वजत घोषणा 09 संख्या 117 के अन्तर्गत राज्य आजीवनिक विभाग से प्रशिक्षण हेतु प्राप्त राशि से करवाये जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों को एक रूपता प्रदान करने की दृष्टि से प्रशिक्षण में स्वीकृत कार्यक्रमों का समावेश करते हुए विशेष कौशल सन्तुल्य प्रशिक्षण निर्धारित गोड्यूल के अनुसार ग्रामीण विकास एवं स्वरोजगार के अन्तर्गत उपलब्ध कराने हेतु उनके वनोपकरण, विभाग के सदस्यों की पूर्ति हेतु राष्ट्रीय स्तर पर प्रशिक्षणों के माध्यम से निर्धारित कार्यक्रम आयोजित किये जाने हेतु निम्नानुसार प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान प्रदान की जाती है

क्र. सं.	समिति/ संस्था का नाम एवं पता	कौशल प्रशिक्षण गतिविधि	स्थान	कार्य अवधि	कुल स्वीकृति योग्य राशि	प्रशिक्षणार्थियों की संख्या	श्रेणी
1	ग्रामीण विकास युवा संस्थान, दोसा	मिट्टी के कर्तन (SCP)	जोगपुर, रामवाडा, झुंगरपुर	45 दिवस	1,11,000/-	25	अनुसूचित/अन्य
2	शुद्धा संस्थान, सिन्धवा, आवूरोड	टेराकोटा (SCP)	सुरपगला, आवूरोड	45 दिवस	1,11,000/-	25	अनुसूचित/अन्य
3	अपकृती सेवा समिति, आवू रोड	चर्म एरोसरीज (Leather)	संतपुर, आवू, सिरौही	45 दिवस	1,11,000/-	25	अनुसूचित/अन्य
4	सुरजपुर ग्रामपालिका विकास समिति, पाकलप नगर	घोंकण (SCP)	मोकण, नोरसगरेर	45 दिवस	1,11,000/-	25	अनुसूचित/अन्य
5	सकावली ग्रामपालिका नगर विकास समिति, जयपुर	सर्तन कार्निंग (SCP)	नारदपुरा ग्राम (आमर), जयपुर	45 दिवस	1,11,000/-	25	अनुसूचित/अन्य

प्रत्येक प्रशिक्षण में उपरोक्त स्वीकृत राशि का मदवाईज गोड्यूल निम्नानुसार निर्धारित किया गया है :-

क्र.सं.	मदवाईज विवरण	स्वीकृति योग्य राशि
1	कपड़े कपटेशन चुरिका राशि 250/- प्रतिदिन (250X45)	11250.00
2	प्रशिक्षण स्थल का किराया 2000/- प्रतिमाह	3000.00
3	प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु मशीन, उपकरण आदि का किराया	7000.00
4	दैनिक भोजन 750/- रुपये प्रतिमाह प्रतिभागिता (750X25 X1.5)	28125.00
5	मिट्टी के कर्तन हेतु 1000/- रुपये प्रतिमाह (1500X25 X1.5)	37500.00
6	प्रशिक्षण कार्यक्रम आयुग्मेंटेशन व्यय/अन्य विविध कार्य प्रशिक्षण अवधि में	12000.00
7	प्रशिक्षण कार्यक्रम शुभारंभ एवं समापन पर व्यय	2000.00
	कुल व्यय	109875.00
	10 प्रतिशत एन.जी.ओ. संस्था को संस्थापन व्यय हेतु	10125.00
	कुल योग	111000.00

ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण (रूडा)

3 मजिल, वी ब्लॉक, थोला गवन, जयपुर

क्रमांक एफ/रूडा/राज्य बजट घोषणा-आरगोल/2009-10/

दिनांक :

कार्यालय स्वीकृति आदेश

वित्तीय वर्ष 2009-10 में राज्य बजट घोषणा 09 संख्या 117 के अन्तर्गत राज्य आजीविका मिशन से प्रशिक्षण हेतु प्राप्ता राशि से करवाये जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों को एक रूपता प्रदान करने की दृष्टि से प्रशिक्षण में स्वीकृत कार्यक्रमों का समावेश करते हुए विशेष कौशल सम्पन्न प्रशिक्षण निर्धारित मोड्यूल के अनुसार ग्रामीण स्तर पर नव स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु उनके कौशलवर्द्धन, विपणन के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु राष्ट्रीय परामर्शक संस्थाओं के माध्यम से निर्धारित कार्यक्रम आयोजित किये जाने हेतु निम्नानुसार प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति एका द्वारा प्रदान की जाती है

क्र. सं.	समिति / संस्था का नाम एवं पता	कौशल प्रशिक्षण गतिविधि	स्थान	कार्य अवधि	कुल स्वीकृति योग्य राशि	प्रशिक्षणार्थियों की संख्या	श्रेणी
1	ग्रामीण विकास युवा संस्थान, दोसा	मिट्टी के बर्तन (SCP)	जोगपुर, सांगवाडा, झूगरपुर	45 दिवस	1,11,000/-	25	अनु जाति/अ-य
2	सुविधा संस्थान, सिधावा, आचूरोड	टेराकोटा (SCP)	सुरपगला, आचूरोड	45 दिवस	1,11,000/-	25	अनु जाति/अ-य
3	अरावली सेवा समिति, आयू रोड	चर्म एसेसरीस (Leather)	संतपुर, आवू, सिरौली	45 दिवस	1,11,000/-	25	अनु जाति/अ-य
4	कुम्भकार हस्तकला विकास समिति, पोकरण जैसलमेर	पोकरण पॉटरी (SCP)	पोकरण, जैसलमेर	45 दिवस	1,11,000/-	25	अनु जाति/अ-य
5	स्वावलम्बी ग्रामोद्योग व जनचेतना विकास संस्थान, जयपुर	स्टॉन कार्विंग (SCP)	नारदपुरा ग्राम (आमेर), जयपुर	45 दिवस	1,11,000/-	75	अनु जाति/अ-य

प्रत्येक प्रशिक्षण में उपरोक्त स्वीकृत राशि का भेदवाईज मोड्यूल निम्नानुसार निर्धारित किया गया है :-

क्र.सं.	भेद वाईज विवरण	स्वीकृति योग्य राशि
1.	गारटर काप्टगेन वृत्तिका राशि 250/- प्रतिदिन (250x45)	11250.00
2.	प्रशिक्षण स्थल का किराया 2000/- प्रतिमाह	3000.00
3.	प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु मशीन, उपकरण आदि का किराया	7000.00
4.	कच्चा माल 750/- रुपये प्रतिमाह प्रतिव्यक्ति (750x25 x1.5)	28125.00
5.	नजदारी क्षतिपूर्ति मत्ता 1000/- रुपये प्रतिमाह (1500x25 x1.5)	37500.00
6.	प्रशिक्षण कार्यक्रम आयुमेंटेशन व्यय/अन्य विविध नगरे प्रशिक्षण अवधि में	12000.00
7.	प्रशिक्षण कार्यक्रम शुभारंभ एवं समापन पर व्यय	7000.00
	कुल व्यय	109875.00
	न-10 प्रतिशत एम.जी.ओ. संस्था को संस्थापन व्यय हेतु	10125.00
	कुल योग	111000.00

व्याख्याता
श्री रा. क. जो. रा. उ. अ. वि.
(राज.)

स्वीकृति पर निम्न शर्तें लागू होंगी :-

1. संस्था को स्वीकृति जारी होने से 10 दिवस में प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु अनुबंध (एम.ओ.यू.) कार्यालय को प्रस्तुत कर प्रशिक्षणार्थियों की सूची, स्थान एवं गारंटर कागदरसम का चयन आदि कर, प्रशिक्षण कार्यक्रम आरंभ करना होगा।
2. प्रशिक्षण आरंभ की सूचना कार्यालय को प्रेषित करनी होगी।
3. प्रशिक्षण कार्यक्रम का प्रशिक्षण काल में रुडा द्वारा अधिकृत अधिकारियों एवं मनोव्ययन प्रतिनिधियों के द्वारा समय-समय पर निरीक्षण करवाया जाना अनिवार्य होगा। प्रशिक्षण प्रारंभ करने से पूर्व जिले के जिला उद्योग केन्द्र तथा रुडा को प्रशिक्षण प्रारंभ करने की दिनांक, स्थल आदि से आवश्यक रूप से सूचित करना होगा।
4. प्रशिक्षण से सम्बन्धित सार्वजनिक रिजर्ज गद बाईज निर्धारित गोड्यूल के अनुरूप प्रशिक्षण उपरान्त 10 दिवस में सनादी लेखाकार के प्रमाण पत्र के साथ उपयोगिता व्यय विवरण-अनिवार्य रूप से प्रेषित करना होगा।
5. प्रशिक्षण काल के निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियों के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। पूर्ति हेतु व्यय स्वयं के आर्थिक वित्तीय साधनों से करना होगा।
6. प्रशिक्षण काल में तैयार 5 सेप्टल इस कार्यालय में जमा कराने होंगे।
7. स्वीकृत राशि का 60 प्रतिशत राशि संस्था को अग्रिम के रूप में प्रथम किस्ता एवं 40 प्रतिशत राशि की द्वितीय किस्त प्रशिक्षण कार्यक्रम की आवश्यक उपयोगिता रिपोर्ट उपरोक्तानुसार वांछित पूर्ति के उपरान्त देय होगी।
8. जहां स्वीकृति 31 मार्च 2010 तक की अवधि हेतु गैप रहेगी जो राज्य बजट घोषणा/आजीविका मिशन से प्राप्त राशि से लेखायुक्त किया जावेगा।
9. उक्त स्वीकृति श्रीमान् अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक गहोदय के द्वारा पत्रावली पर अनुमोदन के क्रम में जारी की जाती है।

कार्यकारी निदेशक

क्रमांक:एफ/रूडा/राज्य बजट घोषणा-आरगोल/2009-10/3066

दिनांक : 28.1.2010

प्रतिलिपी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सहायक अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, रुडा।
2. लेखाधिकारी, रुडा उपरोक्तानुसार राशि का चेक जारी करावें।
3. निदेशक, राज्य आजीविका मिशन (आरगोल) झालाना इन्स्टीट्यूशनल ऐरिया, जयपुर।
4. परियोजना प्रबन्धक प्रशिक्षण कार्यक्रम की गुणवत्ता हेतु समय-समय पर निरीक्षण कर प्रगति विवरण कार्यालय को प्रेषित करें।
5. सम्बन्धित संस्था श्रीमान् मिहान् उना मन्थान्, दोसा को भेजकर लेख है कि प्रशिक्षण कार्यक्रम यथाशीघ्र उपरोक्तानुसार क्रियान्वयन सुनिश्चित करावें।
6. रक्षित पत्रावली।

कार्यकारी निदेशक

व्याख्याता
श्री रा.क.जो.रा.उ.भा.वि.
दोसा (राज.)

कार्यालय पंचायत समिति, दौसा

क्रमांक:एफ 1()पंसदौ/नरेगा/09/ 3464

दिनांक-16/11/09

ग्रामीण विकास युवा संस्थान,
मधुवन विहार कॉलोनी, दौसा।

विषय:-मेट प्रशिक्षण कार्यादेश के क्रम में।

प्रसंग:-आपका प्रार्थना पत्रांक 176 दिनांक 13.11.09 के संदर्भ में।

उपरोक्त प्रासंगिक पत्र के विषय में लेख है कि नरेगा योजनान्तर्गत मेटों का प्रशिक्षण सम्पन्न करवाने हेतु आपकी संस्था का कार्यालय द्वारा चयन किया है। आपको निर्देशित किया जाता है कि जिला परिषद, दौसा द्वारा निर्धारित मापदण्डों की पूर्ण पालना लेखानियमों अनुसार करते हुए प्रशिक्षण स्थल पर चाय, नाश्ता, भोजन, स्टेशनरी, मानदेय, यात्राभत्ता, आदि सम्पूर्ण व्यवस्थाओं को मध्येनजर रखते हुए प्रशिक्षण व्यवस्था करना सुनिश्चित करें।

प्रशिक्षण उपरांत प्रशिक्षण व्यवस्था में व्यय राशि संबंधी सम्पूर्ण दस्तावेजों तथा अन्य रिकॉर्ड प्रशिक्षण व्यवस्था में सम्मिलित संदर्भ व्यक्तियों से प्रमाणित करवाकर निर्धारित प्रपत्र में तैयार कर तथा सम्पूर्ण दस्तावेजों की मूल प्रति संलग्न कर प्रशिक्षण व्यवस्था में तकनीकी जानकारी देने वाले तकनीकी अधिकारी से भी प्रमाणित करवाकर बिल बाउचर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

संलग्न-

1. प्रशिक्षण कार्यक्रम।
2. प्रशिक्षण शर्तें।
3. प्रशिक्षण सामग्री।

16.11.09
कार्यक्रम अधिकारी
पंचायत समिति, दौसा

श्रीमान पुलिस अधीक्षक,
जिला - दोरा

विषय :- पारिवारिक परामर्श केन्द्र हेतु विभाग से कर्चारी एवं NCO के धराशर्त दाताओं के नाम भिजवने काबत।

प्रसंग :- आपसे पत्रांक 21886 दि 08.10.09 की अनुपालना में।

संदर्भ

विध्यानुसार निकेदने कि महिला उत्पीडन की शैक्याम हेतु जिले में स्थापित पारिवारिक परामर्श केन्द्र की स्थापना हेतु इस विभाग के निम्न कर्चारी एवं कार्यरत स्वयंसेवी संजठन के 2-2 परामर्शदाताओं की सूची निम्नानुसार है।

क्र.सं.	नाम कर्चारी	मो. नं.	संजठन का नाम
1	श्रीमती निर्मला आर्वा	9928860242	महिला कर्मि वि. फौज
2	श्रीमती श्वेता खण्डेलवाल	9672626002	केम्ब्रीज संस्थान दोरा
3	सुश्री मीनाक्षी द्विवेदी	9461697554	— " —
4	— " रेणु बाला पंजावी	9485000642	ग्रामीण विकास संजठन दोरा

उक्त परामर्शदाताओं को स्थान एवं कार्यभार करके देर सूचित करने का क्षम है।

प्रतिलिपि

1. श्रीमान आयुक्त प्रभु अकि जयपुर
2. श्रीमान जे. कले. दोरा
3. स्वयंसेवित कर्मि
4. दस्तावेज NCO-
5. फाइल

कार्यालय अधिकारी
महिला कर्मि वि. फौज, दोरा

कार्यालय अधिकारी
महिला कर्मि वि. फौज, दोरा

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला परियोजना प्रबंधन इकाई (डीपीआईपी) दौसा

क्रमांक/लेखा/2007-08/32002-32005

दिनांक 17/9/07

कार्यालय आदेश

श्रीमान् राज्य परियोजना निदेशक महोदय के आदेश क्रमांक प.2 (64) ग्रा.वि./डीपीआईपी/2005 दिनांक 03.06.2006 एवं प.1(135) ग्रा.वि./डीपीआईपी/2006 दिनांक 01.03.07 द्वारा दिये गये निर्देशानुसार एवं स्वीकृति अनुसार ग्रामीण विकास युवा संस्थान, लालसोट का एम.आई.एस. का डेटा सॉफ्ट/हार्ड कापी में प्रस्तुत करने पर प्रबन्धक (M&L) की रिपोर्ट के आधार पर निम्नानुसार भुगतान करने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है -

क्र.सं.	विवरण	सीआईजी की संख्या	दर	कुल राशि
1	AM 1.1 CIG Details	120	100/- प्रति	12000.00
2	AM 3.1 CIG Details		सीआईजी प्रतिमाह	
3	AM 3.1.2.3.4 CIG Details			
4	AM 11 CIG Project Details			
5	AM 12 CIG Project Details (April 2007 to July, 2007)			
कुल योग				12000.00

(अक्षर : अड़तालीस हजार प्रतिमाह)

उपरोक्त राशि का भुगतान 0008-वृत्तिका एवं विशिष्ट सेवा मद से किया जावेगा।

जिला परियोजना प्रबंधक

डीपीआईपी, दौसा

दिनांक 17/9/07

क्रमांक/लेखा/2007-08/32002-32005

प्रातोलोपे निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. राज्य परियोजना निदेशक, ग्रामीण विकास (डीपीआईपी) विभाग, योजना भवन, जयपुर
2. जिला परियोजना समन्वयक, ग्रामीण विकास युवा संस्थान, लालसोट
3. मैनेजर (M&L) डीपीआईपी, दौसा।
4. कौशियर कार्यालय हाजा।

जिला परियोजना प्रबंधक

डीपीआईपी, दौसा

A

कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, दौसा
 क्रमांक - स्वा0चे.या./2009/ दिनांक



ब्लाक मुख्य चिकित्सा अधिकारी
 दौसा/तालसोट/वांदीकुई/सिकराय/महवा

विषय :- स्वास्थ्य घेतना यात्रा के प्रचार प्रसार एवं गोविजिटि सपोर्ट मानव ।

उपरोक्त विषयसंबंधित लेख है कि विभागीय निर्देशानुसार स्वास्थ्य घेतना यात्रा के कार्यक्रम प्रचार प्रसार को गद्य नजर रखते हुए विभाग द्वारा प्रत्येक शिविर हेतु गोविजिटि सपोर्ट हेतु रू० 1000/- का प्रावधान किया गया है जिसमें वाहन किराया, डीजल खर्च, माईक आदि की व्यवस्था की जानी है । उक्त खर्च की राशि उक्त दर से आमको जरूरत नक प्रत्येक से विभागाई जा रही है । अतः उक्तानुसार सम्बंधित व्यवस्था करवाना जाना सुनिश्चित कराने ।

शिविर तिथि के पहले दिन ग्रामीण जनता को शिविर की जानकारी देना एवं अन्य विभागीय जानकारी दिये जाने के उद्देश्य से फेदपुतली / कला जखी के माध्यम से आमजन को जागृत किया जाक है । इस हेतु उपस्वास्थ्य केंद्र पर उपलब्ध अनटाईड फण्ड में से रू० 5000/- व्यय किये जाने की स्वीकृति विभाग द्वारा प्रदान की गई है । श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय के निर्देशानुसार उक्त कार्यक्रमों हेतु इसी प्रकार के प्रदर्शन करने वाली संस्थाओं का चयन किया जा कर उनका कार्यक्षेत्र निम्न प्रकार निश्चित किया जाता है ।

क्रम संख्या	संस्था का नाम	ब्लाक का नाम जहां प्रदर्शन किया जाना है
1	ग्रामीण विकास एवं युवा संस्थान दौसा	ब्लाक क्षेत्र दौसा
2	अक्षांश कन्सल्टेन्सी जयपुर ग्रांच तालसोट	ब्लाक क्षेत्र तालसोट
3	राज राजस्थानी एण्ड पार्टी जयपुर	ब्लाक क्षेत्र सिकराय
4	चित्रांश एज्युकेशन एण्ड वेलफेयर सोसाईटी जयपुर	ब्लाक क्षेत्र वांदीकुई
5	सुकृति जयपुर	ब्लाक क्षेत्र महवा

उक्त कार्यक्रमों के सफल संचालन पश्चात् विभागीय निर्देशानुसार उप स्वास्थ्य केंद्र पर उपलब्ध अनटाईड फण्ड की राशि रू० 5000/- में से रू० 1500/- प्रति कार्यक्रम की दर से उप स्वास्थ्य केंद्र द्वारा संबंधित संस्था को किया जावेगा ।

अतः उपरोक्तानुसार प्रचार प्रसार करवाना जाना सुनिश्चित कराने ।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
 दौसा


क्रमांक - स्वा0चे.या./2009/ 8720

दिनांक 12/9/09

सिद्धांत के निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. श्रीमान् निदेशक (आई0ई0सी0) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग सचक्र जयपुर
2. श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय दौसा
3. चिकित्सा अधिकारी प्रभासे जासु - स्वास्थ्य केंद्र तालसोट
4. वां.वे.के. कर लख है कि निर्देशानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने ।
5. स्वास्थ्य केंद्र - - - - - तालसोट / राज राजस्थानी एण्ड पार्टी जयपुर / चित्रांश एज्युकेशन एवं वेलफेयर सोसाईटी जयपुर / सुकृति जयपुर को प्रेषित कराने है कि संचालन कार्य हेतु उपरोक्तानुसार कार्यवाही करवाने ।

स्वास्थ्य केंद्र
 श्री रा.कु.जो.रा.अ.भा.वि.
 दौसा (राज.)



स्वयं सहायता समूहों को आम सभा समारोह, मजदूरी, पेंशन, निवृत्ति, आदि से सम्बन्धित सहायता समूह निर्माण एवं विकास हेतु निम्नलिखित सरकारी संस्थानों का सूचीकृत पंचायत स्तर में चयनित किया गया है। प्रारम्भिक स्तर पर इन संस्थानों का चयन 31.03.2010 तक किया गया है। इस अवधि की समाप्ति पर इन संस्थानों द्वारा किये गये कार्य की समीक्षा/मुल्यांकन कर इनके, आगामी वित्तीय वर्ष के चयन पर विचार किया जावेगा। इस अवधि से पूर्व या अकर्गण्य/कार्य की अनियमितता के आधार पर इनके कार्यो की समीक्षा/मुल्यांकन कर इनके चयन पर पुनर्विचार किया जा सकेगा। संस्थानों का चयन वर्णित पंचायत समिति के अनुसार किया गया है।

क्र०सं०	प०सं०	संस्था का नाम एवं पता
1	आमेर	1.प्रान्तीय ग्रामीण समग्र विकास संस्थान प्लॉट नं.8 शहीद बाबा की गोरी मालवीय नगर,जयपुर। 2.एडवान्टेज इण्डिया न्यू दिल्ली प्लॉट नं.16 सिविल लाईन,टोक। 3.सरदार पटेल युवा ग्रामीण विकास संस्थान ग्रा०पो० लुईकैला जिला-दौसा। 4.फ्रेण्ड्स ऑर्गनाइजेशन फॉर रिसर्च एण्ड डेव.सोसायटी प्लॉट नं. ए-19 आरेडकर कालोनी,टोक जिला-टोक। 5. सौभाग्य विकास संस्थान आई स्कूल रोड चांदीकूई जिला-दौसा।
2	वररगी	1.श्रद्धा महिला प्रशिक्षण केन्द्र व शिक्षण संस्थान ए-32 सेडीकालोनी, ज। 2.नवजीवन पब्लिक स्कूल समिति छोकरवाडा तह० सिविल लाईन -दौसा। 3. केविज शिक्षण संस्थान मायत्री नगर आगरा रोड जिला-दौसा।
3	चाकरसू	1.सिकोईडिकोन संस्थान स्वराज परिसर एफ-159,160 सीतापुरा औद्योगिक एरिया जयपुर।
4	दूदू	1.खेती एवं गांव विकास संस्थान उरसेवा बाया दूदू जिला-जयपुर। 2.सावत्री समग्र ग्रामीण विकास संस्थान ग्राम -बोरोदा जिला-दौसा। 3.पाणिनी ग्रामीण शिक्षा समिति ग्रा०पो०शाडली जिला-टोक। 4.रजनीश विनयस एवं प्रशिक्षण संस्थान अणपूर्णा डूगरी बाजार रोड,टोक। 5.मरुधर ग्रामोद्योग कला विकास संस्थान सरदार शहर, चुरू।
5	गोविन्दगढ	1.श्याम संस्कृति सेवा समिति शास्त्री कालोनी चौथवाडी तह०सींगू। 2 फ्रेण्ड्स ऑर्गनाइजेशन फॉर रिसर्च एण्ड डेव.सोसायटी प्लॉट नं. ए-19 आरेडकर कालोनी,टोक जिला-टोक।
6	झोटवाडा	1.सोशियल एसोसियन फॉर अवरोध ट्रेनिंग एण्ड इम्पुन इम्प्रोवमेंट (साथी) 13 इनकम टैक्स कालोनी, दुर्गापुरा टोकरोड,जयपुर। 2. मरुधर ग्रामोद्योग कला विकास संस्थान सरदार शहर, चुरू।
7	जमवारामगढ	1.एडवान्टेज इण्डिया न्यू दिल्ली प्लॉट नं.16 सिविल लाईन,टोक। 2.ग्रामीण विकास युवा संस्थान मधुवन विहार कालोनी सैथल रोड,दौसा। 3. नवजीवन पब्लिक स्कूल समिति छोकरवाडा तह० सिविल लाईन -दौसा। 4.सोशियल डेवलपमेंट सोसायटी खटीकान गौहल्ला,दौसा।
8	फागी	1.रुची ग्राम विकास संस्थान ग्राम सरूलपुरा पोथली तह०चाकरसू। 2.सिकोईडिकोन संस्थान स्वराज परिसर एफ-159,160 सीतापुरा औद्योगिक एरिया जयपुर। 3.ग्रामोद्योग सामाजिक संस्थान ग्रा०पो०थली तह०चाकरसू (2 ग्रा०पो०) जयपुर। 4.स्व-सहायता संस्था ग्रा०पो०शीलकीडूगरी तह०चाकरसू। 5.पाणिनी ग्रामीण शिक्षा समिति ग्रा०पो०शाडली जिला-टोक।
9	सोनरलेक	1.स्व-सहायता संस्था ग्रा०पो०शीलकीडूगरी तह०चाकरसू। 2.आनंद ग्राम कौन्सिल संस्थान 277 बसवा नगर,जयपुर। 3.सती सभ्यता संस्थान राजेश कपूर मर्याद के पीछे राजगिरीस कालोनी अलमपुर, सवाईमधोपुर। 4.सेवा संकला संस्थान टिकरिया तह०सिकरवा जिला-दौसा। 5.महिला एवं सहसंस्थान समिति 695 आग्रपाली राकिल नैसालीनगर जयपुर।

18/9

(Handwritten signature)



		<ol style="list-style-type: none"> 1. आश्रयल एसोसियन फॉर जवरोश ट्रेनिंग एण्ड ह्यूमन इम्प्रोवमेंट (सार्थी) 13 इन्फान्ट टेंचर कालोनी दुर्गापुर टोकरोड जयपुर। 2. प्रांतीय ग्रामीण समग्र विकास संस्थान पंचर नर 8 सड़क बाबा का मोरी मालवीय नगर जयपुर। 3. सरस्वती शिक्षण समिति- वन काई जिला- बांस 4. शान्ति महिला विकास समिति पं 10 प्रताप कालोनी रोगनाथ नगर जिला- दोसा।
11	सागानेर	1. राजस्थान सर्व सेवा संस्थान ग्राम-वरखंडा पोशिवदासपुरा तहसीलकसू एच 71/279 प्रतापनगर, सागानेर (2 ग्रा.प.)
12	जगतपुरा	<ol style="list-style-type: none"> 1. सचि एण्ड सचिसा सोरसायटी ग्रा0प्रा0 तेवडी बाया मेड तहसीलकनगर 2. सचि मोरिन्द पदिव्य कनर समिति लोयू वन बासा पो0 निडरा तहसीलकपुरा जिला-जयपुर। 3. मदर तेरसा महिला कल्याण एन कजगर प्रशिक्षण संस्थान 130/डी रामपथ वृजमण्डल कालोनी आठवाडा जयपुर। 4. भारती विकास संस्थान 1340 कायबवाल नवन वामू हाडरा कं पीछे गंगापोल जयपुर।
13	जगतनगर	<ol style="list-style-type: none"> 1. सचि एण्ड सचिसा सोरसायटी ग्रा0प्रा0 तेवडी बाया मेड तहसीलकनगर 2. सोशियल एसोसियन फॉर जवरोश ट्रेनिंग एण्ड ह्यूमन इम्प्रोवमेंट (सार्थी) 13 इन्फान्ट टेंचर कालोनी दुर्गापुर टोकरोड जयपुर। 3. चेतना ग्रामीण विकास संस्थान फरारापुरा तहसीलकनगर जिला-दोसा 4. आदर्श संस्थान गोन0 6 राजनगर अमरनाथ कालोनी कं पास कपिमण्डी दोसा।
14	पारसूर(सगरत) जिला-जयपुर	1. पर्यावरण मित्र संस्था आश्रमकी माता मन्दिर सोनामोरियान जगतपुरा जयपुर।

नोट-प्रस्ताव 12 पर अंकित संस्था का जयपुर जिले में सगरत पठारा में राफ़ चरारी के स्वयं सहायता समूह में कार्य करना है।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी

उत्तिलिपि:-

- 1-परियोजना निदेशक एवं पदेन उप सचिव(एसजीएसवाई)ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग सचिवालय, जयपुर।
- 2-श्रीमान् जिला प्रमुख जिला परिषद, जयपुर।
- 3-आध्यक्ष/सचिव-

को प्रेषित कर लेख है कि mou हेतु पत्र प्राप्ति के 7 दिवस के भीतर इस कार्यालय में शर्पक करें।

- 4-विकास अधिकारी पंचायत समिति--(सगरत) जिला-जयपुर को भेजकर निर्देश दिये जाते है कि पूर्व में कार्यरत स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ ही उक्त चयनित संस्थाओं को सामंजस्य के आधार पर ग्रा0प्रा0 का विभाजन अपने स्तर से करवाये तथा निर्धारित लक्ष्यों की शतप्रतिशत उपलब्धि सुनिश्चित करें।

5-गार्ड फाइलें।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी

कार्यालय जिला स्वास्थ्य समिति, दौसा
C/O मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, दौसा



क्रमांक-एन आर एच एम/आशा/2009/ 924

दिनांक 30.7.09

कार्यालय आदेश

दिनांक 20.07.09 को आशा प्रशिक्षण हेतु एन जी ओ चयन के लिए आयोजित किया गया साक्षात्कार में चयन समिति द्वारा निम्नानुसार गैर सरकारी संगठनों को आशा प्रशिक्षण के लिए चयन किया गया है।

1. कमला शिक्षा समिति, अलवर
2. आदर्श दोग विद्या मंदिर संस्था, दुब्बी, दौसा।
3. कैम्ब्रिज संस्थान, गायत्री नगर, दौसा।
4. चित्रांश एजुकेशन एवं वेल्फेयर सोसायटी, कावेरी पथ, गानराखेर, जयपुर।
5. आशीष विकास युवा संस्थान, सैथल, दौसा।

आशा प्रशिक्षण हेतु तीन दिवसीय आवसीय बी.टी.टी (block level trainer team) प्रशिक्षण जिला स्तर पर दिनांक 7.08.09 से दिनांक 9.08.09 तक रावत पैलेस, सोमनाथ चौराहा के पास, दौसा में आयोजित किया जा रहा है। अतः उपरोक्तानुसार संस्थाएं अपनी संस्था के प्रतिनिधि के रूप में 2 प्रशिक्षक (एक महिला एवं एक पुरुष) को बी.टी.टी (block level trainer team) प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए भिजवाना सुनिश्चित करें। सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा भेजे गये प्रतिनिधि पूर्व में भी प्रशिक्षण देने का अनुभव-रखते हों एवं प्रशिक्षण की सभी विधाओं में पूर्णतया दक्ष हों।

अतः अपने प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण हेतु दिनांक 7.8.2009 को प्रातः 9.30 बजे प्रशिक्षण स्थल पर पहुंचनवाना सुनिश्चित करें।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, दौसा
दिनांक


क्रमांक-एन आर एच एम/आशा/2009/

1. प्रशिक्षण विभाग के सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यकारी हेतु प्रेषित है
2. प्रशिक्षण मिशन निदेशक एवं सचिव (प0क0) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग जयपुर राजस्थान।
3. श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय दौसा।
4. जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी दौसा।
5. जिला कार्यक्रम प्रबन्धक / जिला आशा संचालक दौसा।
6. सहायक लेखाधिकारी / डी.ए.एम एन.आर.एच.एम / कैशियर एन.आर.एच.एम /
7. स्वयं सेवी संस्थान, आशीष विकास युवा संस्थान, दौसा। को भेज कर लेख है कि अपनी संस्था के दो व्यक्तियों को प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए भिजवाएं। ध्यान रहे दोनों व्यक्तियों को पूर्व में प्रशिक्षण देने का अच्छा अनुभव हो एवं प्रशिक्षण कला में दक्ष हों।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, दौसा

व्याख्याता
श्री. रा. क. जो. रा. रा. ना. वि.
दौसा (राज.)

कार्यालय जिला कार्यक्रम समन्वयक (NREGA), दौसा



क्रमांक : नरेगा / 2009-10 / 5108 - 14

दिनांक : 16/07/2009

अध्यक्ष
ग्रामीण विकास युवा संस्थान
जिला दौसा

विषय :- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना अन्तर्गत प्रशिक्षण देने बाबत ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना अन्तर्गत जिला परिषद, दौसा में निम्न को प्रशिक्षण देने हेतु मनोनीत किया जाता है :-

क्र. सं.	जिनको प्रशिक्षण दिया जाना है	प्रशिक्षणार्थियों की संख्या	पंचायत समिति	तिथि	विशेष विवरण
1	वरिष्ठ तकनीकी सहायक	समस्त	समस्त		
2	कनिष्ठ तकनीकी सहायक	समस्त	समस्त		
3	लेखा सहायक	समस्त	समस्त		
4	कम्प्यूटर सहायक मय मशीन	समस्त	समस्त		
5	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	समस्त	समस्त		

उक्त प्रशिक्षणार्थियों हेतु निम्नानुसार व्यय किया जावेगा :-

क्र. सं.	प्रशिक्षणार्थियों का नाम	आवास एवं भोजन व्यवस्था प्रति संभागी	प्रशिक्षण सामग्री एवं स्टेशनरी प्रति संभागी	प्रशिक्षकों संभागियों का भत्ता व्यय एक मुश्त	प्रशासनिक व्यय यात्रा एक मुश्त
1	वरिष्ठ तकनीकी सहायक	100	100	1000	1000
2	कनिष्ठ तकनीकी सहायक	100	100	1000	1000
3	लेखा सहायक	100	100	1000	1000
4	कम्प्यूटर सहायक मय मशीन	100	100	1000	1000
5	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	100	100	1000	1000

1. प्रशिक्षण आयोजित करने हेतु सम्बन्धित कार्यक्रम अधिकारी से दिनांक एवं स्थान चिह्नित करवायें
2. प्रशिक्षण आयोजित करने के पश्चात सभी बाउचर सम्बन्धित कार्यक्रम अधिकारी से प्रमाणित करवाकर भुगतान हेतु जिला परिषद में भिजवाया जाना सुनिश्चित करें ।
3. प्रशिक्षण में उपस्थित होने वाले प्रशिक्षणार्थियों को निर्देशानुसार स्टेशनरी उपलब्ध करावें, प्रशिक्षण एक दिवसीय आवास रहित होगा ।
4. प्रशिक्षण में योजना सम्बन्धी एवं सभी जानकारी उपलब्ध करावें ।

अति० जिला कार्यक्रम समन्वयक (NREGS)
एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद दौसा

क्रमांक : नरेगा / 2009-10 / 5108 - 14

दिनांक : 16.07.2009

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है

1. कार्यक्रम अधिकारी (नरेगा), पंचायत समिति को भेजकर लेख है कि प्रशिक्षण हेतु वरिष्ठ तकनीकी सहायक/कनिष्ठ तकनीकी सहायक/लेखा सहायक/कम्प्यूटर सहायक मय मशीन/डाटा एन्ट्री ऑपरेटर को निर्धारित तिथि निर्धारण कर उपस्थित होने हेतु पावन्द करें।
2. लेखा शाखा (नरेगा), कार्यालय हाजा ।

अति० जिला कार्यक्रम समन्वयक (NREGS)
एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद दौसा

अति० जिला कार्यक्रम समन्वयक (NREGS)
एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद दौसा

कार्यालय जिला परिषद (ग्रा.वि.प्र.) सवाई माधोपुर


क्रमांक213-27

दिनांक :2-6-09

सचिव,
ग्रामीण विकास युवा संस्थान
मधुवन विहार कॉलोनी, सैंथल रोड, दौसा
जिला दौसा


विषय:- माडा एवं बिखरी आबादी योजनान्तर्गत आय संवर्धन एवं महिला स्वयं सहायता समूहों का गठन एवं प्रशिक्षण कराने हेतु संस्थान का चयन करने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि माडा एवं बिखरी आबादी योजना में आय संवर्धन एवं महिला स्वयं सहायता समूह के अन्तर्गत जन जाति बीपीएल परिवारों के समूह तैयार कर प्रशिक्षण दिलवाकर रोजगार उपलब्ध कराने हेतु आपकी संस्था का चयन किया गया है। अतः प्रासंगिक पत्रानुसार वांछित कार्यवाही कर स्वीकृति हेतु आवेदन पत्र दिनांक 15.06.2009 तक तैयार करवाकर इस कार्यालय में प्रस्तुत करें। विलम्ब के लिये आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।


मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद, सवाई माधोपुर

प्रतिलिपि:-

विकास अधिकारी पंचायत समिति को भेजकर लेख है कि आवश्यकता के आधार पर रोजगार प्राप्त करने हेतु व्यवसाय का चयन कर आवेदन पत्र तैयार कराने में सहयोग करें।


मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद, सवाई माधोपुर

कार्यालय कार्यक्रम अधिकारी (MGNREGA) पंचायत समिति, दौसा

क्रमांक : MGNREGA / 2011 /

दिनांक

व्यवस्थापक

ग्रामीण विकास युवा संस्थान

दौसा

विषय :- सामाजिक अंकेक्षण कमेटी के सदस्यों एवं सहयोगियों को प्रशिक्षण करवाने बाबत।

उपरोक्त विषय में लेख है कि दिनांक 19 मई 2011 को आयोजित ग्राम सभा की बैठक में गठित सामाजिक अंकेक्षण कमेटी के सदस्यों / सहयोगियों को दिनांक 06.06.2011 से आयोजित होने वाली दो दिवसीय प्रशिक्षण में वर्कींग लंच, स्टेशनरी-फोल्डर, स्लिपपैड, पेन, फोटोकॉपी, प्रशासनिक व्यय, फिड बिजिट आदि की व्यवस्था विभागीय मापदण्डों के अनुसार करने हेतु आपके प्राथमिक पत्र के आधार पर कार्यालय द्वारा आपकी संस्था को अधिकृत किया जाता है। आपको निर्देशित किया जाता है कि श्रीमान अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक (MGNREGA) एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद दौसा के पत्रांक MGNREGA / सामा.अके. / 2011-12 / 128-134 दिनांक 10.05.2011 की पूर्ण प्रतिलिपि संलग्न करते हुये प्रशिक्षण कार्य पत्र के साथ संलग्न कार्यक्रम अनुसार सम्पादित करवाया जाना सुनिश्चित करें।

प्रशिक्षण में अव्ययस्था के लिये आप स्वयं जिम्मेदार एवं जवाबदेय होंगे।

(Handwritten Signature)

कार्यक्रम अधिकारी (MGNREGA)
पंचायत समिति, दौसा

दिनांक 1/6/11

क्रमांक : MGNREGA/2011/ 128-134

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ :-

1. श्रीमान अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक (MGNREGA) एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद दौसा।
2. व्यवस्थापक ग्रामीण विकास युवा संस्थान दौसा।
3. लेखा शाखा कार्यालय हाजा।

(Handwritten Signature)

कार्यक्रम अधिकारी (MGNREGA)
पंचायत समिति, दौसा

कार्यालय नगर पालिका मण्डल, दौसा (जिला-दौसा)

कमांक: -न.पा.दौ. / 2008-09 / 5288 -95

दिनांक: 09/02/2009

कार्यालय आदेश

स्वर्ण जयन्ती शहरी स्वरोजगार योजनान्तर्गत स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत जिला स्तरीय गरीबी उपशमन समन्वयक समिति (डूडा) की बैठक दिनांक 29.9.08 में अनुमोदित संस्थान ग्रामीण विकास युवा संस्थान दौसा को प्रशिक्षण ट्रेड ज्वैलरी डिजाइनिंग तीन माह के लिये प्रशिक्षण स्वीकृत करने की अनुशंसा आवेदन पत्रों की जांच के उपरान्त उल्लेखित शर्तों के आधार पर निम्न अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण में भाग लेने की स्वीकृति दी जाती है।

क्र.सं.	नाम	पिता/पति का नाम	जाति	उम्र	BPL नं.	पता	वार्ड नं.	विशेष विवरण
1	खेरून बेगम	अफजल खान	मुसलमान	26	153 / 165	नागौरी मौहल्ला, दौसा	12	
2	परवीन	रमजानी खान	मुसलमान	18	46 / 13	इदगाह कॉलोनी, दौसा	7	
3	अफसाना	निवाज खां	मुसलमान	18	122 / 32	नागौरी मौहल्ला, दौसा	12	
4	जरीना बेगम	इब्राहिम खां	मुसलमान	29	27 / 2	इदगाह कॉलोनी, दौसा	7	
5	परवीन बेगम	ऐजाज	मुसलमान	32	20 / 87	नागौरी मौहल्ला, दौसा	11	
6	तोफन	शब्बीर खां	मुसलमान	32	207 / 45	पुरानी सब्जी मण्डी, दौसा	10	
7	विमला देवी	भगवानसहाय	महावर	30	369 / 99	देवरा पाडा, दौसा	10	
8	जैबुन	अब्दुल रसीद	मुसलमान	30	234 / 61	इदगाह कॉलोनी, दौसा	7	
9	शान्ति महावर	किशनलाल महावर	महावर	25	187 / 36	देवरा पाडा, दौसा	10	
10	प्रेम देवी	प्यारेलाल महावर	महावर	27	301 / 73	देवरा पाडा, दौसा	10	
11	कुलसुम	मुना	मुसलमान	29	13 / 4	नागौरी मौहल्ला, दौसा	11	
12	शमशाद बेगम	नदीम अहमद	मुसलमान	26	229 / 60	नागौरी मौहल्ला, दौसा	12	
13	रहीसा	अख्तर	मुसलमान	28	319 / 79	नागौरी मौहल्ला, दौसा	13	
14	जरीना बेगम	रुकमुद्दीन	मुसलमान	30	356 / 103	नागौरी मौहल्ला, दौसा	12	
15	सन्तो बेगम	मुमताज	मुसलमान	28	173 / 155	नागौरी मौहल्ला, दौसा	12	
16	समीम बानो	शहजाद	मुसलमान	28	27 / 7	नागौरी मौहल्ला, दौसा	12	
17	बीना देवी	नन्दकिशोर	महावर	24	243 / 65	नागौरी मौहल्ला, दौसा	12	
18	यासमीन	रमजानी	मुसलमान	30	191 / 99	नागौरी मौहल्ला, दौसा	12	
19	पुष्पा देवी	नवरत्न महावर	महावर	24	252 / 70	नागौरी मौहल्ला, दौसा	12	
20	अंगूरी देवी	राजेन्द्र महावर	महावर	28	283 / 78	नागौरी मौहल्ला, दौसा	12	
21	रतनी देवी	प्रेमप्रकाश महावर	महावर	25	277 / 76	नागौरी मौहल्ला, दौसा	12	
22	मूली देवी	स्व. पूरणचन्द	महावर	30	287 / 77	नागौरी मौहल्ला, दौसा	12	
23	जायदा बेगम	अय्युब	मुसलमान	28	87 / 15	नागौरी मौहल्ला, दौसा	11	

प्रशिक्षण कार्यक्रम निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकृत किया गया है। किसी प्रशिक्षणार्थी द्वारा शर्तों की पूर्ति नहीं किये जाने पर उसे प्रशिक्षण नहीं दिया जावे। एवं संस्था द्वारा नियमों की पालना नहीं करने पर प्रशिक्षण निरन्तर किया जा सकेगा।

शर्तें निम्नानुसार है :-

1. लाभार्थी द्वारा अंकित विवरण की जांच करली जावे। भिन्नता पाये जाने पर अवगत कराया जाए।
2. किसी भी परिस्थिति में एक परिवार से एक से अधिक व्यक्तियों को प्रशिक्षण नहीं दिया जावे तथा सभी परिवार बी.पी.एल. सूची 2003 में दर्ज होना आवश्यक है।
3. प्रशिक्षणार्थी की आयु 18 से 35 वर्ष के मध्य होनी चाहिये। विधवा की अधिकतम आयु 45 वर्ष की आयु तक छूट देय है।
4. प्रशिक्षणार्थी माह में दो दिवस से अधिक प्रशिक्षण से अनुपस्थित रहने पर मानदेय में अनुवातिक कटौती की जायेगी तथा लगातार 1 माह में 15 दिवस अनुपस्थित रहने पर प्रशिक्षण निरस्त किया जायेगा।
5. प्रशिक्षण प्रारम्भ करने से पूर्व ये सुनिश्चित कर लिया जावे कि कोई प्रशिक्षणार्थी का परिवार पूर्व में नरेगा / यू.बी.एस.पी. / पी.एम.आई.पी.यू.पी. / एस.जे.एस.आर.वाई / किसी योजना में लाभान्वित तो नहीं है तथा बैंको का ऋण बकाया तो नहीं है। डिफाल्टर होने की स्थिति में प्रशिक्षण नहीं दिया जावेगा।
6. प्रशिक्षणार्थी को मानदेय का भुगतान प्रशिक्षण समाप्त होने पर किया जावेगा।
7. प्रशिक्षण के दौरान प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी का स्वरोजगार हेतु ऋण आवेदन पत्र नगर निगम / नगर पालिका के माध्यम से सम्बन्धित बैंक को प्रस्तुत करने होंगे।
8. प्रशिक्षण के दौरान तैयार माल का प्रशिक्षण की समाप्ति उपरान्त संस्था एवं प्रशिक्षणार्थी में आधा-आधा बांटना होगा।
9. प्रशिक्षण प्रारम्भ करने से पूर्व संस्था प्रशिक्षण स्थल का पूर्ण पता केन्द्र संचालन का समय प्रशिक्षण का नाम, प्रशिक्षण समय प्रातः 10 से 5 बजे के मध्य होगा। प्रशिक्षण अवधि का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम एवं अद्योहस्ताक्षरकर्ता को सूचित करना होगा।
10. नगरपालिका द्वारा प्रत्येक माह में कम से कम एक निरीक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम किया जावेगा।
11. प्रशिक्षण के सम्बन्ध में संस्था द्वारा कोई अनियमितता की जाती है तो नियमों के विरुद्ध है तो संस्था की मान्यता समाप्त कने की कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।
12. प्रशिक्षण कार्यक्रम किसी भी परिस्थिति में 300 घण्टे से कम नहीं होगा।
13. प्रशिक्षणार्थियों के स्वयं सहायता समूह का गठन कर पालिका को सूचना देवे। एवं बैंको में खाते खुलवाये जावे उरुके उपरान्त ही भुगतान किया जावेगा।
14. प्रशिक्षण के पश्चात प्रशिक्षण प्राप्त महिलाओं को रोजगार उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।
15. प्रशिक्षण प्रारम्भ की सूचना 3 दिवस पूर्व स्वयं सहायता समूह में देवे ताकि प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को अवगत करवाया जा सके।

अतः उपरोक्त शर्तों के अलावा अन्य शर्तें जो योजना में लागू हैं समय-समय पर लागू होंगी। जो मान्य होंगी। तथा दिये गये निर्देशों की पालना अवश्य होगी। कच्चे माल की राशि अग्रिम दी जावेगी। तथा संस्थान के मानदेय का भुगतान प्रशिक्षण समाप्त होने के पश्चात किया जावेगा।

आशुक्त
नगर पालिका मण्डल
दौसा

क्रमांक : 5288-95

दिनांक 09/02/2009

प्रतिलिपी सूचनार्थ -

1. श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय, दौसा
2. श्रीमान् परियोजना निदेशक स्थाननीय निकाय विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर
3. श्रीमान् परियोजना अधिकारी, दौसा
4. श्रीमान् अध्यक्ष सी.डी.एस. नगर पालिका, दौसा
5. सामुदायिक संगठक, नगर पालिका, दौसा
6. ग्रामीण विकास युवा संस्थान को भेजकर लेख है कि एक सप्ताह में प्रशिक्षण कार्यक्रम उपरोक्त शर्तों के अनुसार संचालित किया जाकर सूचित करें।
7. कार्यालय प्रति

आशुक्त
नगर पालिका मण्डल
दौसा

कार्यालय नगर पालिका मण्डल, दौसा (जिला-दौसा)

क्रमांक:-न.पा.दौ./2008-09/5291-5302-

दिनांक: 09/02/2009

कार्यालय आदेश

स्वर्ण जयन्ती शहरी स्वरोजगार योजनान्तर्गत स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत जिला स्तरीय गरीबी उपशमन समन्वयक समिति (डूडा) की बैठक दिनांक 29.9.08 में अनुमोदित संस्थान ग्रामीण विकास युवा संस्थान दौसा को प्रशिक्षण ट्रेड ब्यूटी पार्लर तीन माह के लिये प्रशिक्षण स्वीकृत करने की अनुशंसा आवेदन पत्रों की जांच के उपरान्त उल्लेखित शर्तों के आधार पर निम्न अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण में भाग लेने की स्वीकृति दी जाती है।

क्र.सं.	नाम	पिता/पति का नाम	जाति	उम्र	BPL नं.	पता	वार्ड नं.	विशेष विवरण
1	रेखा कुमारी	हरदयाल महावर	महावर	23	197/40	देवरा पाडा, दौसा	10	
2	केसर देवी	रामलाल महावर	महावर	30	245/67	नागौरी मौहल्ला, दौसा	12	
3	अनीसा बेगम	शहजाद अहमद	मुसलमान	30	407/130	इदगाह कॉलोनी, दौसा	12	
4	परवीन बानो	स्व. फकीर मौहम्मद	मुसलमान	21	96/24	नागौरी मौहल्ला, दौसा	12	
5	गिल	निजाम	मुसलमान	18	152/42	नागौरी मौहल्ला, दौसा	11	
6	जायदा	खुशीद अहमद	मुसलमान	30	20/150	नागौरी मौहल्ला, दौसा	12	
7	साजना	फकीर मोहम्मद	मुसलमान	27	404/127	नागौरी मौहल्ला, दौसा	12	
8	परवीन	रमजानी	मुसलमान	22	28/8	नागौरी मौहल्ला, दौसा	12	
9	गौरी बानो	इस्लाम खान	मुसलमान	18	19/86	नागौरी मौहल्ला, दौसा	11	
10	शहजादी	कल्लू खां	मुसलमान	18	419/131	इदगाह कॉलोनी, दौसा	7	
11	कमरनिसा	सईद खां	मुसलमान	22	80/2	बाडियान मौहल्ला, दौसा	13	
12	शाईना	कल्लू खां	मुसलमान	19	89/99	बाडियान मौहल्ला, दौसा	13	
13	सावित्री देवी	देविसहाय महावर	महावर	20	185/25	देवरा पाडा, दौसा	10	
14	अनिता	ओमप्रकाश महावर	महावर	21	373/103	देवरा पाडा, दौसा	10	
15	ललिता महावर	दुलीचन्द्र महावर	महावर	20	244/66	नागौरी मौहल्ला, दौसा	12	
16	रेखा कुमारी	मूलचन्द्र महावर	महावर	19	254/71	नागौरी मौहल्ला, दौसा	12	
17	निर्मला देवी	रामजीलाल	महावर	18	285/80	नागौरी मौहल्ला, दौसा	12	
18	लच्छी महावर	सोहनलाल महावर	महावर	27	408/131	नागौरी मौहल्ला, दौसा	12	
19	मीना देवी	गंगाधर हावर	महावर	32	263/153	नागौरी मौहल्ला, दौसा	12	
20	रईशा	इरफान खान	मुसलमान	19	105/184	नागौरी मौहल्ला, दौसा	12	
21	इकरून	सरफू खां	मुसलमान	19		नागौरी मौहल्ला, दौसा	12	
22	रेशमा बानो	शाहिद खान	मुसलमान	20	7/89	नागौरी मौहल्ला, दौसा	11	
23	आईना	शाहिद	मुसलमान	20	64/9	नागौरी मौहल्ला, दौसा	13	

प्रशिक्षण कार्यक्रम निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकृत किया गया है। किसी प्रशिक्षणार्थी द्वारा शर्तों की पूर्ति नहीं किये जाने पर उसे प्रशिक्षण नहीं दिया जावे। एवं संस्था द्वारा नियमों की पालना नहीं करने पर प्रशिक्षण निरन्तर किया जा सकेगा।

शर्तें निम्नानुसार है :-

1. लाभार्थी द्वारा अंकित विवरण की जांच करली जावे। भिन्नता पाये जाने पर अवगत कराया जाए।
2. किसी भी परिस्थिति में एक परिवार से एक से अधिक व्यक्तियों को प्रशिक्षण नहीं दिया जावे तथा सभी परिवार बी.पी.एल. सूची 2003 में दर्ज होना आवश्यक है।
3. प्रशिक्षणार्थी की आयु 18 से 35 वर्ष के मध्य होनी चाहिये। विधवा की अधिकतम आयु 45 वर्ष की आयु तक छूट देय है।
4. प्रशिक्षणार्थी माह में दो दिवस से अधिक प्रशिक्षण से अनुपस्थित रहने पर मानदेय में अनुवातिक कटौती की जायेगी तथा लगातार 1 माह में 15 दिवस अनुपस्थित रहने पर प्रशिक्षण निरन्तर किया जायेगा।
5. प्रशिक्षण प्रारम्भ करने से पूर्व ये सुनिश्चित कर लिया जावे कि कोई प्रशिक्षणार्थी का परिवार पूर्व में नरेगा/यू.बी.एस.पी./पी.एम.आई.पी.यू.पी./एस.जे.एस.आर.वाई/किसी योजना में लाभान्वित तो नहीं है तथा बैंको का ऋण बकाया तो नहीं है। डिफाल्टर होने की स्थिति में प्रशिक्षण नहीं दिया जावेगा।
6. प्रशिक्षणार्थी को मानदेय का भुगतान प्रशिक्षण समाप्त होने पर किया जावेगा।
7. प्रशिक्षण के दौरान प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी का स्वरोजगार हेतु ऋण आवेदन पत्र नगर निगम/नगर पालिका के माध्यम से सम्बन्धित बैंक को प्रस्तुत करने होंगे।
8. प्रशिक्षण के दौरान तैयार माल का प्रशिक्षण की समाप्ति उपरान्त संस्था एवं प्रशिक्षणार्थी में आधा-आधा बांटना होगा।
9. प्रशिक्षण प्रारम्भ करने से पूर्व संस्था प्रशिक्षण स्थल का पूर्ण पता केन्द्र संचालन का समय प्रशिक्षण का नाम, प्रशिक्षण समय प्रातः 10 से 5 बजे के मध्य होगा। प्रशिक्षण अवधि का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम एवं अद्योहस्ताक्षरकर्ता को सूचित करना होगा।
10. नगरपालिका द्वारा प्रत्येक माह में कम से कम एक निरीक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम किया जावेगा।
11. प्रशिक्षण के सम्बन्ध में संस्था द्वारा कोई अनियमितता की जाती है तो नियमों के विरुद्ध है तो संस्था की मान्यता समाप्त करने की कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।
12. प्रशिक्षण कार्यक्रम किसी भी परिस्थिति में 300 घण्टे से कम नहीं होगा।
13. प्रशिक्षणार्थियों के स्वयं सहायता समूह का गठन कर पालिका को सूचना देवे। एवं बैंको में खाते खुलवाये जावे उसके उपरान्त ही भुगतान किया जावेगा।
14. प्रशिक्षण के पश्चात प्रशिक्षण प्राप्त महिलाओं को रोजगार उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।
15. प्रशिक्षण प्रारम्भ की सूचना 3 दिवस पूर्व स्वयं जयन्ती शाखा में देवे ताकि प्रशिक्षण प्राप्त कर रही महिलाओं का भौतिक सत्यापन किया जा सके।

अतः उपरोक्त शर्तों के अलावा अन्य शर्तें जो योजना में लागू हैं समय-समय पर लागू होंगी। जो मान्य होंगी। तथा दिये गये निर्देशों की पालना अवश्य होगी। कच्चे माल की राशि अग्रिम दी जावेगी। तथा संस्थान के मानदेय का भुगतान प्रशिक्षण समाप्त होने के पश्चात किया जावेगा।

अधिकृत
नगर पालिका मण्डल
दौसा

क्रमांक : 5296-5302

दिनांक 09/02/2009

प्रतिलिपी सूचनार्थ -

1. श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय, दौसा
2. श्रीमान् परियोजना निदेशक स्थाननीय निकाय विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर
3. श्रीमान् परियोजना अधिकारी, दौसा
4. श्रीमान् अध्यक्ष सी.डी.एस. नगर पालिका, दौसा
5. सामुदायिक संगठक, नगर पालिका, दौसा
6. ग्रामीण विकास युवा संस्थान को भेजकर लेख है कि एक सप्ताह में प्रशिक्षण कार्यक्रम उपरोक्त शर्तों के अनुसार संचालित किया जाकर सूचित करें।
7. कार्यालय प्रति

अधिकृत
नगर पालिका मण्डल
दौसा

कार्यालय नगर पालिका मण्डल, दौसा

प्रेषक :

अध्यक्ष/अधिसूची अधिकारी
नगर पालिका मण्डल
दौसा (राजस्थान)

प्रेषित :

श्रीमान्
.....
.....

मांक 4626

दिनांक 18/12/2008



विषय:- SJSKY प्रोजेक्ट के अंतर्गत रचना योजना के अंतर्गत कार्यक्रम से सम्बन्धित।

उपरोक्त विषय में प्रेषित लिखित स्वरूप शरीर उपस्थान समन्वयक कोटिही (दूडा) की बिल्क दिनांक 29/11/08 की शीमाव लिखित संदेश के अन्तर्गत में आये लिख की गयी थी। जिसमें आपकी संख्या का चयन किया गया है। आप प्रेषित हुए BPL में सम्बन्धित कार्य का अतिरिक्त भ्रमण कर स्वीकार करने के लिए को शीघ्र प्रतिक्रिया करने के लिए अनुरोध किया जाता है।

श्रीमान्
नगर पालिका मण्डल
दौसा

.....
.....

File: PC/RAJ/15/36/2006

Dated: 20-NOV-2008

To,

The Director/President/Secretary,
GRAMIN VIKAS YUWA SANSTHAN, SAINTHAL
VILLAGE/PO-SAINTHAL, DIST-DAUSA, RAJ.-303507

Sub: PROJECT PROPOSAL FOR LOK SAHYOG.

Dear Sir/Madam,

I am to invite a reference to this office sanction letter even No dated 06-OCT-2008 amounting to Rs. 3,80,480 for the above mentioned Project under Scheme PC


I am enclosing herewith a Cheque/Demand Draft bearing No. 728808 dated 19-NOV-2008 drawn on INDIAN OVERSEAS BANK, M.I.ROAD, JAIPUR for Rs. 1,90,240 (One Lakhs Ninety Thousand Two Hundred Forty Only) to GRAMIN VIKAS YUWA SANSTHAN, SAINTHAL

Towards payment of the Installment No 1 for implementing above mentioned project. This amount is to be utilized for the following heads of expenditures/following items as mentioned in Annexure.

Receipt of this Letter with the Cheque/Demand Draft may please be Acknowledge and a stamped receipt be sent for our record.

Thanking you

Yours Faithfully,


Member Convenor

Copy to :

1. Village Panchayat
2. Local MLA

स्वीकृत राशि का हस्तिय
कट्स - पत्र

जे. 20(4)/6330

सचिव
ग्रामीण विकास युवा संस्थान
मधुवन विहार फौलोनी, सैथल रोड
दौसा- 303 303

महोदय/महोदया,

राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता अभियान 2008-2009 की स्वीकृति एवं कार्यशाला आयोजन के संदर्भ में

'कट्स' की शुभकामनाएं।

राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता अभियान 2008-2009 (विषय: जलवायु परिवर्तन) के तहत गतिविधियां आयोजित करने हेतु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र क्रमांक F. No. 9-32/2008-EE, दिनांक 29 सितम्बर, 2008 के अनुसार आपकी संस्था को रुपये 6,000 (अक्षरों रूपए छह हजार मात्र) की स्वीकृति निम्न कार्य हेतु प्रदान की है:

- (i) Awareness Component (रेली, केम्प, मीटिंग, सेमीनार आदि)- 4,000.00 रुपये
(ii) Action Component (ऊर्जा संरक्षण, पोषारोपण, वर्मी कम्पोस्ट आदि)- 2,000.00 रुपये

मंत्रालय द्वारा आपकी संस्था को उपरोक्त स्वीकृत राशि के अनुसार कार्यक्रम की दिनांक, स्थान एवं विस्तृत संशोधित वजह वय का धोरा तैयार कर कार्यशाला में अपने साथ अवश्य लावें।

उक्त रा.प.जा. अभियान हेतु वचनित सभी संस्थाओं की एक दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला शनिवार, दिनांक 15 नवम्बर, 2008 को प्रातः 10.00 बजे रोटरी क्लब, रोटरी मार्ग, चर्च रोड, एम.आई. रोड, जयपुर में आयोजित की जा रही है। उक्त कार्यशाला में भाग लेने हेतु आपकी संस्था से किसी एक अधिकृत प्रतिनिधि को भिजवाने की व्यवस्था करें। कृपया अपनी सहमति शीघ्र 'कट्स' को भिजवाने का श्रम करें।

वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के निर्देशानुसार स्वीकृत राशि की प्रथम किश्त (80 प्रतिशत) का बैंक ड्राफ्ट/चैक आपको दिया जाएगा। इसके लिए आप राशि प्राप्ति की रसीद (संस्था का लेटरहेड एवं मोहर) अपने साथ अवश्य लावें, तथा संस्था को स्वीकृत कुल राशि का दो रुपये के नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर बॉन्ड भरकर भी अपने साथ लावें। (बॉन्ड के नमूने की प्रति संलग्न है)। उक्त दस्तावेजों के अभाव में स्वीकृत राशि नहीं दी जा सकेगी।

वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के निर्देशानुसार रा.प.जा.अ. के तहत आयोजित की जाने वाली गतिविधियां आप 24 नवम्बर, 2008 से 27 फरवरी, 2009 के मध्य संचालित करें तथा इसकी पूर्व सूचना आप 'कट्स' कार्यालय को सात दिन पूर्व अवश्य दें।

अधिक जानकारी हेतु आप फोन नम्बर 0141-513 3259 या गोवाइल नं. 94142 02868 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

धन्यवाद।

भवदीय,

धर्मेन्द्र चतुर्वेदी

परियोजना प्रणाली

एलएन: उपरोक्तानुसार

(नोट: प्रतिभागियों को कार्यशाला हेतु यात्रा व्यय अथवा अन्य कोई व्यय देय नहीं होगा।)

श्री रा.क.जो.रा.उ.मा.14.
(राज.)

कार्यालय जिला परिषद (ग्रा.वि.प्र.), सवाईमाधोपुर

क्रमांक 1421-29

दिनांक 29-3-08

कार्यालय आदेश

ग्रामीण विकास युवा संस्थान
मधुवन विहार कॉलोनी, दौसा



स्वयं सहायता समूह गठन योजनांतर्गत दिनांक 30.9.2008 को अथवा 30.9.2008 को साक्षात्कार तथा चयन समिति की सिफारिश एवं योजना मार्गदर्शिका अनुसार 100/- रुपये के कीमती स्टाम्प पेपर पर एमओयूके फलस्वरूप इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 1421-29 दिनांक 27.9.08 के अनुसार आपको जिले की पंचायत समिति समिति सवाई माधोपुर क्षेत्र की अग्रलिखित ग्राम पंचायतों स्वयं सहायता समूह के गठन से लेकर आर्थिक गतिविधि से जोड़ने हेतु आवंटित की जाती है।

ग्राम पंचायतें : 1. सारसोप 2. टापुर 3. ईसरदा 4. महापुरा
5. बाडोलास 6. मखौली


स्वयं सहायता समूह के गठन एवं बैंक लिकेज पर 20 प्रतिशत ग्रेडिंग एवं प्रकोष्ठ स्वीकृति फण्ड जारी होने के पश्चात् 30 प्रतिशत, समूह को आर्थिक गतिविधि से जोड़ने पर 40 प्रतिशत तथा समूह द्वारा बैंक ऋण का कुशलतान लेन-देन पर 10 प्रतिशत राशि कुल 10,000/- (दस हजार रुपये) चरण बद्ध देय होंगे। प्रत्येक गतिविधि पूर्ण होने पर संस्था का दायित्व है कि मानदेय राशि की मांग हेतु निर्धारित प्रारूप में विकास अधिकारी की अभिशंसा सहित इस कार्यालय को भिजवाने पर भुगतान देय होगा। साथ ही इसकी एक प्रति इस कार्यालय को भिजवाना भी सुनिश्चित करें।

प्रत्येक माह पंचायत समिति/जिला स्तर पर आयोजित मासिक बैठक में आपकी उपस्थिति अनिवार्य है। बैठक में निर्धारित प्रारूप में प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य है। लगातार 2-3 बैठकों में आपका प्रतिनिधि योजनान्तर्गत प्रगति के साथ उपस्थित नहीं होता है तो यह मानते हुए कि आप कार्य करने के इच्छुक नहीं हैं तथा कार्यालय के आदेशों की अवहेलना मानते हुए आपकी संस्था का योजनान्तर्गत चयन निरस्तीकरण की कार्यवाही की जावेगी।

आपको आवंटित ग्राम पंचायतों की बीपीएल परिवारों की संख्या का 1/10 स्वयं सहायता समूह गठन का लक्ष्य आवंटित किया जाता है। अर्थात् किसी ग्राम पंचायत में 100 बीपीएल परिवार हैं तो उसमें 10 स्वयं सहायता समूह गठन करना है। साथ ही लक्ष्यानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए आपको दिनांक 31.10.2008 तक 50 समूह गठन कर इस कार्यालय को सूचित करना सुनिश्चित करें। समय-समय पर लक्ष्यों की समीक्षा पंचायत समिति एवं जिला परिषद (ग्रा.वि.प्र.) द्वारा की जावेगी। यदि ऐसा प्रतीत होता है कि संस्था लक्ष्यानुसार कार्य नहीं कर रही है तो समीक्षा उपरान्त चयन निरस्तीकरण कार्यवाही की जा सकेगी।

आदेश प्राप्त पश्चात् आपको सलाह दी जाती है कि परियोजना समिति के सदस्यों को विकास अधिकारी/प्रगति प्रसार अधिकारी से सम्पर्क कर राजस्व-संग्रहण कार्य शीघ्र प्रारम्भ करें।

शुभकामनाओं सहित।


हिमंशु शर्मा,


परियोजना अधिकारी (एसजीएसवाई)
जिला परिषद (ग्रा वि प्र.), सवाईमाधोपुर


क्रमांक 1480-8।

दिनांक 29-9-08

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. विकास अधिकारी/प्रगति प्रसार अधिकारी पंचायत समिति सवाई माधोपुर।





परियोजना अधिकारी (एसजीएसवाई)
जिला परिषद (ग्रा वि प्र.), सवाईमाधोपुर

राजस्थान सरकार

जिला उद्योग केन्द्र, दौसा राज०

संक्रमांक: एफ। १३/उद्योग/विडके/2008/ 12/3

दिनांक: 28/5/08



अध्यक्ष/सचिव/संयोजक,

ग्रामीण विकास युवा संस्थान,
अध्यक्ष विकास कॉलोनी,
सिंधल रोड - दौसा

विषय:- गृह उद्योग योजना अन्तर्गत प्रशिक्षण उपलब्ध कराने हेतु संस्था चयन की सूचना बाबत ।

प्रहोदय,

उक्त विषय में लेख है, कि जिला स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 18-8-2008 में आपको संस्था का चयन गृह उद्योग योजना अन्तर्गत कार्पेट व्ही निमि के ड में महिलाओं को प्रशिक्षण उपलब्ध करवाये जाने हेतु चयन किया गया है ।

योजना अन्तर्गत प्रशिक्षण उपलब्ध करवाये जाने हेतु विज्ञापन निर्देशों को प्रति जिला उद्योग केन्द्र कार्यालय से प्राप्त करेंगे । उल्लेखनीय है, कि दिनांक 4-9-2008 से प्रशिक्षण आवश्यक रूप से प्रारंभ किया जाना है, अतः आपको आवंटित ट्रेड में प्रशिक्षण प्राप्त को इच्छुक महिलाओं के आवेदन पत्र प्राप्त करें, साथ ही प्रशिक्षण उपलब्ध करवाये जाने हेतु प्रशिक्षिका व सहायिका के भी कम से कम दो-दो आवेदन पत्र तैयार कर प्रस्तुत करें । ताकि चयन पश्चात निर्धारित तिथि से प्रशिक्षण प्रारंभ किया जा सके ।

भवदीय,

महा प्रबन्धक,

जिला उद्योग केन्द्र, दौसा

राजस्थान
जिला उद्योग केन्द्र, दौसा (राज.)

जिला परिषद
कार्यालय जिला जल एवं स्वच्छता समिति, टोंक
सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान

क्रमांक/एफ(18)/टीएससी/1201—1239

दिनांक: 13/6/08

सचिव,
ग्रामीण विकास युवा संस्थान, दौसा
जिला दौसा

विषय:- बजट स्वीकृति एवं कार्य प्रारम्भ करने के संबंध में।
संदर्भ: इस कार्यालय के पत्रांक 4196-4233 दिनांक 24.03.2008

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान अन्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था को निर्मल ग्राम पंचायत बनाने हेतु ग्राम पंचायत आवंटित की गई थी। अभियान अन्तर्गत गतिविधियों के आयोजन हेतु माह जुलाई 2008 से मार्च 2009 तक कुल 9 माह हेतु बजट स्वीकृत किया गया है।


अनुबन्ध एवं स्वीकृत बजट कार्य योजना अनुसार आपको निर्देशित किया जाता है कि निर्मल ग्राम पंचायतों के लक्ष्य एवं गतिविधियों का आयोजन निर्धारित समयानुसार पूर्ण करना सुनिश्चित करे। इस हेतु अनुबन्ध पत्र, बजट एवं कार्ययोजना, निर्धारित लक्ष्य, मासिक प्रगति प्रतिवेदन प्रपत्र-ए, बी एवं सी, सेबलाईन सर्वे फारमेट प्रपत्र-डी, ई एवं एफ तथा बीपीएल शौचालय आवेदन की पूर्व सूचना लिखित में सात दिवस पूर्व इस कार्यालय को भिजवाये जा रहे है।

किसी भी गतिविधि के आयोजन की पूर्व सूचना लिखित में सात दिवस पूर्व इस कार्यालय को भिजवाना आवश्यक होगा।

अतः आप दिनांक 25.06.08 तक आगामी त्रैमासिक कार्य योजना इस कार्यालय को भिजवाये तथा मासिक प्रगति प्रतिवेदन प्रत्येक माह को 5 तारीख तक मय निर्मित शौचालयों की सूची के निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत करने की सुनिश्चितता करे।

संलग्न :-


1. अनुबन्ध प्रपत्र
2. बजट कार्य योजना
3. निर्धारित लक्ष्य प्रपत्र
4. मासिक प्रगति प्रतिवेदन प्रपत्र-ए, बी, सी
5. सेबलाईन सर्वे फारमेट प्रपत्र-डी, ई, एफ
6. बीपीएल शौचालय आवेदन प्रपत्र-जी


अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद एवं सह अध्यक्ष
जिला जल एवं स्वच्छता समिति, टोंक
दिनांक:

क्रमांक/एफ(18)/टीएससी/

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:- (सूची संलग्न)

1. उपखण्ड अधिकारी, टोंक/पीपलू/निवाई/मालपुरा/टोडारायसिंह/देवली/उनियारा
2. विकास अधिकारी, पंचायत समिति टोंक/पीपलू/निवाई/मालपुरा/टोडारायसिंह/देवली/उनियारा
3. सहायक अभियन्ता पीएचईडी टोंक/निवाई/मालपुरा/टोडारायसिंह/देवली/उनियारा
4. निजी सहायक जिला कलेक्टर, टोंक


अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद एवं सह अध्यक्ष
जिला जल एवं स्वच्छता समिति, टोंक

एसजेएसआरवाई/2007-08/297

कार्यालय आदेश

शहरी क्षेत्रों के वीपीएल परिषदों को स्वयंसेवकी शहरी रोजगार योजना-संगत स्वरोजगार प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए 2007-08 के निम्न लिखित संस्थाओं को प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए अनुमोदित किया जाता है।

क्र.सं.	प्रशिक्षण देने वाली संस्था का नाम	प्रशिक्षणार्थी संख्या	की	प्रशिक्षण केन्द्रों की संख्या
1	नगरपालिका दोसा			
2	जिला महिला सहायक समिति, प्रचार-प्रसार समिति दोसा।	20		1
3	डीएचएल/सिद्धि/समिति/ग/आ/उपर दोसा।	20		1
4	राष्ट्रीय जन श्रमिक संघ, राजस्थान, राजस्थान, राजस्थान दोसा।	20		1
5	राज्य महिला श्रमिक संघ, राजस्थान, राजस्थान, राजस्थान दोसा।	20		1
6	राज्य महिला श्रमिक संघ, राजस्थान, राजस्थान, राजस्थान दोसा।	40		2
7	राज्य महिला श्रमिक संघ, राजस्थान, राजस्थान, राजस्थान दोसा।	20		1
8	राज्य महिला श्रमिक संघ, राजस्थान, राजस्थान, राजस्थान दोसा।	25		1
9	राज्य महिला श्रमिक संघ, राजस्थान, राजस्थान, राजस्थान दोसा।	25		1
10	राज्य महिला श्रमिक संघ, राजस्थान, राजस्थान, राजस्थान दोसा।	22		1
11	राज्य महिला श्रमिक संघ, राजस्थान, राजस्थान, राजस्थान दोसा।	22		1
12	राज्य महिला श्रमिक संघ, राजस्थान, राजस्थान, राजस्थान दोसा।	22		1
13	राज्य महिला श्रमिक संघ, राजस्थान, राजस्थान, राजस्थान दोसा।	22		1
14	राज्य महिला श्रमिक संघ, राजस्थान, राजस्थान, राजस्थान दोसा।	22		1
15	राज्य महिला श्रमिक संघ, राजस्थान, राजस्थान, राजस्थान दोसा।	22		1
16	राज्य महिला श्रमिक संघ, राजस्थान, राजस्थान, राजस्थान दोसा।	22		1
17	राज्य महिला श्रमिक संघ, राजस्थान, राजस्थान, राजस्थान दोसा।	22		1
18	राज्य महिला श्रमिक संघ, राजस्थान, राजस्थान, राजस्थान दोसा।	22		1
19	राज्य महिला श्रमिक संघ, राजस्थान, राजस्थान, राजस्थान दोसा।	22		1
20	राज्य महिला श्रमिक संघ, राजस्थान, राजस्थान, राजस्थान दोसा।	22		1

अतिरिक्त अधिकारी, नगरपालिका दोसा/वादीकुई/लालसोट को मेजकर पत्र है कि निम्न लिखित शर्तों के अनुसार प्रशिक्षण शीघ्र प्रारंभ करायें -


- संस्था द्वारा निदेशालय, राष्ट्रीय श्रमिक संघ, जयपुर के परिपत्र क्रमांक एफ 7(1)डीएलवी/एसजेएसआरवाई/गारा/5888/2007/13.08.07 के अनुसार स्वरोजगार प्रशिक्षण के सम्बन्ध में जारी निर्देशानुसार परम्परागत व्यवसाय जैसे क्लाइड/गाई/पुतली/शेड/रुम/अन्य इंधन में प्रशिक्षण आयोजित किया जायें।
- कक्षाओं के लिए प्रशिक्षण की अधिकतम अवधि तीन-सौ घण्टे होगी।
- किसी भी प्रशिक्षण में एक परिवार से एक से अधिक व्यक्तियों को प्रशिक्षण नहीं दिया जायें।
- प्रशिक्षणार्थियों की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। प्रशिक्षणार्थियों की अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षणार्थियों को स्वरोजगार हेतु ऋण आवेदन पत्र नगरपालिका के माध्यम से संबंधित बैंक को भेजना होगा।
- प्रशिक्षण के दौरान तयार होने वाली प्रशिक्षण उपरान्त संस्था व प्रशिक्षणार्थियों में आधा-आधा बांटना होगा।
- नगरपालिका द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम का प्रत्येक माह में कम से कम तीन बार निरीक्षण किया जायेंगा।
- प्रशिक्षण के दौरान संस्था द्वारा कोई अनियमितता की जाती है तो संस्था को आवश्यक प्रशिक्षण कार्यक्रम को निरस्त कर दिया जायेंगा।
- स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ की सूचना पूर्ण पत्र सहित इस कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करना। उपरोक्त शर्तों के अतिरिक्त समय-समय-समय सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की पालना आवश्यक होगी।

- ३० -
मुख्य आयोजना अधिकारी
एवं नोडल अधिकारी
एस.जे.एस.आर.वाई.दोसा

दिनांक 22/08/07

1. एसजेएसआरवाई/2007-08/298-308
2. निम्नलिखित संस्थाओं को प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए अनुमोदित किया जाता है -
3. श्रीमान्/श्रीमती/श्रीमती/श्रीमान्/राजस्थान, जयपुर।
4. श्रीमान्/श्रीमती/श्रीमती/श्रीमान्/राजस्थान, जयपुर।
5. श्रीमान्/श्रीमती/श्रीमती/श्रीमान्/राजस्थान, जयपुर।
6. श्रीमान्/श्रीमती/श्रीमती/श्रीमान्/राजस्थान, जयपुर।
7. श्रीमान्/श्रीमती/श्रीमती/श्रीमान्/राजस्थान, जयपुर।
8. श्रीमान्/श्रीमती/श्रीमती/श्रीमान्/राजस्थान, जयपुर।
9. श्रीमान्/श्रीमती/श्रीमती/श्रीमान्/राजस्थान, जयपुर।
10. श्रीमान्/श्रीमती/श्रीमती/श्रीमान्/राजस्थान, जयपुर।
11. श्रीमान्/श्रीमती/श्रीमती/श्रीमान्/राजस्थान, जयपुर।
12. श्रीमान्/श्रीमती/श्रीमती/श्रीमान्/राजस्थान, जयपुर।
13. श्रीमान्/श्रीमती/श्रीमती/श्रीमान्/राजस्थान, जयपुर।
14. श्रीमान्/श्रीमती/श्रीमती/श्रीमान्/राजस्थान, जयपुर।
15. श्रीमान्/श्रीमती/श्रीमती/श्रीमान्/राजस्थान, जयपुर।
16. श्रीमान्/श्रीमती/श्रीमती/श्रीमान्/राजस्थान, जयपुर।
17. श्रीमान्/श्रीमती/श्रीमती/श्रीमान्/राजस्थान, जयपुर।
18. श्रीमान्/श्रीमती/श्रीमती/श्रीमान्/राजस्थान, जयपुर।
19. श्रीमान्/श्रीमती/श्रीमती/श्रीमान्/राजस्थान, जयपुर।
20. श्रीमान्/श्रीमती/श्रीमती/श्रीमान्/राजस्थान, जयपुर।

मुख्य आयोजना अधिकारी
एवं नोडल अधिकारी
एस.जे.एस.आर.वाई.दोसा



RURAL
NON FARM
DEVELOPMENT
AGENCY

3rd Floor, B-Block, Yojana Bhawan
Tilak Marg, Jaipur 302 005 (India)
Phone +91-141- 2226861, 2225619
2222984, 2228512
Fax +91-141-5104844
Website : www.ruda.org.in
E-mail : info@ruda.org.in

रूडा / डी.पी.आई.पी. / 2007-08 / 491

दिनांक: 30.04.2007

सचिव,
ग्रामीण विकास युवा संस्थान,
सैंथल रोड, दौसा।

विषय: रूडा के डी.पी.आई.पी. प्रशिक्षण आयोजित करने में सहयोग प्रदान करने के सम्बन्ध में।
संदर्भ: आपका पत्र क्रमांक ग्रा.वि.यु.स./07/161 दिनांक 20.04.2007.

महोदय,

आपके संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि आपके द्वारा दिये गये प्रस्तावों के अनुसार यह कार्यालय डी.पी.आई.पी. परियोजना के अंतर्गत विभिन्न जिलों में रूडा द्वारा संपादित किये जा रहे प्रशिक्षणों में आपकी संस्था का सहयोग प्राप्त करने के लिये सहमत है। कृपया निम्न जिलों में यह सहयोग प्रदान करने की व्यवस्था करावे:-

1. दौसा
2. धौलपुर
3. चूरू
4. टोंक
5. झालावाड़
6. बारां।

उक्त सहयोग के फलस्वरूप आपकी संस्था द्वारा किये जाने वाले व्यय का पुर्नभरण बिल प्राप्त होने पर इस कार्यालय द्वारा कर दिया जावेगा।

सहयोग की अन्य शर्तें निम्नानुसार हैं:-

1. प्रशिक्षण यथासंभव समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार पूर्ण कराया जावेगा।
2. प्रशिक्षण के आयोजन में रूडा द्वारा घयनित एवं प्रशिक्षित मास्टर ट्रेनर्स की सेवाएँ ही ली जावेंगी।
3. प्रशिक्षण का नियमित रिकॉर्ड रखा जावेगा।
4. रूडा एवं डी.पी.आई.पी. परियोजना के अधिकारियों को प्रशिक्षण के दौरान कार्य का निरीक्षण करने का पूर्ण अधिकार रहेगा।
5. प्रशिक्षण के अंत में प्रशिक्षण संतोषप्रद रूप से समाप्त किये जाने की रिपोर्ट निर्धारित प्रपत्र में जिले के डी.पी.एम. कार्यालय के सक्षम अधिकारी से सत्यापित कराकर प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

ध्यायव्यस
(श्री रा.क.जो.रा.उ.भा.वि.
(राज.))

दक्षता उन्नयन प्रशिक्षण आदेश

जयपुर के पत्रांक प-(35)ग्रा.वि./डीपीआईपी/2003 जयपुर के पत्रांक 07/07/2007 के अनुसार गैर सरकारी संस्था ग्रामीण विकास युवा संस्थान दौसा के पत्रांक 07/25 दिनांक 12.3.2007 84 दिनांक 16.3.07 एवं 85 दिनांक 16.3.07 के द्वारा प्रस्तावित दक्षता प्रशिक्षण के लिए चयन किया गया अनुमोदन निम्नानुसार नीचे वर्णित समान रुचि समूह के लिए स्वीकृत किया जाता है।

ग्रामीण विकास युवा संस्थान का गाँव	गतिविधि	अवधि	मास्टर ट्रेनर	प्रशिक्षण स्थल
खिवाचली	गलीचा कार्य	3 माह	हीरालाल माली	चिरजी लाल माली के घर
खुर्ता	गलीचा कार्य	3 माह	रामकेश बैरवा	हंसराज मीणा के घर पर
खुर्ता	गलीचा कार्य	3 माह	आशाराम खटीक	नाथूलाल मीणा के घर

जयपुर के आदेशानुसार एवं गैर सरकारी संस्था की अग्रिम प्रतिक्रिया के बाद प्रशिक्षण कार्य आरंभ किया जायेगा। प्रशिक्षण के अध्येक्षन जारी की जाती है। प्रशिक्षण प्रारंभ करने से पूर्व अनुबन्धित गैर सरकारी संस्था प्रशिक्षण का विस्तृत कार्यक्रम इस कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करेंगे। जिसमें प्रशिक्षण स्थल का पूर्ण पता अंकित किया जाये। प्रशिक्षण के इस कार्यालय को भेजे बिना प्रशिक्षण प्रारंभ नहीं कराया जाये। प्रशिक्षण की प्रतिक्रिया के अनुसार कराया जाये तथा प्रशिक्षण की रिपोर्ट समय समय पर प्रस्तुत की जाये। प्रशिक्षण समाप्ति के बाद समूह की बाजार सहलग्नता कराने का उत्तरदायित्व गैर सरकारी संस्था का होगा। इस सम्बन्ध में प्रशिक्षण प्रारंभ करने से पूर्व सहमति प्राप्त की जायेगी। प्रशिक्षण समाप्ति के बाद प्रशिक्षण की पूर्ण रिपोर्ट सम्बन्धित गैर सरकारी संस्था की विषय कार्यालय/डीपीआईपी की दिशा में भिजवाई जाये। मास्टर ट्रेनर का समय बायोडाटा एवं अनुभव प्रमाण पत्र कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित कराये। अगर मास्टर ट्रेनर का बायोडाटा नहीं भिजवाया गया तो प्रशिक्षण स्वीकृति आदेश निरस्त कर दिया जायेगा।

— 5/1 —
जिला परियोजना प्रबंधक
डीपीआईपी, दौसा
दिनांक 17/3/07

जयपुर के पत्रांक प-(35)ग्रा.वि./डीपीआईपी/2003 जयपुर के पत्रांक 07/07/2007 के अनुसार गैर सरकारी संस्था ग्रामीण विकास युवा संस्थान दौसा के पत्रांक 07/25 दिनांक 12.3.2007 84 दिनांक 16.3.07 एवं 85 दिनांक 16.3.07 के द्वारा प्रस्तावित दक्षता प्रशिक्षण के लिए चयन किया गया अनुमोदन निम्नानुसार नीचे वर्णित समान रुचि समूह के लिए स्वीकृत किया जाता है।

जयपुर के आदेशानुसार एवं गैर सरकारी संस्था की अग्रिम प्रतिक्रिया के बाद प्रशिक्षण कार्य आरंभ किया जायेगा। प्रशिक्षण के अध्येक्षन जारी की जाती है। प्रशिक्षण प्रारंभ करने से पूर्व अनुबन्धित गैर सरकारी संस्था प्रशिक्षण का विस्तृत कार्यक्रम इस कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करेंगे। जिसमें प्रशिक्षण स्थल का पूर्ण पता अंकित किया जाये। प्रशिक्षण के इस कार्यालय को भेजे बिना प्रशिक्षण प्रारंभ नहीं कराया जाये। प्रशिक्षण की प्रतिक्रिया के अनुसार कराया जाये तथा प्रशिक्षण की रिपोर्ट समय समय पर प्रस्तुत की जाये। प्रशिक्षण समाप्ति के बाद समूह की बाजार सहलग्नता कराने का उत्तरदायित्व गैर सरकारी संस्था का होगा। इस सम्बन्ध में प्रशिक्षण प्रारंभ करने से पूर्व सहमति प्राप्त की जायेगी। प्रशिक्षण समाप्ति के बाद प्रशिक्षण की पूर्ण रिपोर्ट सम्बन्धित गैर सरकारी संस्था की विषय कार्यालय/डीपीआईपी की दिशा में भिजवाई जाये। मास्टर ट्रेनर का समय बायोडाटा एवं अनुभव प्रमाण पत्र कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित कराये। अगर मास्टर ट्रेनर का बायोडाटा नहीं भिजवाया गया तो प्रशिक्षण स्वीकृति आदेश निरस्त कर दिया जायेगा।

जिला परियोजना प्रबंधक
डीपीआईपी, दौसा

राजस्थान सरकार
कार्यालय जिला परियोजना प्रबंधक इकाई (डीपीआईपी) टोंका
क्रमांक - डीपीआईपी / 2006-07 /
प्रशिक्षण स्वीकृति आदेश

श्रीमान राज्य परियोजना निदेशालय जयपुर के आदेश क्रमांक पंजाब प्रतिवि / डीपीआईपी / 2006 / 22.9.06 के अनुपालनार्थ संबंधित गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा दिये गये प्रस्तावों के आधार पर गुणवत्ता एवं स्थायित्व हेतु समान जैसी संस्था के अध्यक्ष कोषाध्यक्ष एवं एक सक्रिय सदस्य सहित कुल 3 सदस्यों को प्रशिक्षण एवं स्थानिक के विभिन्न सूचकों पर खरा उतरने एवं गुणवत्ता के साथ स्थायित्व को प्राप्त करने हेतु प्रशिक्षण दिये जाने के स्वीकृति नियमानुसार एतद्वारा प्रदान की जाती है। प्रशिक्षण एवं संगणन बजट प्रावधान के अनुसार व्यय कर तीन दिवस में राशि का संचालन करवाया जाये। इस कार्यालय में बिल बाउचर प्रस्तुत करें। एसपीएमयू के निर्देशानुसार 2500 रु. प्रतिदिन तक प्रदान करने हेतु बैंक गारन्टी प्रस्तुत करें ताकि अग्रिम राशि जारी की जा सके।

क्र.सं.	संस्था	CIG की संख्या	बैच	स्थान	प्रशिक्षण दिनांक	लेखा प्रशिक्षक
1	ग्रामीण विकास युवा संस्थान	35	2	हैन्स मेरिज होम दोसा	14/2007	1. श्री. जयसिंग गुणजना 2. रश्मि शर्मा

जिला परियोजना प्रबंधक
डीपीआईपी टोंका

दिनांक 17/3/07

क्रमांक 23477-86
प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ

1. समस्त प्रबंधक / सहायक प्रबंधक कार्यालय टोंका
2. लेखा शाखा को भेजकर लेख है कि संस्थाओं को अग्रिम राशि प्रदान करने को कार्रवाई सुनिश्चित करें।
3. गैर सरकारी संस्था जी.वी.वाई.एस. को भेजकर लेख है कि प्रशिक्षण दिनांक के आधार पर सुनिश्चित कर प्रबंधक सीडीएण्डटी को एक दिन पूर्व सूचना देना।
4. प्रबंधक/सहायक प्रबंधक सीडीएण्डटी को भेजकर लेख है कि प्रशिक्षण दिनांक के अनुसार बजट रखने हेतु प्रशिक्षण में भाग लेना सुनिश्चित करें।
5. सी.एम.आई.एस. शाखा कार्यालय हाजा
6. रक्षित पत्रावली।



जिला परियोजना प्रबंधक
डीपीआईपी टोंका

कार्यालय जिला परिषद (ग्राम वे.प्र.), करौली

क्रमांक :- 4107-83

दिनांक :- 21/11/96

कार्यालय आदेश

स्वर्ण जयन्ति ग्राम स्वरोजगार योजना के गठन हेतु चयन समिति की अभिशंषा के आधार पर निम्न सहायता समूह गठन करने में फेसीलीटेटर की अनुमति प्राप्त सामने अंकित पंचायत समिति में समूह गठन का कार्य माध्यम से रिपोर्ट इस कार्यालय को भिजवावें।

त स्वयं सहायता समूहों का स्वयं सेवा संस्थाओं को स्वयं की जाती है। संस्था उनके कर विकास अधिकारी के

क्र. सं.	संस्था का नाम	पंजीयन	कार्यक्षेत्र
1	अंकुर जन स्वास्थ्य मंडल, एवम् धिकित्ता समिति, कोटा (मामचा)	21/24-07-96	करौली
2	दीणा मैमोरियल सेवा सोसायटी, करौली	52/14-02-92	करौली
3	ज्ञानोदय, शिक्षा समिति, कपासन चित्तोडगढ	424/01-12-80	करौली
4	ल्यूपिन ह्यूमन वेलफेयर एण्ड रिसर्च फाउण्डेशन, भरतपुर (करौली)	134/31-03-91	करौली
5	श्री जी शिक्षण संस्थान, करौली	21/04-07-2000	करौली
6	ग्रामीण विकास संस्थान, कसार, करौली	43/21-07-97	करौली
1	जगरोटी शिक्षण प्रशिक्षण, संस्थान हिण्डौन सिटी	41/31-08-99	हिण्डौन
2	विवेकानन्द सेवा शिक्षा समिति, धन्धावली, हिण्डौन	36/06-07-01	हिण्डौन
3	श्री नृसिंह गुफा सेवा संस्थान, गढी गांवडा, हिण्डौन	60/13-10-97	हिण्डौन
4	नीरा संस्थान, करौली	53/16-05-2000	हिण्डौन
5	सोशल एशोसियन फॉर अवेयरनेस ट्रेनिंग एण्ड ह्यूमन इम्प्रूवमेन्ट (जयपुर)	1393/28-02-03	हिण्डौन
1	नवज्योति जन कल्याण विकास समिति, सपोटरा	89/13-03-03	सपोटरा
2	ब्राइट शिक्षा समिति, करौली	67/22-11-2000	सपोटरा
3	मधुजन कल्याण विकास समिति, करौली	61/16-12-99	सपोटरा
4	ज्योतिवा फूले शिक्षा संचालन समिति, करौली	57/04-01-93	सपोटरा
5	मल्धरा अकादमी, जयपुर	101/28-11-90	सपोटरा
6	प्रभु फाउण्डेशन, जयपुर	939/03-12-01	सपोटरा
1	आदर्श मानव युवा ग्रामीण सेवा संस्था, कैभा	27/23-07-90	नादौती
2	शहरी एवम् ग्रामीण विकास संस्थान, गंगार सिटी	11/03-05-200	नादौती
3	सुजीत शिक्षा समिति, रौसी	5/08-06-99	नादौती
4	ग्रामीण विकास युवा संस्थान, दोसा	47/12-06-96	नादौती
5	कैम्ब्रिज, पब्लिक स्कूल संस्थान, गंगार सिटी	34/28-07-89	नादौती
1	देव वाणी बाल विद्यालय संचालन समिति, करौली	48/10-01-92	टोडाभीम
2	इंदिरा गांधी एवम् महिला एवम् बाल विकास सेवा संस्थान महस्था	34/21-09-96	टोडाभीम
3	सरस्वती बाल विद्या मंदिर समिति, पदनपुरा टोडाभीम	4/22-04-97	टोडाभीम
4	समाजोत्थान विकास समिति, भोपर	2/01-05-92	टोडाभीम
5	उत्तरा फाउण्डेशन सोसायटी, टोडाभीम	47/06-01-95	टोडाभीम


शर्त :-

- संस्था को स्वयं सहायता समूहों के गठन करने में सहयोग करना होगा। समूहों में कम से कम 10 सदस्य होने चाहिए। तथ्या कम से कम आधे समूह महिलाओं के होंगे।

ना के मापदण्डों का पालन एवम् वी.पी.एल. चयनित होने जाएं।

- 2. संस्था द्वारा राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों के बिना नोटिस के Facilitator के कार्य से तत्काल हस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित रहेगा।
- 3. यदि संस्था द्वारा अनियमित कार्यवाही की गई, तो
- 4. विकास अधिकारी के द्वारा संस्था के कार्यों की पुष्टि रिवॉल्विंग फण्ड मद में उपलब्ध कराई गई राशि के अनुसार भुगतान की कार्यवाही की जावेगी।
- 5. समस्त फेसीलीटेटर्स को निर्देशित किया जाता है कर विकास अधिकारियों के माध्यम से रिपोर्ट इस उनका चयन रद्द समझा जावेगा।

रूप कार्यवाही नहीं करने पर टाए जाने का अधिकार निम्न का स्वयं का दायित्व होगा।
 के उपरान्त उन्ही के द्वारा उन्हे । योजना के दिशा-निर्देशों के वे 15 दिवस में कार्य अरम्भ र्यालय को भिजवावें। अन्यथा



 मुख्य कार्यकारी अधिकारी
 जेला परिषद (ग्राम.वि.प्र.)
 करौली

क्रमांक :सम/ 4107-33

दिनांक : 21/11

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

- 1. परियोजन निदेशक एवं पदेन उप सचिव (एग्रावि), जेला पुर।
- 2. विकास अधिकारी, पंचायत समिति करौली/सपोटरा हेण्डौन/टोडाभीम/नादौती।
- 3. सम्बन्धित संस्था अध्यक्ष/सचिव


 मुख्य कार्यकारी अधिकारी
 जेला परिषद (ग्राम.वि.प्र.)
 करौली

कार्यालय नगर पालिका मण्डल, लालसोट (दौसा)

क्रमांक:—न.पा.ला/2007-08/2647

दिनांक: 14.03.2008

कार्यालय आदेश


स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजनान्तर्गत स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत जिला स्तरीय उनशमन समन्वय समिति (डूडा) बैठक में अनुमोदित संस्था ग्रामीण विकास युवा संस्थान, मधुवन विहार कॉलोनी, सैंथल रोड दौसा को प्रशिक्षण ट्रेड जरी कढाई अवधि तीन माह के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम स्वीकृत करे की अनुशांसा आवेदन पत्रों की जांच के उपरान्त उल्लेखित शर्तों के आधार पर निम्न महिलाओं को प्रशिक्षण में भाग लेने की स्वीकृति दी जाती है। विवरण निम्नानुसार है:—

क्र. सं.	वार्ड नं.	घयन क्रमांक	लाभार्थी का नाम गय पिता/पति	जाति	उम्र
1	13	27/14	शोभा देवी पत्नि पप्पूलाल गहावर	कोली	35
2	13	28/15	सावित्री देवी पत्नि मिश्रीलाल महावर	कोली	34
3	13	29/16	सरोज देवी पत्नि कालूराम महावर	कोली	32
4	13	35/17	तीजा देवी पत्नि मूलचन्द महावर	कोली	35
5	13	40/19	चेतना पुत्री ईश्वरलाल महावर	कोली	22
6	13	107/53	चौथी देवी पत्नि जगदीश	माली	32
7	13	108/54	चन्द्रवती देवी पत्नि मूलचन्द सैनी	माली	28
8	13	109/55	सुनीता देवी पत्नि भरतलाल सैनी	माली	30
9	13	111/57	गुडडी देवी पत्नि बंकी चन्द सैनी	माली	33
10	13	112/58	अनोखी देवी पत्नि कांजीलाल माली	माली	34
11	13	114/60	सत्यवती देवी पत्नि गोपीराम सैनी	माली	28
12	13	115/61	इन्द्रा देवी पत्नि विश्राम सैनी	माली	27
13	13	116/62	कांता देवी पत्नि हरिनारायण सैनी	माली	24
14	13	123/63	ज्योति देवी पत्नि ग्यारसीलाल माली	माली	32
15	13	124/64	शिमला देवी पत्नि प्रभूलाल सैनी	माली	25
16	13	127/65	अनिता देवी पत्नि हरकेश सैनी	माली	32
17	13	129/67	बसन्ती देवी पत्नि चौथमल शर्मा	शर्मा	30
18	13	132/70	प्रेमलता देवी पत्नि श्यामलाल शर्मा	शर्मा	24
19	13	133/71	सन्तोष देवी पत्नि गिरधारी लाल सैनी	माली	29
20	13	343/115	केशन्ता देवी पत्नि मनोहर लाल शर्मा	शर्मा	25
21	13	262/120	राजकुमारी पत्नि रमेश चन्द शर्मा	शर्मा	22
22	13	79/114	राजकुमारी पत्नि तारा चन्द गुर्जर	गुर्जर	33

प्रशिक्षण कार्यक्रम निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकृत किया गया है। किसी प्रशिक्षणार्थी द्वारा शर्तों की पूर्ति नहीं किये जाने पर उसे प्रशिक्षण नहीं दिया जावे एवं संस्था द्वारा नियमों की पालना नहीं करने पर प्रशिक्षण निरस्त किया जा सकेगा। शर्तें निम्नानुसार है :-

1. प्रशिक्षणार्थियों की पात्रता 18 से 35 वर्ष के बीपीएल महिलाओं को प्राथमिकता।
2. आरक्षण:- न्यूनतम 20 प्रतिशत महिला निकाय की बी.पी.एल. जनसंख्या में से एस.सी./एस.टी. के प्रतिशत अल्पसंख्यक।
3. प्रशिक्षण की अवधि दक्षता वृद्धि के लिये प्रशिक्षण की न्यूनतम अवधि 3 माह (75 कार्य दिवस/तीन सौ घण्टे होगी) परन्तु न्यूनतम 300 घण्टे का प्रशिक्षण मय कार्य स्थल के प्रशिक्षण होना आवश्यक है।
4. किसी भी परिस्थिति में एक परिवार से एक से अधिक महिलाओं को प्रशिक्षण नहीं दिया जावेगा।
5. संस्था को आवंटित ट्रेड में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करवाने हेतु संबंधित ट्रेड में मान्यता प्राप्त संस्था से प्रशिक्षित ट्रेनर द्वारा प्रशिक्षण दिया जाना है। जिसे कम से कम न्यूनतम तीन वर्ष का अध्यापन का अनुभव हो। संस्था के पास प्रशिक्षण कार्यक्रम में आवंटित ट्रेड के अनुसार निर्धारित महिलाओं की संख्या के अनुसार प्रशिक्षण कक्ष सुविधा का होना आवश्यक है।
6. प्रशिक्षण संस्थाओं से प्राप्त प्रस्ताव में ट्रेनिंग कलेण्डर मय करवाये जाने वाले कोर्स का पूर्ण विवरण, प्रशिक्षण, सर्टिफिकेट प्रक्रिया, कार्यस्थल प्रशिक्षण, प्रशिक्षण हेतु आवश्यक सुविधायें तथा भविष्य में तैयार उत्पादन की मार्केटिंग अथवा सेवा क्षेत्र में प्लेसमेंट समन्वय एवं अनवृत्ति कार्यवाही (फोलोअप) की मार्केटिंग अथवा सेवा क्षेत्र में प्लेसमेंट अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका लालसोट का होना आवश्यक है।
7. अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका लालसोट द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम का प्रत्येक माह में कम से कम तीन बार निरीक्षण किया जावेगा।
8. अनुमोदित संस्थाओं द्वारा निर्धारित समय अवधि में प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारम्भ नहीं किया जाता है अथवा प्रशिक्षण के दौरान संस्था द्वारा कोई अनियमितता की जाती है तो संस्था को आवंटित प्रशिक्षण कार्यक्रम को निरस्त कर दिया जावेगा।
9. स्वरोजगार प्रशिक्षण केन्द्र प्रारम्भ होने की दिनांक की सूचना पूर्ण पते सहित इस कार्यालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। उपरोक्त शर्त के अतिरिक्त समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावे।
10. उच्च शासन सचिव स्वायत्त शासन विभाग राज. सरकार जयपुर द्वारा प्रशिक्षण में गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु निर्धारित शर्तों के अनुसार :- (अ) प्रशिक्षण उपरान्त संस्था द्वारा आवश्यक प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाना होगा। (ब) प्रशिक्षण उपरान्त प्रशिक्षण पूर्ण करने वाले अभ्यर्थियों में से न्यूनतम 70 प्रतिशत अभ्यर्थियों को लाभकारी रोजगार उपलब्ध करवाना तथा उपलब्ध करवाये गये रोजगार की सस्टेनबिलिटी की सुनिश्चितता (स) प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिये संस्थाओं को प्रशिक्षण कार्य अवधि का भुगतान स्थानीय निकाय विभाग राजस्थान जयपुर एवं डूडा द्वारा निर्धारित नियमों के अन्तर्गत किया जावेगा।
11. संस्था द्वारा प्रशिक्षणार्थियों को दिये जाने वाले प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम सुनिश्चित कर पाठ्यक्रम के प्रत्येक स्टेप की विडियोग्राफी/फोटोग्राफी संस्था को करानी होगी जो समय-समय पर नगरपालिका को उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित करें।

अतः उपरोक्त शर्तों के अलावा अन्य शर्तें जो योजना में लागू है तथा समय-समय पर लागू होगी वह मान्य होगी तथा दिये गये निर्देशों की पालना आवश्यक होगी। ग्रामीण विकास युवा संस्थान, मधुवन विहार कॉलोनी सैथल रोड दौसा को भेजकर लेख है कि एक सप्ताह में प्रशिक्षण कार्यक्रम अंकित शर्तों के अनुसार संचालित किया जाकर सूचित करें।


 अधिशाषी अधिकारी
 नगरपालिका, लालसोट

कार्यालय नगर पालिका मण्डल, दौसा (जिला--दौसा)

क्रमांक:-न.पा.ला/2007-08/3664

दिनांक: 10/03/2008

कार्यालय आदेश

स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजनान्तर्गत स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत जिला स्तरीय उन्नत समन्वय समिति (डूडा) बैठक में अनुमोदित संस्था ग्रामीण विकास युवा संस्थान, मधुवन विहार कॉलोनी, सैथल रोड दौसा को प्रशिक्षण ट्रेड ज्वेलरी डिजाईनिंग एवं मैकिंग अवधि तीन माह के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम स्वीकृत करे की अनुशंसा आवेदन पत्रों की जांच के उपरान्त उल्लेखित शर्तों के आधार पर निम्न महिलाओं को प्रशिक्षण में भाग लेने की स्वीकृति दी जाती है। विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	वार्ड नं.	चयन क्रमांक	लाभार्थी का नाम मय पिता/पति	जाति	उम्र
1	17	97/66	कस्तुरी देवी पत्नि कैलाश चन्द महावर	कोली	32
2	17	514/56	मीरा देवी पत्नि ओमप्रकाश महावर	कोली	27
3	17	517/160	गीता देवी पत्नि मोहन लाल महावर	कोली	26
4	17	519/162	पूनी देवी पत्नि सुआलाल महावर	कोली	30
5	17	521/164	कंचन देवी पत्नि राकेश महावर	कोली	29
6	17	768/204	अब्बन पत्नि इस्लाम खां	मुसलमान	22
7	17	770/206	सफिया पत्नि गुड्डू खां	मुसलमान	25
8	17	772/208	नजमा पत्नि मुन्ना खां	मुसलमान	22
9	17	195/22	रीना बानो पत्नि मेराजुदीन	मुसलमान	30
10	17	192/19	शमीम पत्नि अब्दुल गनी	मुसलमान	33
11	17	197/25	हन्नो पत्नि रजाक	मुसलमान	22
12	17	217/44	खेरुम पत्नि संजय खान	मुसलमान	24
13	17	216/43	जहीरा पत्नि नसीम	मुसलमान	26
14	17	218/45	तस्लीम पत्नि बुन्दु खां	मुसलमान	22
15	17	756/192	पारो पत्नि जफर खां	मुसलमान	22
16	17	775/211	सलमा पत्नि सतार खां	मुसलमान	28
17	17	763/199	जैबुन पत्नि परमान खां	मुसलमान	30
18	17	774/210	आरिफा पत्नि यामिन	मुसलमान	26
19	17	779/215	हनीसा पत्नि गफूर खां	मुसलमान	30
20	17	780/216	नसीम पत्नि जमील खां	मुसलमान	27

प्रशिक्षण कार्यक्रम निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकृत किया गया है। किसी प्रशिक्षणार्थी द्वारा शर्तों की पूर्ति नहीं किये जाने पर उसे प्रशिक्षण नहीं दिया जावे एवं संस्था द्वारा नियमों की पालना नहीं करने पर प्रशिक्षण निरस्त किया जा सकेगा।

शर्तें निम्नानुसार है :-

1. प्रशिक्षणार्थियों की पात्रता 18 से 35 वर्ष के बीपीएल महिलाओं को प्राथमिकता।
2. आरक्षण:- न्यूनतम 20 प्रतिशत महिला निकाय की बी.पी.एल. जनसंख्या में से एस.सी./एस.टी. के प्रतिशत अल्पसंख्यक।
3. प्रशिक्षण की अवधि दक्षता वृद्धि के लिये प्रशिक्षण की न्यूनतम अवधि 3 माह (75 कार्य दिवस/तीन सौ घण्टे होगी) परन्तु न्यूनतम 300 घण्टे का प्रशिक्षण मय कार्य स्थल के प्रशिक्षण होना आवश्यक है।
4. किसी भी परिस्थिति में एक परिवार से एक से अधिक महिलाओं को प्रशिक्षण नहीं दिया जावेगा।
5. संस्था को आवंटित ट्रेड में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करवाने हेतु संबंधित ट्रेड में मान्यता प्राप्त संस्था से प्रशिक्षित ट्रेनर द्वारा प्रशिक्षण दिया जाना है। जिसे कम से कम न्यूनतम तीन वर्ष का अध्यापन का अनुभव हो। संस्था के पास प्रशिक्षण कार्यक्रम में आवंटित ट्रेड के अनुसार निर्धारित महिलाओं की संख्या के अनुसार प्रशिक्षण कक्ष सुविधा का होना आवश्यक है।
6. प्रशिक्षण संस्थाओं से प्राप्त प्रस्ताव में ट्रेनिंग कलेण्डर मय करवाये जाने वाले कोर्स का पूर्ण विवरण, प्रशिक्षण, सर्टिफिकेट प्रक्रिया, कार्यस्थल प्रशिक्षण, प्रशिक्षण हेतु आवश्यक सुविधायें तथा भविष्य में तैयार उत्पादन की मार्केटिंग अथवा सेवा क्षेत्र में प्लेसमेंट समन्वय एवं अनवृत्ति कार्यवाही (फोलोअप) की मार्केटिंग अथवा सेवा क्षेत्र में प्लेसमेंट अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका दौसा का होना आवश्यक है।
7. अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका दौसा द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम का प्रत्येक माह में कम से कम तीन बार निरीक्षण किया जावेगा।
8. अनुमोदित संस्थाओं द्वारा निर्धारित समय अवधि में प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारम्भ नहीं किया जाता है अथवा प्रशिक्षण के दौरान संस्था द्वारा कोई अनियमितता की जाती है तो संस्था को आवंटित प्रशिक्षण कार्यक्रम को निरस्त कर दिया जावेगा।
9. स्वरोजगार प्रशिक्षण केन्द्र प्रारम्भ होने की दिनांक की सूचना पूर्ण पत्रे सहित इस कार्यालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। उपरोक्त शर्त के अतिरिक्त समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावे।
10. उप शासन सचिव स्वायत्त शासन विभाग राज. सरकार जयपुर द्वारा प्रशिक्षण में गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु निर्धारित शर्तों के अनुसार :- (अ) प्रशिक्षण उपरान्त संस्था द्वारा आवश्यक प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाना होगा। (ब) प्रशिक्षण उपरान्त प्रशिक्षण पूर्ण करने वाले अभ्यर्थियों में से न्यूनतम 70 प्रतिशत अभ्यर्थियों को लाभकारी रोजगार उपलब्ध करवाना तथा उपलब्ध करवाये गये रोजगार की सस्टेनबिलिटी की सुनिश्चितता (स) प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिये संस्थाओं को प्रशिक्षण कार्य अवधि का भुगतान स्थानीय निकाय विभाग राजस्थान जयपुर एवं डूडा द्वारा निर्धारित नियमों के अन्तर्गत किया जावेगा।
11. संस्था द्वारा प्रशिक्षणार्थियों को दिये जाने वाले प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम सुनिश्चित कर पाठ्यक्रम के प्रत्येक स्टेप की विडियोग्राफी/फोटोग्राफी संस्था को करानी होगी जो समय-समय पर नगरपालिका को उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित करें।

अतः उपरोक्त शर्तों के अलावा अन्य शर्तें जो योजना में लागू हैं तथा समय-समय पर लागू होंगी वह मान्य होंगी तथा दिये गये निर्देशों की पालना आवश्यक होगी। ग्रामीण विकास युवा संस्थान, मधुवन विहार कॉलोनी सैथल रोड दौसा को भेजकर लेख है कि एक सप्ताह में प्रशिक्षण कार्यक्रम अंकित शर्तों के अनुसार संचालित किया जाकर सूचित करें।

31
अधिशाषी/अधिकारी
नगर पालिका, दौसा

कार्यालय नगर पालिका मण्डल, दौसा (जिला-दौसा)

क्रमांक:-न.पा.ला/2007-08/3665

दिनांक: 10/03/2008

कार्यालय आदेश


स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजनान्तर्गत स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत जिला स्तरीय उनशमन समन्वय समिति (डूडा) बैठक में अनुमोदित संस्था ग्रामीण विकास युवा संस्थान, मधुवन विहार कॉलोनी, सैथल रोड दौसा को प्रशिक्षण ट्रेड ब्यूटी पार्लर अवधि तीन माह के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम स्वीकृत करे की अनुशंसा आवेदन पत्रों की जांच के उपरान्त उल्लेखित शर्तों के आधार पर निम्न महिलाओं को प्रशिक्षण में भाग लेने की स्वीकृति दी जाती है। विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	वार्ड नं.	चयन क्रमांक	लाभार्थी का नाम मय पिता/पति	जाति	उम्र
1	16	880/223	रामपति पत्नि रामलाल महावर	कोली	22
2	16	36/01	सरोज पत्नि राजेन्द्र महावर	कोली	32
3	16	112/06	सावित्री पत्नि मोहन लाल महावर	कोली	28
4	16	121/07	यशोदा पत्नि बुद्धाराम महावर	कोली	29
5	16	125/08	चन्दो देवी पत्नि कमल महावर	कोली	20
6	16	191/18	आशिया पत्नि रहीश शाह	मुसलमान	32
7	16	211/38	शहनाज पत्नि मो. आजाद	मुसलमान	31
8	16	755/191	सबिया पत्नि वजीर खां	मुसलमान	30
9	16	220/40	नसीम पत्नि सहीद खां	मुसलमान	24
10	16	759/195	अमेना पत्नि फजरुद्दीन खां	मुसलमान	30
11	16	760/196	फातमा पत्नि रफीक खां	मुसलमान	26
12	16	758/194	झादनी पत्नि तनवीर खां	मुसलमान	22
13	16	765/201	जेबा पत्नि अबीब खां	मुसलमान	30
14	16	767/203	सब्बो पत्नि जाकिर खां	मुसलमान	21
15	16	771/207	परवीन पत्नि नासिर खां	मुसलमान	31
16	16	776/212	शबनम पत्नि बाबू खां	मुसलमान	24
17	16	778/214	जसीम पत्नि शब्बीर खां	मुसलमान	27
18	16	762/198	जरीना पत्नि अतार खां	मुसलमान	26
19	16	761/197	शाईना पत्नि गनी	मुसलमान	23
20	16	769/205	रेशमा पत्नि रमजान	मुसलमान	26

प्रशिक्षण कार्यक्रम निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकृत किया गया है। किसी प्रशिक्षणार्थी द्वारा शर्तों की पूर्ति नहीं किये जाने पर उसे प्रशिक्षण नहीं दिया जावे, एवं संस्था द्वारा नियमों की पालना नहीं करने पर प्रशिक्षण निरस्त किया जा सकेगा। शर्तें निम्नानुसार है :-

1. प्रशिक्षणार्थियों की पात्रता 18 से 35 वर्ष के बीपीएल महिलाओं को प्राथमिकता।
2. आरक्षण:- न्यूनतम 20 प्रतिशत महिला निकाय की बी.पी.एल. जनसंख्या में से एस.सी./एस.टी. के प्रतिशत अल्पसंख्यक।
3. प्रशिक्षण की अवधि दक्षता वृद्धि के लिये प्रशिक्षण की न्यूनतम अवधि 3 माह (75 कार्य दिवस/तीन सौ घण्टे होगी) परन्तु न्यूनतम 300 घण्टे का प्रशिक्षण मय कार्य स्थल के प्रशिक्षण होना आवश्यक है।
4. किसी भी परिस्थिति में एक परिवार से एक से अधिक महिलाओं को प्रशिक्षण नहीं दिया जावेगा।
5. संस्था को आवंटित ट्रेड में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करवाने हेतु संबंधित ट्रेड में मान्यता प्राप्त संस्था से प्रशिक्षित ट्रेनर द्वारा प्रशिक्षण दिया जाना है। जिसे कम से कम न्यूनतम तीन वर्ष का अध्यापन का अनुभव हो। संस्था के पास प्रशिक्षण कार्यक्रम में आवंटित ट्रेड के अनुसार निर्धारित महिलाओं की संख्या के अनुसार प्रशिक्षण कक्ष सुविधा का होना आवश्यक है।
6. प्रशिक्षण संस्थाओं से प्राप्त प्रस्ताव में ट्रेनिंग कलेण्डर मय करवाये जाने वाले कोर्स का पूर्ण विवरण, प्रशिक्षण, सर्टिफिकेट प्रक्रिया, कार्यस्थल प्रशिक्षण, प्रशिक्षण हेतु आवश्यक सुविधायें तथा भविष्य में तैयार उत्पादन की मार्केटिंग अथवा सेवा क्षेत्र में प्लेसमेंट समन्वय एवं अनवृत्ति कार्यवाही (फोलोअप) की मार्केटिंग अथवा सेवा क्षेत्र में प्लेसमेंट अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका दौसा का होना आवश्यक है।
7. अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका दौसा द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम का प्रत्येक माह में कम से कम तीन बार निरीक्षण किया जावेगा।
8. अनुमोदित संस्थाओं द्वारा निर्धारित समय अवधि में प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारम्भ नहीं किया जाता है अथवा प्रशिक्षण के दौरान संस्था द्वारा कोई अनियमितता की जाती है तो संस्था को आवंटित प्रशिक्षण कार्यक्रम को निरस्त कर दिया जावेगा।
9. स्वरोजगार प्रशिक्षण केन्द्र प्रारम्भ होने की दिनांक की सूचना पूर्ण पते सहित इस कार्यालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। उपरोक्त शर्त के अतिरिक्त समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावे।
10. उप शासन सचिव स्वायत्त शासन विभाग राज. सरकार जयपुर द्वारा प्रशिक्षण में गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु निर्धारित शर्तों के अनुसार :- (अ) प्रशिक्षण उपरान्त संस्था द्वारा आवश्यक प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाना होगा। (ब) प्रशिक्षण उपरान्त प्रशिक्षण पूर्ण करने वाले अभ्यर्थियों में से न्यूनतम 70 प्रतिशत अभ्यर्थियों को लाभकारी रोजगार उपलब्ध करवाना तथा उपलब्ध करवाये गये रोजगार की सस्टेनबिलिटी की सुनिश्चितता (स) प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिये संस्थाओं को प्रशिक्षण कार्य अवधि का भुगतान स्थानीय निकाय विभाग राजस्थान जयपुर एवं डूडा द्वारा निर्धारित नियमों के अन्तर्गत किया जावेगा।
11. संस्था द्वारा प्रशिक्षणार्थियों को दिये जाने वाले प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम सुनिश्चित कर पाठ्यक्रम के प्रत्येक स्टेप की विडियोग्राफी/फोटोग्राफी संस्था को करानी होगी जो समय-समय पर नगरपालिका को उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित करें।

अतः उपरोक्त शर्तों के अलावा अन्य शर्तें जो योजना में लागू है तथा समय-समय पर लागू होगी वह मान्य होगी तथा दिये गये निर्देशों की पालना आवश्यक होगी। ग्रामीण विकास युवा संस्थान, मधुवन विहार कॉलोनी सैथल रोड दौसा को भेजकर लेख है कि एक सप्ताह में प्रशिक्षण कार्यक्रम अंकित शर्तों के अनुसार संचालित किया जाकर सूचित करें।


 अधिशाषी अधिकारी
 नगर पालिका, दौसा

कार्यालय जिला परियोजना प्रबन्धक इकाई (पी.आई.पी.) दौसा

क्रमांक: DPIP/CD & T/2005-06/15827-41

दिनांक : 11/10/06

जिला परियोजना समन्वयक
राजस्थान गैर सरकारी संस्था।

राजस्थान विद्यापीठ
210-2254

(को)

विषय :- गुणवत्ता एवं स्थायित्व पर समान रुचि समूहों के सदस्यों के प्रशिक्षण आयोजन बाबत ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि गुणवत्ता एवं स्थायित्व के अध्यक्ष कोषाध्यक्ष, अधि-हृत / कियार्शी सदस्य सहित समिति, ग्राम पंचायत मुख्यालय अथवा समीप के कोई बड़े गांव में आयोजित किया जाना है।

इस हेतु राज्य परियोजना निदेशक संलग्न पत्र क्रमांक 2006 जयपुर दिनांक 22.9.2006 के अनुसार प्रशिक्षण का आयोजन किया जाना है।

प्रत्येक गैर सरकारी संस्था अपने क्षेत्र के समान रुचि समूहों के सदस्यों के लिए गुणवत्ता एवं स्थायित्व प्रशिक्षण के लिए निम्न हस्ताक्षरकर्ता को मांग प्रशिक्षण कार्यक्रम के आदेश प्रसारित करेगी एवं उसी के अनुसार प्रशिक्षण करायोगी। निर्धारित संलग्न प्रारूप में सूचना संकलित कर 15.10.2006 तक कार्यालय में प्रेषित करना सुनिश्चित कर जित करेगी तथा पूर्व में प्राप्त प्रोग दिया जावेगा।

अति आवश्यक समझे जाते निर्धारित समय सीमा में अंतर्गत की ओर ले जाकर प्रात्मनिर्भरता की प्रारंभिक प्रशिक्षण करेगी।

संलग्न :- वित्तीय बजट प्रावधान
मांग प्रारूप

जिला परियोजना प्रबन्धक
पीआईपी दौसा

कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा & राज0
 क्रमांक: मले0/आईईसी/06/ 813-20 दिनांक: 11/10/06
 ग्रामीण विकास युवासंस्थान
 स्वयंसेवी संस्था,
 दौसा।


विषय: मलेरिया / डेंगू/चिकनगुनिया बुझार से बचाव हेतु प्रचार-प्रसार करने हेतु ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेखा है कि आपकी संस्था को क्ला कार्यक्रमों के जरिये मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया बुझार से बचाव के लिये प्रचार-प्रसार हेतु निम्नांकित क्ला कार्यक्रम आयोजन आवंटित किये जाते हैं :-

क्र.सं.	ग्रा0स्वा0के0 का नाम	गांवों के नाम & 35 कार्यक्रम
1.	मांडारेज	कार्यक्रम : 10 -खारडी, मांडारेज, नांगलरखावतान, लवाण, सराय, कुण्डल, सैधल, भाकिरी, सूरजपुरा, रामपुरा
2.	मंडावरी	कार्यक्रम: 10 मंडावरी, डिडवाना, राहवास, दौ लतपुरा, बगडी, सूरतपुरा, इन्दावा, डोब, टोरेडा, रामगढ़पट्टवारा
3.	मानपुर	कार्यक्रम: 05- दुब्बी, कैलाई, रेंटा, कालाखो, गीजगढ़,
4.	मंडावर	- - 05:- पावटा, गाजीपुर, खोडला, मंडावर, नाड्डा ।
5.	बसवा	- - 05- बसवा, कालेड़, रामपुरा, गुढाकटला, चिचरई

शर्तें:-

1. प्रत्येक सांस्कृतिक कार्यक्रम में चार सदस्य होंगे ।
2. प्रत्येक कार्यक्रम के जरिये मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया रोग से बचाव का संदेश देंगे ।
3. कार्यक्रम आयोजित करके प्रमाण-स्वरूप विभाग की महिला स्वा0कार्यवाही या संबोधात चिकित्सा अधिकारी से प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाएगा ।
4. एक दिवस में 4 कार्यक्रम की किये जायेंगे ।
5. प्रत्येक कार्यक्रम 2 घण्टे से कम का नहीं होगा ।
6. भूगतान निदेशक & आई.ई.सी. & राज. जयपुर की अनुमोदित दरों पर ही किया जाएगा ।
7. कार्यक्रम दिनांक 31.10.06 से पूर्व सम्पन्न करने होंगे ।
8. अलग से किराया देय नहीं होगा ।


 मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
 दौसा

क्रमांक: मले0/आईईसी/06/

दिनांक:

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

- 1- अति. निदेशक & ग्रा0स्वा0, चि0 एवं स्वा0 सेवक, राज0, जयपुर।
- 2- संबोधात चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, ग्रा0स्वा0के0 कर लेखा है कि कार्यक्रम आयोजित करवाकर रिपोर्ट प्रेषित करें ।

कार्यालय जिला परियोजना प्रबंधन इकाई (डीपीआर पी) दौसा

क्रमांक:-प-1(48)/लेखा/2002/

दिनांक:-

कार्यालय आदेश

राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई डीपीआईपी, जयपुर के आदेश क्रमांक प-6(10) ग्रा.वि./डीपीआईपी/2001 दिनांक 15.07.2003-28.07.2003 एवं 11.2003 के दिनांक 13.12.03 गये निर्देशानुसार एवं इस कार्यालय के नीचे वर्णित आदेशानुसार सरकारी-संस्थाओं को समान रुचि समूहों के बैंचों के आमुखिकरण प्रशिक्षण अजित करने हेतु 16350/- प्रति बैंच की दरसे निम्नानुसार अग्रिम भुगतान किये जाने की स्वीकृति एतद द्वारा प्रदान की जाती है।

क्रमांक प-6(10) 11.2003 के दिनांक 13.12.03 सरकारी-संस्थाओं अजित करने हेतु की स्वीकृति एतद

क्र.सं.	संस्था का नाम	आदेश क्रमांक व दिनांक	बैंचों की संख्या	अग्रिम देय राशि
1	HPPI - मंडावर	10498-10500 / 01.10.04	25	408750.00
2	GVYS-मण्डावरी	12926-36 / 07.12.04	12	196200.00
कुल योग:-			37	604950.00

(अक्षर:- छः लाख चार हजार नौ सौ

सौ रुपये मात्र)

जिला परिषद
डीपीआर

जना प्रबन्धक,
पी, दौसा

क्रमांक:-प-1(48)/लेखा/2002/13413-12

दिनांक:- 16/12/04

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. जिला परियोजना समन्वयक, एच.पी.पी.आई-मण्डावर, /ग्रामीण विकास-मण्डावरी को प्रेषित कर लेख है कि राशी का उपयोग इसी अथवा अन्य किसी काम में उपयोग में नहीं ली जावे।
2. प्रबन्धक (CD&T) कार्यालय हाजा।
3. कैशियर कार्यालय हाजा।
4. रक्षित पत्रावली।

स युवा संस्थान में किया जावे

जिला परिषद
डीपीआर

जना प्रबन्धक,
पी, दौसा

कार्यालय आदेश

राज्य परियोजना प्रबंधक इकाई डीपीआईपी, जयपुर के आदेश क्रमांक प-6(10)/ग्र.वि./डीपीआईपी/2001 दिनांक 15.07.03, 28.07.03 एवं 07.11.03 में दिये गये निर्देशानुसार एवं इस कार्यालय के नीचे वर्णित आदेशानुसार गैर सरकारी संस्थाओं को समान रुचि समूहों के बैठों के आमुखीकरण प्रशिक्षण आयोजित करने हेतु रु. 16350/- प्रति बैठ की दर से निम्नानुसार अग्रिम भुगतान किये जाने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

जयपुर के आदेश क्रमांक प-6(10)/ग्र.वि./डीपीआईपी/2001 दिनांक 15.07.03, 28.07.03 एवं 07.11.03 में दिये गये निर्देशानुसार गैर सरकारी संस्थाओं को समान रुचि समूहों के बैठों के आमुखीकरण प्रशिक्षण आयोजित करने हेतु रु. 16350/- प्रति बैठ की दर से निम्नानुसार अग्रिम भुगतान किये जाने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

क्र. सं.	संस्था का नाम	आदेश क्रमांक दिनांक	बैठों की संख्या
1	हुमाना पिपुल टु पिपुल, मण्डावरी	265-69/12.4.04	196200.00
2	लोक विकास शिक्षण संस्थान, बांदीकुई	261-64/12.4.04	163500.00
3	आदर्श सरोज विधा मंदिर समिति, नांगल राजावतान	256-60/12.4.04	130800.00
4	ग्रामीण विकास युवा संस्थान, मण्डावरी	251-55/12.4.04	81750.00
5	कंजूमर यूनिट ट्रस्ट सोसायटी, महदा	269-74/12.4.04	114450.00
कुल योग:-			686700.00

संख्या	कुल अग्रिम देय राशि
	196200.00
	163500.00
	130800.00
	81750.00
	114450.00
	686700.00

अक्षरों में लाख छिपारी हुआ

कुल रु. 6,86,700/-

प्रबंधक
जिला परियोजना प्रबंधक
डीपीआईपी, दोसा

क्रमांक.....15/9/03

ग्रामीण विकास युवा
संस्थान/ लोक
विकास संस्थान/ लोक
विकास संस्थान/ लोक

प्रबंधक
जिला परियोजना प्रबंधक
डीपीआईपी, दोसा

क्रमांक-प-1(48)/लेखा/2002/355-69

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. राज्य परियोजना निदेशक, जयपुर।
2. जिला परियोजना समन्वयक, कंजूमर यूनिट ट्रस्ट सोसायटी, महदा संस्थान, मण्डावरी/ आदर्श सरोज विधा मंदिर समिति, नांगल विकास शिक्षण संस्थान, बांदीकुई/ हुमाना पिपुल टु पिपुल, मण्डावरी।
3. प्रबंधक, डीपीआईपी कार्यालय।
4. केंशियर, कार्यालय राजा भुगतान हेतु।
5. संबंधित पत्राचारकेंद्र।

कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, दौसा (राज.)

क्रमांक:एडस/2005/216-19


दिनांक 12/01/05

सचिव,
ग्रामीण विकास युवा संस्थान
सैंथल (दौसा)

विषय:- एडस जागरुकता कार्यक्रम के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राजस्थान स्टेट एडस कन्ट्रोल सोसायटी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान सरकार जयपुर के निर्देशानुसार आपकी संस्थान का चयन जिले के रेड लाईट एरिया में फिमेल सैक्स वर्कर्स (FSW) में एडस की जागरुकता हेतु किया गया है। राजस्थान स्टेट एडस कन्ट्रोल सोसायटी, जयपुर के द्वारा निर्धारित वित्तीय मापदण्डों के अनुसार आपकी संस्था को समय-समय पर भुगतान किया जायेगा।

अतः आपके द्वारा कार्य शुरु कर सूचना उक्त कार्यालय में भिजवाने का कष्ट करे।


मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
दौसा

क्रमांक:एडस/2005/

दिनांक

प्रतिलिपि:- परियोजना निदेशक, राजस्थान स्टेट एडस कन्ट्रोल सोसायटी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान सरकार जयपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
दौसा

राजस्थान सरकार

राज्य परियोजना प्रबन्धन इकाई - डीपीआईपी

प.1(208)आ.वि./डीपीआईपी/2003

जयपुर दिनांक 15.12.2003

आज्ञा

विश्व बैंक सहायता के अन्तर्गत जिला गरीबी उन्मूलन परियोजना के जिला दौसा के ब्लॉक लालसोट के अन्तर्गत के 30 गाँवों में परियोजना संबंधी कार्यों के लिए ग्रामीण विकास युवा संस्थान, दौसा से दिनांक 29.11.03 को हस्ताक्षरित एग्रीमेंट के परिशिष्ट "सी" के अनुसार कार्य करने के लिए 15.00 लाख रुपये की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

उक्त एग्रीमेंट के परिशिष्ट "सी" की शर्तों के अनुसार ग्रामीण विकास युवा संस्थान, दौसा द्वारा एग्रीमेंट हस्ताक्षर करने के पश्चात् कार्य आरम्भ कर इन्सेप्शन रिपोर्ट प्रस्तुत करने तथा राज्य परियोजना प्रबन्धन इकाई से उसके अनुमोदन पर अनुबन्ध की राशि का 10 % अर्थात् रु. 1.50 लाख (एक लाख पचास हजार मात्र) संस्था को अग्रिम देने की अनुमति प्रदान की जाती है।

इस राशि का भुगतान मांग सं.-3, 3451-सचिवालय आर्थिक सेवाएं, 102- जिला योजना रांगठन, (002)- विश्व बैंक सहायता के अन्तर्गत जिला गरीबी उन्मूलन परियोजना, 0008- दृष्टिका एवं विशिष्ट सेवाओं हेतु संदाय (आयोजना) मद से प्रभार्य होगा तथा भुगतान बैंक द्वारा किया जावेगा।

(एम. एस. खान)

राज्य परियोजना निदेशक एवं
शासन निशिष्ट सचिव, डीपीआईपी

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. जिला परियोजना प्रबंधक, डीपीआईपी, दौसा।
- ✓ 2. ग्रामीण विकास युवा संस्थान, दौसा।
3. लेखाशाखा, डीपीआईपी।
4. कैशियर को बैंक से भुगतान हेतु।

राज्य निदेशक, डीपीआईपी

6

कार्यालय जिला साक्षरता समिति, दौसा

क्रमांक .3.773 - 76

दिनांक : 13/03/2003

सचिव


ग्रामीण विकास युवा संस्थान, सैथल

विषय:- ग्राम चौरडी के साक्षरता केन्द्र गोद देने के क्रम में।

उपरोक्त विषय में लेख है कि ग्राम चौरडी के समस्त साक्षरता केन्द्रों का संचालन करने हेतु आपकी संस्थान का चयन किया जाता है। सभी साक्षरता केन्द्रों पर प्रेरक एवं स्वयं सेवक लगाने के साथ अन्य सभी व्यवस्था आपके द्वारा की जानी है। जिसका भुगतान साक्षरता निदेशालय के वित्तीय मापदण्डों के अनुसार किया जायेगा। प्रति दस महिलाओं पर एक केन्द्र स्थापित कर एक स्वयं सेवक लगाकर आवश्यक सभी व्यवस्थायें जिसमें ब्लेक बोर्ड, चोक, डस्टर, स्लेट, पेन्सिल, बुक, कॉपी, फर्स, खेलकूद की सामग्री, बिजली-पानी की व्यवस्था आपके द्वारा की जानी है। अतः साक्षरता केन्द्रों को शुरू कर सूचना कार्यालय में भिजवाने का श्रम करें।

जय साक्षरता

भवदीय


मुख्य परियोजना समन्वयक
जिला साक्षरता समिति
दौसा

प्रतिलिपि:-

- (1) सचिव ब्लॉक साक्षरता समिति, दौसा
- (2) उपसंकुल प्रभारी, ग्राम चौरडी तह. व जिला दौसा

॥
मुख्य परियोजना समन्वयक
जिला साक्षरता समिति
दौसा

कायलिय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, दौसा


क्रमांक: अंदाता/2002/

दिनांक:

:: कायलिय आदेश ::

राजनीय निष्कासक - सेवान्तर सेवान्तर के पत्रांक-147
दिनांक-27/11/02 - के अनुसार दिनांक-11/11/02 दौसा जिले के ग्राम-सैयम -
में निःशुल्क नेत्र अपरेशन शिविर लगाने की
अनुमति निम्नानुसार दी जाती है।


1. नेत्र शिविर को अनुदान राशियाँ राज्य सरकार/भारत सरकार द्वारा उपलब्ध होने पर ही स्वीकृत की जावेगी।
2. एक दिन में एक नेत्र विशेषज्ञ 50 से अधिक नेत्र अपरेशन नहीं करेंगे।
3. नेत्र शिविर के 4-6 सप्ताह बाद फॉलोअप करना आवश्यक होगा तथा कैटेरेक्ट रोगियों का कैटेरेक्ट सर्जरी रिकार्ड, प्रचार-प्रसार साधनों का नक्का, यथया वितरण सूची, नेत्र विशेषज्ञ से प्रमाणित करवाकर प्रस्तुत करनी होगी।
4. नेत्र शिविर में प्रचार, धागा एवं आईओएलओ अंधता निवारण समिति दौसा से दिये जायेंगे। यदि समिति में उपलब्ध नहीं है तो निम्नानुसार अनुदान राशि स्वीकृत कर दी जावेगी।
5. ट्रांसमोर्टेशन का पैसा भारत सरकार के निर्देशानुसार स्वीकृति कर दिया जावेगा।


 मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
 एवं
 सदस्य सचिव
 जिला स्वास्थ्य समिति, दौसा

क्रमांक: अंदाता/शिविर/02/ 8862-68 दिनांक: 29/11/02

प्रतिलिपि निम्न को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1- निदेशक & जन स्वास्थ्य, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर।
- 2- राज्य कार्यक्रम अधिकारी & अंधता नियंत्रण, चिओ एवं वित्त सेवाएँ, राज. जयपुर
- 3- जिला कलेक्टर, दौसा
- 4- अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति & अंधता निवारण एवं जिला प्रमुखा, जिला परिषद, दौसा।
- 5- क. वि. प्रभारी, भ्रमणशील नेत्र ईकाई, मुख्यालय।
- 6- चिकित्सा अधिकारी प्रभारी सैयम
- 7- अध्यक्ष/ सचिव


 मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
 सदस्य सचिव,
 जिला स्वास्थ्य समिति, दौसा

(59) ~~58~~

//कार्यालय जिला कलक्टर जयपुर दोसा//

क्रमांक अका/2057/ 7792

दिनांक: 4-6-2001

संशोधित आदेश

प्रयोगिता समिति दोसा क्षेत्र में अका/राज/सं. 2057 हेतु इस कार्यालय के पूर्व भा.स. एवं पित्तीय स्वीकृति आदेश क्रमांक 7135 दिनांक 30.5.2001 में स्वीकृत कार्य सं. 3 पर अंकित की कार्यकारी एजेन्सी आदेश तत्पर द्वारा संशोधित की जाती है:-

सं.	नाम कार्य	ग्राम पंचायत	स्वीकृत श्रमिक सीमा	स्वीकृत राशि तालों में		कुल कार्यकारी एजेन्सी
				श्रम अका/संघ	तारुण भारत संघ गीळपुरा	
1	संशोधित विभाग दोसा की टाणी	सापी	100	2.58	1.72	4.30 ग्रामीण विकास युवा संस्थान सैथल

सं. - शर्तें क्र.सं. 2 से 15 तक प्रतिसूत्रार

जिला कलक्टर अका/दोसा

दिनांक: 4-6-2001

क: अका/2057/ 7793-13

निम्न को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-
 1. शासन सचिव, सहायता विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
 2. भा.स. आ.सं. 2 महोदय, जयपुर संभाग, जयपुर ।
 3. क्षेत्र दोसा/जिला प्रमुख दोसा/ विधायक, दोसा ।
 4. जयपुर कलक्टर/विकास/शासन/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिसर, दोसा ।
 5. ग्राम पंचायत समिति दोसा ।
 6. जिला कलक्टर, दोसा ।
 7. जयपुर कलक्टर एवं स्वास्थ्य अधिकारी, दोसा/विकास अधिकारी, दोसा/तहसीलदार, दोसा ।
 8. डायरेक्टर अभिवृत्ति, जल ग्रहण एवं भू-संरक्षण, दोसा ।
 9. चिव, ग्रामीण विकास युवा संस्थान, सैथल ।
 10. जयपुर एवं जयपुर जंक्शन अधिकारी, दोसा/कंप्यूटर शाखा/रक्षित पत्रावली ।

प्रभारी अधिकारी अका/दोसा